

लोक-सभा वाद-विवाद  
का  
संक्षिप्त अनूदित संस्करण  
SUMMARISED TRANSLATED VERSION  
OF  
3rd  
LOK SABHA DEBATES  
[ तृतीय माला ]  
[ Third Series ]

[ खंड 42, 1965/1887 (शक)  
Volume, XLII, 1965/1887 (Saka) ]

[ 20 अप्रैल से 1 मई, 1965 तक/30 चैत्र से 11 वशाख, 1887 (शक) तक  
April 20 to May 1, 1965/Chaitra 30 to Vaisakha 11, 1887 (Saka) ]



ग्यारहवां सत्र 1965/1886-87 (शक)  
Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

[ खंड 42 में अंक 41 से 50 तक हैं ]  
[ Vol. XLII contains Nos. 41-50 ]

लोक-सभा सचिवालय  
नई दिल्ली  
LOK SABHA SECRETARIAT  
NEW DELHI

[[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अहूदित संत्करण है और इस में अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों का अत्रि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

अंक 46—मंगलवार, 27 अप्रैल, 1965/7 बंशाब्द, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1032	राजधानी में दुर्घटनाएँ . . . . .	4323—25
1033	सहकारी समितियाँ . . . . .	4325—28
1034	उर्वरकों का सम्भरण . . . . .	4328—31
1035	राज्यों में सहकारी समितियाँ . . . . .	4331—33
1037	गेहूँ के जहाजों का अन्य स्थानों को भेजा जाना . . . . .	4333—35
1038	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के वेतन-क्रम . . . . .	4335—36
1039	खड़ी फसलों को नुकसान . . . . .	4336—39
1040	अनाज संग्रह प्रणाली . . . . .	4340—43
1041	फार्म-उत्पादों की कीमतों संबंधी रिपोर्ट . . . . .	4343—45
1042	रबी की फसल . . . . .	4345—46

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित

प्रश्न संख्या

1036	पटसन की खेती का क्षेत्रफल . . . . .	4346
1045	कृषि-उत्पाद मूल्य आयोग . . . . .	4346
1046	अनाज का उतारा जाना . . . . .	4347
1047	चावल की सहकारी मिलें . . . . .	4347—48
1048	दिल्ली में दुग्ध बस्ती . . . . .	4348
1049	परिसीमन आयोग . . . . .	4348—49
1050	एयर कारपोरेशन का विलय . . . . .	4349
1051	एयरइण्डिया एरोफ्लोट विमान सेवा करार . . . . .	4349
1052	भूमि सुधार . . . . .	4350

अतारांकित

प्रश्न संख्या

2622	आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण . . . . .	4350
2623	मध्य प्रदेश में आदिम जातीय छात्र . . . . .	4350
2624	मैट्रिक उपरान्त छात्रवक्तियाँ . . . . .	4350

\*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था

## CONTENTS

No. 46.—Tuesday, April 27, 1965/Vaisakha 7, 1887 (Saka)

### ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

<i>Starred Question Nos.</i>	<i>Subject</i>	<i>PAGES</i>
1032	Accidents in Capital . . . . .	4323—25
1033	Co-operative Societies . . . . .	4325—28
1034	Supply of Fertilizers . . . . .	4328—31
1035	Co-operative Societies in States . . . . .	4331—33
1037	Diversion of Wheat Ships . . . . .	4333—35
1038	Pay Scales of Employees of Khadi and Village Industries Commission . . . . .	4335—36
1039	Damage to Standing Crops . . . . .	4336—39
1040	Grain Storage System . . . . .	4340—43
1041	Report of Farm Prices . . . . .	4343—45
1042	Rabi Crop . . . . .	4345—46

### WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

<i>Starred Question Nos.</i>		
1036	Acreage Under Jute Cultivation . . . . .	4346
1045	Agricultural Prices Commission . . . . .	4346
1046	Unloading of Foodgrains . . . . .	4347
1047	Cooperative Rice Mills . . . . .	4347—48
1048	Milk Colony in Delhi . . . . .	4348
1049	Delimitation Commission . . . . .	4348—49
1050	Merger of Air Corporations . . . . .	4349
1051	Air India Aerofloat Air Agreement . . . . .	4349
1052	Land Reforms . . . . .	4350

<i>Unstarred Question Nos.</i>		
2622	Welfare of Tribal and Backward Classes . . . . .	4350
2623	Tribal Students in Madhya Pradesh . . . . .	4350
2624	Post-Matric Scholarships . . . . .	4350

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारंकित

प्रश्न संख्या

विषय

पृष्ठ

2625	दहेज रोक अधिनियम, 1961	4351-52
2626	बंगलौर दिल्ली उड़ान	4352
2627	मध्य प्रदेश में सघन खेती कार्यक्रम	4352-54
2628	चीनी की उपलब्धता	4354
2629	बागवानी का विकास	4354
2630	उत्तर प्रदेश में डेरी फार्म	4355
2631	मिट्टी अनुसन्धान केन्द्र	4355-56
2632	दिल्ली चिड़ियाघर	4356
2633	विदेश भेजे गये किसान	4356-57
2634	महाराष्ट्र में आदिवासी खण्ड	4357
2635	महाराष्ट्र को उर्वरकों का सम्भरण	4357-58
2636	महाराष्ट्र में पैकेज प्रोग्राम	4358-59
2637	विदर्भ में आदिवासी विद्यार्थी	4359
2638	विदर्भ के आदिवासियों का कल्याण	4359
2639	अनाज की नीलामी	4359-60
2640	धान कर की वसूली	4360
2641	क्विलोन का छोटा बन्दरगाह	4360-61
2642	टूटीकोरिन बन्दरगाह	4361
2643	केरल में कमी की स्थिति	4361-62
2645	निर्वाचन चिन्ह	4362
2646	सामुदायिक विकास खंड	4362-63
2647	पटसन और लाख अनुसंधान केन्द्र	4364
2648	चाय के बाग	4364-65
2649	उत्तरी बिहार में विमान सेवा	4365
2650	जहाज बनाने का सामान	4365
2651	खादी उत्पादन	4365-66
2652	कृषि वैज्ञानिकों का तालिका	4366
2653	राज्यों का चीनी का कोटा	4366-67
2654	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्	4367
2655	शहरी सहकारी बैंक	4357-68
2656	उड़ीसा में हस्तशिल्प भंडार	4368
2657	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता	4369
2658	विधेयकों का हिन्दी रूपान्तर	4369
2659	शिल्पकारों के लिये कच्चा माल	4369
2660	पिछड़े हुए क्षेत्रों में चीनी कारखानें	4370
2661	उड़ीसा में कृषि उत्पादन	4370
2662	गुजरात राज्य को बाजरे का संभरण	4370-71

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

<i>Unstarred Question Nos.</i>	<i>Subject</i>	<i>PAGES</i>
2625	Dowry Prohibition Act, 1961	4351-52
2626	Bangalore-Delhi Flight . . . . .	4352
2627	Intensive Agricultural Programme in M.P.	4352-54
2628	Availability of Sugar . . . . .	4354
2629	Development of Horticulture . . . . .	4354
2630	Dairy Farms in U.P. . . . .	4355
2631	Soil Research Centres . . . . .	4355-56
2632	Delhi Zoological Park . . . . .	4356
2633	Farmers sent Abroad . . . . .	4356-57
2634	Blocks of Adivasis in Maharashtra	4357
2635	Supply of Fertilizers to Maharashtra	4357-58
2636	Package Programme in Maharashtra . . . . .	4358-59
2637	Adivasi Students in Vidarbha . . . . .	4359
2638	Welfare of Adivasis of Vidarbha . . . . .	4359
2639	Auction of Foodgrains . . . . .	4359-60
2640	Collection of Levy on Paddy . . . . .	4360
2641	Quilon Minor Port . . . . .	4360-61
2642	Tuticorin Port . . . . .	4361
2643	Scarcity conditions in Kerala . . . . .	4361-62
2645	Election Symbol . . . . .	4362
2646	C.D. Blocks . . . . .	4362-63
2647	Jute and Lac Research Centres . . . . .	4364
2648	Tea Gardens . . . . .	4364-65
2649	Air Service in North Bihar . . . . .	4365
2650	Ship-building Material . . . . .	4365
2651	Production of Khadi . . . . .	4365-66
2652	Panel of Agricultural Scientists . . . . .	4366
2653	Sugar Quota of States . . . . .	4366-67
2654	I.C.A.R. . . . .	4367
2655	Urban Cooperative Banks . . . . .	4367-68
2656	Handicraft Emporia in Orissa . . . . .	4368
2657	Legal Aid to S.C. and S.T. . . . .	4369
2658	Hindi Translation of Bills . . . . .	4369
2659	Raw Materials for Craftsmen . . . . .	4369
2660	Sugar Factories in Backward Areas . . . . .	4370
2661	Agricultural Production in Orissa . . . . .	4370
2662	Supply of Bajra to Gujarat State . . . . .	4370-71

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

प्रतारंकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
2663	पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन और संचार . . . . .	4371
2664	भारतीय खाद्य निगम . . . . .	4372
2665	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यालय . . . . .	4375-73
2666	राष्ट्रीय राजपथ . . . . .	4373
2667	चावल का प्राप्त करना . . . . .	4373
2668	चावल की बिक्री पर कर . . . . .	4374
2669	सरसों के बीजों का मूल्य . . . . .	4374
2670	आदिवासी खण्डों में सड़कें . . . . .	4374-75
2671	आदिवासी खण्ड . . . . .	4375-76
2672	आदिम जाति विकास खण्ड . . . . .	4376
2673	आदिवासी विकास खण्ड . . . . .	4377-78
2674	पर्यटक कर्मचारियों का प्रशिक्षण . . . . .	4378
2675	पंजाब में कृषि औद्योगिक निगम . . . . .	4378-79
2676	ढोरों के लिये चारा . . . . .	4379-80
2677	फलों का चूर्ण बनाने वाला कारखाना . . . . .	4380
2678	सूअर पालन . . . . .	4380-81
2679	गन्ने का मूल्य . . . . .	4381
2680	अनाज का परिवहन . . . . .	4381-82
2681	कलकत्ता-आसाम रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी . . . . .	4382-84
2682	चावल बनाने पर प्रतिबन्ध . . . . .	4384
2683	खाद्य भण्डार . . . . .	4384
2684	बिहार फ्लाईंग क्लब के विमान का विवशतावश उतरना . . . . .	4385
2685	आस्ट्रेलिया से उपहार के रूप में बेकरियां . . . . .	4385
2686	गोबर का ईंधन के रूप में प्रयोग . . . . .	4386
2687	सांताक्रूज़ हवाई अड्डे पर राडार सहायक-यंत्र . . . . .	4386-87
2688	स्वीडन से दुग्धशाला संबंधी उपकरण की खरीद . . . . .	4387
2689	मद्रास में भाण्डागार . . . . .	4387
2690	मद्रास में समाज कल्याण . . . . .	4388
2691	देहाती कार्य प्रोग्राम . . . . .	4388-89

अद्विलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बाराहोती के निकट चीनी सेना के भारी जमाव के समाचार . . . . .	4389-96
श्री हुकम चन्द कछवाय . . . . .	4389-90
श्री यशवन्त राव चव्हाण . . . . .	4391-96

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

<i>Unstarred Question Nos.</i>	<i>Subject</i>	<i>PAGES</i>
2663	Transport and Communications in Hilly Areas	4371
2664	Food Corporation of India . . . . .	4372
2665	Offices under Ministry of Food and Agriculture	4372-73
2666	National Highways	4373
2667	Procurement of Rice . . . . .	4373
2668	Levy on Sale of Rice . . . . .	4374
2669	Price of Mustard Seeds . . . . .	4374
2670	Roads in Tribal Blocks . . . . .	4374-75
2671	Tribal Blocks . . . . .	4375-76
2672	Tribal Development Blocks	4376
2673	Tribal Development Blocks	4377-78
2674	Training of Tourist Personnel . . . . .	4378
2675	Agro-Industrial Corporation in Punjab	4378-79
2676	Fodder for Cattle . . . . .	4379-80
2677	Fruit Powder Manufacturing Plant	4380
2678	Breeding of Pigs	4380-81
2679	Prices of Sugar-cane . . . . .	4381
2680	Transportation of Foodgrains . . . . .	4381-82
2681	Calcutta-Assam River Steam Navigation Co.	4382-84
2682	Ban on Pounding of Rice . . . . .	4384
2683	Food Reserves . . . . .	4384
2684	Forcelanding of Bihar Flying Club Plane	4385
2685	Bakeries as gift from Australia . . . . .	4385
2686	Cow-dung used as Fuel . . . . .	4386
2687	Radar Aid at Santa Cruz Airport . . . . .	4386-87
2688	Purchasing . . . . .	4387
2689	Ware-houses in Madras . . . . .	4387
2690	Social Welfare in Madras . . . . .	4388
2691	Rural Works Programme . . . . .	4388-89

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

Reported heavy concentration of Chinese troops near Barahoti	4389-96
Shri Hukam Chand Kachhawaiya . . . . .	4389-90
Shri Y.B. Chavan . . . . .	4391-96



सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . .	4396—97
कच्छ-सीमा पर पाकिस्तानी आक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के बारे में प्राक्कलन समिति . . . . .	4398
तिहत्तरवां प्रतिवेदन	4398
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति . . . . .	4398
कार्यवाही-सारांश	4398
अनुदानों का भागें . . . . .	4398—4436
गृह-कार्य मंत्रालय . . . . .	4398—4414
श्री मौर्य . . . . .	4398-99
श्री अन्सार हरवानी . . . . .	4399—4400
श्री हिम्मतसिंहजी . . . . .	4400-01
श्री नन्दा . . . . .	4401--14
खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . . .	4414
श्री नरसिम्हा रेड्डी . . . . .	4415--17
श्री विभूति मिश्र . . . . .	4417-18
श्री सरजू पाण्डेय . . . . .	4418-19
श्री पु० र० पटेल . . . . .	4419—29
श्री चांडक . . . . .	4429—31
श्री शिवमूर्ति स्वामी . . . . .	4431—33
श्री कृ० चं० शर्मा . . . . .	4433
श्रीमती अकम्मा देवी . . . . .	4433-34
श्री कन्डप्पन . . . . .	4434-35
श्री राधेलाल व्यास . . . . .	4435-36
कार्य संत्रणा समिति . . . . .	4437
छत्तीसवां प्रतिवेदन . . . . .	4437

<i>Subject</i>	<i>PAGES:</i>
Papers laid on the Table	4396-97
Re : Discussion on situation arising out of attacks by Pakistan on Kutch border . . . . .	4398
Estimates Committee . . . . .	4398
Seventy-third Report	4398
Committee on Government Assurances . . . . .	4398
Minutes . . . . .	4398
<b>Demands for Grants . . . . .</b>	<b>4998-4436</b>
Ministry of Home Affairs . . . . .	4398-4414
Shri Maurya . . . . .	4398-99
Shri Ansar Harvani . . . . .	4399-4400
Shri Himmatsinhji . . . . .	4400-01
Shri Nanda . . . . .	4401-14
Ministry of Food and Agriculture . . . . .	4414
Shri Narasimha Reddy . . . . .	4415-17
Shri Bibhuti Mishra . . . . .	4417-18
Shri Sarjoo Pandey . . . . .	4418-19
Shri P.R. Patel . . . . .	4419-29
Shri Chandak . . . . .	4429-31
Shri Sivamurthi Swamy . . . . .	4431-33
Shri K.C. Sharma . . . . .	4433
Shrimati Akkamma Devi . . . . .	4433-34
Shri S. Kandappan . . . . .	4434-35
Shri Radhelal Vyas . . . . .	4435-36
<b>Business Advisory Committee . . . . .</b>	<b>4437</b>
Thirty-sixth Report . . . . .	4437

लोक-सभा  
LOK SABHA

मंगलवार, 27 अप्रैल, 1965/7 वैशाख, 1886(शक)  
*Tuesday, April 27, 1965/Vaisakha 7, 1886 (Saka)*

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.*

( अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए )  
( MR. SPEAKER in the Chair )

प्रश्नों के मौखिक उत्तर  
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राजधानी में दुर्घटनाएँ

+

- \*1032 { श्री यशपाल सिंह :  
श्री स० मो० बनर्जी :  
श्री रामेश्वर टांडिया :  
श्री हुकम चन्द कछवाय :  
श्री श्रींकार लाल बेरवा :  
श्री प्र० चं० बरुआ :  
श्री प० ह० भील :  
श्री राम हरख यादव :  
श्री मुरली मनोहर :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में घातक तथा अन्य सड़क दुर्घटनाएँ बढ़ रही

हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

**प्रसैनिक उद्भयन मंत्री ( श्री कानूनगो ) :** (क) न (ग). सभा पटल पर अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण प्रस्तुत है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4285/65]

**Shri Yashpal Singh:** Have Government ever thought that driving vehicles at slow speed makes the mind dull and that vehicles in Japan run at the highest speed, but still the number of accidents there, is minimum? Therefore the slow speed should be checked. High speed is checked only during peaceful days, these are war days. In view of this what action Government propose to take to check slow speed so that there be minimum accidents and minds of the people be in good condition?

**Shri Kanungo:** The engineers and traffic experts are considering this matter.

**Mr. Speaker:** Here the bullock carts, hand-driven carts and other carts have also to play their parts.

**Shri Yashpal Singh:** Have Government ever thought that the repairing of roads takes years and this results in a number of accidents? The cause of the murder of Sardar Pratap Singh Kairon was also the repairing. If the repairing is done in a short time, say 15-20 days, the accidents can be avoided to a great extent.

**Shri Kanungo:** This is one of the aspects that the roads should be widened. But that also requires money.

**श्री रामेश्वर टांटिया :** 1963 में कितनी दुर्घटनाएं हुई थीं ! उनमें कितने व्यक्ति मरे और 1963 में कितनी दुर्घटनाएं हुई ?

**श्री कानूनगो :** दुर्घटनाओं में कुल 267 व्यक्ति मरे और 1963 में इनकी संख्या 245 थी।

**Shri Hukam Chand Kachhavaia:** Almost dally we are reading about accidents in newspapers. Have Government evolved any scheme so that accidents can be totally checked in future?

**Mr. Speaker:** All the measures have been mentioned in the statement. If he wants to make any suggestion he can do so.

**Shri Hukam Chand Kachhavaia:** If the Government asks for suggestions, we are prepared to give.

**Mr. Speaker:** They have mentioned every thing in the statement. Perhaps you have not read that.

**श्री प्र० चं० बरुआ :** बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए क्या सरकार का विचार इस मामले में जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का है ?

**श्री कानूनगो :** जो हां, इस मास इंजीनियरों, यातायात विशेषज्ञों और यातायात पुलिस का एक सम्मेलन हो रहा है।

**Shri Ram Harakh Yadav:** Are there any particular places in Delhi where accidents usually occur? If so, what measures are being taken by Government to make those places safe?

**Shri Kanungo:** They have been mentioned in the statement.

**Shri Sarjoo Pandey:** In the statement it is given that many cycles are plying on roads in Delhi, and this is one of the causes of the accidents. And there are some thelas and block-carts. Do Government propose to impose restrictions upon them?

**Shri Kanungo:** Efforts are made to provide separate paths for the cyclists.

**Shri Bhagwat Jha Azad:** The foreign embassies here have been given diplomatic impunity. Are Government aware that here most of the accidents occur due to the negligent driving of the foreign embassy cars; if so, whether any action is taken against them or not? So far as foreign countries are concerned, they have got that impunity, but strict action taken there. Why no action is taken against them here?

**Shri Kanungo:** In cases of accidents with the vehicles of diplomatic missions, they are warned, they are asked to keep qualified drivers and several other actions are taken as a measure.

**श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या सरकार ने दिल्ली में साइकलों पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार किया है; जो कि रात्रि के समय अधिकांशतः बिना बत्ती, बिना घंटी और शायद ब्रेकों के बगैर भी चलती हैं ?

**श्री कानूनगो :** जो हां, दिल्ली को यातायात पुलिस को मजबूत कर दिया गया है, यातायात विभाग में एक उड़ान दफ्तर है प्रोर समय समय पर वह साइकलों को देखते हैं ।

### सहकारी समितियां

+

\*1033. { श्री द्वा० ना० तिवारी :  
श्री सुबोध हंसदा :  
श्री स० चं० सामन्त :

ता सामुदायिक विकास तथा सहकार वि० यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि उत्पादन बोर्ड ने सुझाव दिया है कि दो या तीन राज्यों के कुछ चुने हुए जिलों में कुछ प्रथिम परियोजनाएँ चानू की जायें, जिनमें कुछ सुसंगठित सहकारी समितियां विस्तार तथा सेवा सुविधाओं तथा उपकरणों के संभरण और उनके लिए ऋण को व्यवस्था कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो यदि इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई गई है तो उसका प्रमुख मुद्दा बाते क्या हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री ( श्री ब० सू० भूति ) : (क)

बी

(ख) योजना का मसौदा गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, मद्रास और पंजाब की राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणी के लिये भेजा गया है।

**Shri D. N. Tiwary:** What are the main features of the draft scheme which has been sent and what time limit has been given to the States for sending their replies?

**श्री ब० सू० मूर्ति :** हम नहीं जानते कि राज्य सरकारें अपने उत्तर कब भेजेंगी। योजना उनको गत मास की 23 तारीख को भेजी गई थी और हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। योजना की एक मुख्य बात यह है कि सहकारी समितियां तकनीकी कर्मचारी देगी ताकि वे उत्पादन की जरूरतों के वितरण और प्रभावशाली उपयोग में समन्वय और उनकी देखभाल कर सकें।

**Shri D. N. Tiwary:** At what places the pilot projects will be established and what financial arrangements will be made for that? What is the total financial expenditure involved? Has any estimate been made of it?

**श्री ब० सू० मूर्ति :** योजना में राज्यों को शामिल करने का विचार है, प्रत्येक राज्य में दो या तीन जिले और प्रत्येक जिले में अच्छी तरह से काम करने वाली विपणन समितियां अथवा बड़े पैमाने की सुगंठित सेवा समितियां होगी। जब तकनीकी कर्मचारी दे दिये जायेंगे, तो राज्य सरकार प्रथम वर्ष में शतप्रतिशत सहायता दे सकेगी, दूसरे वर्ष में 66 2/3 प्रतिशत और तीसरे वर्ष में 33 1/3 प्रतिशत।

**श्री सुबोध हंसदा :** माननीय उपमन्त्री ने अभी बताया कि योजना की प्रारूप चार या पांच राज्यों को भेज दिया गया है। अन्य राज्यों को उनकी टिप्पणी के लिए इसे न भेजने के क्या कारण हैं ?

**श्री ब० सू० मूर्ति :** इसे परियोजना के आधार पर किया जाता है। अभी हम इस योजना पर तजरबा करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

**श्री स० चं० सामन्त :** इस मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई अन्य परियोजनाओं से यह परियोजना किन किन बातों में भिन्न है ?

**श्री ब० सू० मूर्ति :** यह एक नई योजना है। जहां तक सहकारी समितियों का सम्बन्ध है इस प्रकार की कोई योजना अभी तक आरंभ नहीं की गई है।

**श्री शिवनंजप्पा :** क्या किसी राज्य में लिफ्ट सिंचाई समितियां चालू करने का प्रयास किया गया है ?

**श्री ब० सू० मूर्ति :** जी नहीं, उत्पादन आवश्यकताओं के पूर्ण और अच्छे उपयोग के लिये यह योजना है। इसलिये अब इस विपणन समितियों को भी ला रहे हैं और उनमें तकनीकी सहायता भी होगी।

**Shri Jagdev Singh Siddhanti:** Often it has been seen that the farmers make great demands for the tractors and the booking companies do not book the tractors. Will Government make efforts for

onward delivery of tractors to the farmers through these Co-operative Societies?

श्री ब० सू० मूर्ति : इस योजना में ट्रैक्टर शामिल नहीं हैं ।

**Shri Y. S. Chowdhry:** At present besides the various Development Blocks, Co-operative Societies, Agricultural Department and other concerned departments are also working for increasing the production. Apart from the works already taken up under the Pilot Scheme, what other constructive works will be undertaken?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री ( श्री सु० कु० डे ) : इस सारे प्रश्न में कुछ गलतफहमी प्रतीत होती है । जैसा कि स्वयं प्रश्न से पता चलता है, इस विशिष्ट कार्यरूप को, कृषि उत्पादन बोर्ड में किये गये एक निर्णय के अनुसार आरंभ किया गया है । आशय यह है कि सरकारी अभिकरण के स्थान पर, जो कि अब तक उर्वरकों और अन्य उत्पादन आवश्यकताओं के उपयोग को बढ़ाने और प्रोत्साहन देने के लिये जिम्मेवार था, सहकारी समितियां इसको प्रयोग के तौर पर करेंगे यह देखने के लिए कि क्या सहकारी समितियों की बढ़ती हुई संख्या इस काम को सरकारी अभिकरणों से पहले न करने लगे ।

श्री युद्धबीर सिंह : यह केवल एक तर्जुबा है ।

**Shri Sinhasan Singh:** Are Government aware that subsidy is given on the implements which are supplied to the agriculturists through Society or Block? But to get that it is necessary that they should be purchased only from those shops or traders who have been recognised by you. The result of this is that their prices rise about one and a half or two times than the market price. In such circumstances are Government contemplating to grant subsidy if the bill is presented before the Government irrespective of the fact that the implements have not been purchased from the authorised dealers?

श्री सु० कु० डे : सहकारी समितियों द्वारा कृषि उपकरणों के वितरण किये जाने से आरोप यह है कि ये उपकरण काश्तकारों को सस्ते दामों पर दिये जायेंगे, शायद बाजार भाव से कम कीमतों पर । यदि इसमें कोई परिवर्तन हुआ तो निश्चय ही हम उपायों को सोचेंगे कि काश्तकारों को उन सहकारी समितियों द्वारा कोई कठिनाई न हो जो अपेक्षित सेवा नहीं करती हैं ।

**Shri Bhagwat Jha Azad:** Since the Government always takes pride in foreign know-how and they are always eager to learn that, have any of your team studied the Co-operatives of foreign countries, particularly, Czechoslovakia, where, inspite of the fact that ownership of the land rests in individual farmers, the co-operatives have benefited a lot? Have the Government ever considered this question.

श्री सु० कु० डे : यूगोस्लाविया सहित संसार के उन सभी देशों के अनुभवों से हम लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो सहकारी क्षेत्र में काफी आगे हैं ।

श्री विश्वनाथ राव : इस योजना के अन्तर्गत कृषि सरकारी समितियों की अवलना क्यों की गई है जिनका गठन प्रथम योजना में किया गया था परन्तु कुछ ऐसी बातें थीं जो उनके काबू से बाहर थीं जिनके कारण वे सफल न हो सके ?

श्री सु० कृ० डे० : किसी बात को अवहेलना नहीं की गई है । कोई भी समिति जो बनने रहने योग्य होती है उसको सहायता दी जाती है । अतः अवहेलना का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उर्वरकों का सम्भरण

+

\*1034. { श्री कपूर सिंह :  
श्री प्र० के० देव :  
श्रीमती सावित्री निगम :  
श्री रा० गि० दुबे :  
श्री प्र० कृ० घोष :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक की खपत के 7.50 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में 1964 में उत्तर प्रदेश को केवल 1.70 लाख टन उर्वरक दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो 1965 के लिए लक्ष्य क्या है और चालू वर्ष में खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए राज्यों को अधिक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) तथा (ख). एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) तथा (ख). 1964-65 के दौरान उत्तर प्रदेश में उर्वरकों की खपत का लक्ष्य निम्न प्रकार था :—

	टोन्स
नाइट्रोजिनस उर्वरक (अमोनियम सल्फेट के रूप में)	5,00,000
फास्फेटिक उर्वरक (सुपरफास्फेट के रूप में)	1,20,000

1-4-64 को राज्य सरकार के पास अमोनियम सल्फेट का 3,31,000 टोन्स का भारी पूर्वावशिष्ट स्टॉक था उसको दृष्टि में रखते हुए नाइट्रोजनपूरक उर्वरकों की निम्नलिखित अलाटमेंट की गई :—

	टोन्स
सल्फेट ग्राफ अमोनिया	73,445
यूरिया	13,325
अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	15,354
कल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	1,10,899
-----	
नाइट्रोजन के रूप में कुल	48,000
सल्फेट ग्राफ अमोनिया के रूप में	2,33,000



फासफेटिक उर्वरकों का केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा वितरण नहीं किया जाता । राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताएं सीधा निर्माणकर्ताओं से खरीदती हैं ।

1965-66 के दौरान नाइट्रोजनपूरक उर्वरकों और फासफेटिक उर्वरकों की खपत का लक्ष्य निम्न प्रकार है :—

नाइट्रोजिनस उर्वरक (अमोनियम सल्फेट के रूप में) . . . . .	6,00,000
फासफेटिक उर्वरक (सुपरफासफेट के रूप में) . . . . .	1,11,440

1964-65 की अपेक्षा 1965-66 में नाइट्रोजनपूरक उर्वरकों की उपलब्धि बेहतर होने की सम्भावना है । इसके अनुसार ऐसी आशा है कि 1965-66 में उत्तर प्रदेश के लिए नाइट्रोजन-पूरक उर्वरकों की कुल सप्लाई में बेहतरी होगी ।

जहां तक फासफेटिक उर्वरकों का सम्बन्ध है, 1965-66 के लिए राज्य सरकार ने 50,000 टोन्स सुपरफासफेटिक की मांग का अनुमान लगाया है जो सम्भव है पूरी हो जाये ।

**श्री कपूर सिंह :** जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है लक्ष्य क्या थे और उर्वरक की कितनी मात्रा का संभरण किया गया ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** यह प्रश्न केवल उत्तर प्रदेश के संबंध में है । मुझे खेद है कि मेरे पास पंजाब के आंकड़े नहीं हैं । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं ये आंकड़े दे दूंगा ।

**Shri Yashpal Singh:** How the injustice that has been done to U.P. is going to be removed? Will this shortage be met in 1965 or wheat will be supplied to meet the deficit reduced due to supply of fertilizer? How this disparity is sought to be removed?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** प्रश्न उर्वरकों के संबंध में है ।

**अध्यक्ष महोदय :** वह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को कम मात्रा दी गई है ।

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** लक्ष्य और उपयोग के संबंध में मैंने जानकारी दे दी है ।

**Shri Yashpal Singh:** Supplies have not been made according to the demands of M.P.

**Mr. Speaker:** They lagged behind. They did not use.

**डा० रानेन सेन :** क्या यह सच है कि भारत के अधिकांश राज्यों में उर्वरकों की कमी है ? यदि हां, तो स्थिति में शीघ्र सुधार करने के लिये क्या ठोस उपाय किये गये हैं ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** मैं इस से सहमत हूं कि उर्वरकों की कमी है और हम पूर्ण मांग देने की स्थिति में नहीं हैं । इसके बावजूद भी कि इस वर्ष हम उपलब्धता को 480,000 टन से बढ़ाकर 650,000 टन कर लेंगे, मुझे भय है कि हम केवल 60-65 प्रतिशत मांग पूरी कर सकेंगे ।

**श्री रंगा :** इस से भी कम ।

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** जी हां, हो सकता है इससे भी कम हो । परन्तु कठिनाई यह है कि स्वदेशी उत्पादन उतना नहीं हुआ है जितना कि होने की आशा थी । इस वर्ष हम 350,000 टन नाइट्रोजन पैदा करने का कार्यक्रम आरम्भ कर रहे हैं ।

**श्री श्याम लाल सर्राफ :** काश्तकार बार-बार इस बात की शिकायत करते हैं कि उनको उर्वरक जिन कीमतों पर दिये जाते हैं वे बहुत अधिक हैं और संसार के अन्य देशों की कीमतों से यहां इनकी कीमतें बहुत ऊंची हैं ।

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** आज प्रश्न ऊंची कीमतों का नहीं है । इस कीमत पर भी हम सारी मांग को पूरा नहीं कर सकत हैं । जब संभरण बढ़ जायेगा तो हमें कीमतों को नीचे लाना होगा । हम इस पर विचार कर रहे हैं ।

**श्री विभूति मिश्र :** विभिन्न राज्यों को उर्वरक किन सिद्धांतों के आधार पर आवंटित किया जाता है? क्या यह सच है कि कुछ राज्य खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की नजर में अच्छे हैं और इसलिये उन्हें बड़ी मात्रा में उर्वरक दिये जाते हैं ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** हम ने उपभोग को ध्यान में रखा है । वास्तव में, विवरण बताता है कि गत वर्ष, 1963 में उनके पास लगभग 233,000 टन एमोनियम सल्फेट बच रहा था । फिर हम विभिन्न राज्यों के उपभोग को भी ध्यान में रखना है क्योंकि कुछ राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक उर्वरक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वे उर्वरकों के बारे में पहले से जानते हैं ।

**श्री पें० बैंकटा सुब्बया :** क्या सरकार कुछ राज्यों को अधिक मात्रा में उर्वरक दे कर कोई प्रोत्साहन देती है यदि उनका कृषि उत्पादन अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक हो ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** हमें इन सब बातों पर विचार करना है कि खास तौर पर वर्तमान संदर्भ में, जब कि हम सारी मांग पूरी करने की स्थिति में नहीं हैं, हमें इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है कि कौन-कौन से राज्य अधिक उत्पादन कर रहे हैं ।

**श्री मा० ल० जाधव :** बीज बोने के मौसम से पहले उर्वरकों का संभरण करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** खरीफ ऋतु के लिये हमने अब एक कार्यक्रम बना लिया है । राज्यों को उर्वरकों का आवंटन करते समय हम इसको ध्यान में रखेंगे ।

**श्री शिव मूर्ति स्वामी :** क्या कोई शिकायत मिली है कि उर्वरक किसान को सरकार द्वारा सीधे ही नहीं दिया जाता है परन्तु यह राज्य विपणन समिति, जिला विपणन समिति, तहसील और ब्लॉक समितियों द्वारा दिया जाता है, वे सब की सब 10 प्रतिशत मुनाफा लेती हैं जिसके परिणाम-स्वरूप उर्वरक का मूल्य 40 प्रतिशत बढ़ जाता है ? इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या इन अभिकरणों को कम करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ताकि राज्यों द्वारा उर्वरक किसानों को सस्ते दामों पर दिया जा सके ।

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** जी, हां । यह एक समिति के विचाराधीन है, मुझे आशा है कि वह अपना प्रतिवेदन अगले कुछ महीनों में दे देगी । यह समिति इन सब बातों पर विचार करेगी ।

**श्री रंगा :** क्या मंत्री महोदय को इसकी सूचना मिली है कि एक भूतपूर्व मंत्री ने, जो कि आन्ध्र प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस समिति का प्रधान है, खुले आम यह शिकायत की है, और जो समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुई थी कि सहकारी स्टोरों द्वारा दिये गये तथा कथित उर्वरक को जब खोला गया तो उसमें पता लगा कि 50 प्रतिशत तक लवण था और केवल शेष मात्रा उर्वरकों की थी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने इस प्रतिवेदन को नहीं देखा है। चूंकि माननीय सदस्य ने मुझे इसकी सूचना दी है, मैं निश्चय ही इसकी जांच करूंगा।

### राज्यों में सहकारी समितियां

+

\* 1035. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :  
श्री रामेश्वर टांटिया :  
श्री सुबोध हंसदा :  
श्री स० चं० सामन्त :  
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि वे कमजोर और मोरीबंद सहकारी समितियों के परिसमापन के कार्यक्रम की गतिविधि में तेजी लायें ताकि प्राथमिक स्तर पर कृषि ऋण के सहकारी ढांचे को सुव्यवस्थित किया जा सके ;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में शिथिल समितियों की प्रतिशतता का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) क्या राज्यों को वृद्धिक्षम और सक्रिय समितियों को वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत होने के केन्द्र का निर्णय बताने वाले निदेश दे दिये गये हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

### विवरण

जून, 1964 में हुए सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में किए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे उन समितियों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करें जो चल सकने योग्य हैं तथा जिनके बने रहने की सम्भावना है। शेष समितियों में जो शिथिल हैं उन्हें परिसमाप्त किया जाना है और जो कमजोर हैं उन्हें मिला दिया जाना है।

2. दिसम्बर, 1964 में वार्षिक योजना सम्बन्धी चर्चा के समय सर्वेक्षण कार्य में हुई प्रगति की समीक्षा की गई थी। यह पता चला था कि कुछ राज्य सरकारों ने सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया था जबकि कुछ राज्यों में सर्वेक्षण कार्य आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद शुरू किया जाना था। हाल ही में उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्थिति यह है कि छः राज्यों में सर्वेक्षण कार्य लगभग पूरा हो गया है और दूसरे राज्यों में चल रहा है। परिसमाप्त की जाने वाली शिथिल समितियों की कुल संख्या का पता सर्वेक्षणों के पूरे होने पर चलेगा।

3. सरकार उस सहायता के स्केल के पुनरीक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो कि चल सकने की सम्भावना वाली सेवा सहकारी समितियों को पूर्णकालिक वैतनिक सचिव रखने से होने वाली कमी को पूरा करने हेतु 3 से 4 वर्ष की सीमित अवधि के लिए जब तक कि वे अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती हैं, दी जानी है।

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** जहाँ तक सहकारी समितियों का सम्बन्ध है, राज्यों में अब तक किये सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप किन मुख्य बातों का पता लगा है जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है तथा दोषों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**श्री शिन्दे :** जैसा कि विवरण में लिखा है, सर्वेक्षण आरम्भ किया गया है और यह अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। लेकिन प्रारम्भिक प्रतिवेदन से पता लगता है कि अनेक राज्यों में निष्क्रिय समितियों की संख्या बहुत है। पूर्व तथा उत्तर भारत के कुछ राज्यों में यह संख्या विशेषतः अधिक है।

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** श्रम मंत्री के उस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए जिसमें सारे भारत में मजदूरों को यह आश्वासन दिया गया है कि उनको अत्यावश्यक वस्तुएं, विशेषतः अनाज सहकारी समितियों के जरिये दिया जायेगा, सहकार विभाग ने इन्हें वित्तीय सहायता देने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की है ?

**श्री शिन्दे :** कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ विपणन अथवा ग्रामीण सेवा समितियाँ उपभोक्ता वस्तुओं का संभरण कर रही हैं, उन्हें कुछ वित्तीय सहायता दी जा रही है।

**श्री सुबोध हंसदा :** मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि इन समितियों की निष्क्रियता के क्या कारण हैं तथा यह कहा कि केवल प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध है। विवरण में यह कहा गया है कि छः राज्यों में सर्वेक्षण पूरा हो गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस निष्क्रियता के लिये इन सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देने की वर्तमान कार्य-व्यवस्था भी उत्तरदायी है ?

**श्री शिन्दे :** समिति ही निष्क्रियता के लिये मुख्यतः स्थानीय ढांचा तथा नेता उत्तरदायी हैं। जहाँ तक वित्तीय सहायता का सम्बन्ध है सारे देश में एक समान व्यवस्था है। यदि मान लें कि कुछ क्षेत्रों में एक व्यवस्था, समितियों के लिये सुचारू रूप से काम करने में सहायक सिद्ध हुई है तो कोई कारण नहीं कि वही व्यवस्था अन्य प्रदेशों में सहायक न हो। इसलिये सहकारिता आन्दोलन तथा सहकारिता नेतृत्व का अध्ययन करने से मालूम हुआ है कि मुख्य कारण स्थानीय स्तर पर कमजोर नेतृत्व है ?

**श्री स० चं० सामन्त :** मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वित्तीय रूप में कमजोर और नाजुक स्थिति की सहकारी समितियों को, जो भविष्य में बन्द की जा रही हैं, प्रोत्साहित करने के लिये बार बार वित्तीय सहायता दी गई थी ?

**श्री शिन्दे :** कुछ समितियों को वित्तीय सहायता दी गई थी ; लेकिन अब पुनरीक्षण किया जा रहा है तथा निष्क्रिय समितियों की वित्तीय सहायता बन्द करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

**Shri Vishwa Nath Pandey:** In the statement laid on the Table of the House by the Hon. Minister it has been stated that according to the latest available information survey has been completed in six States and in others it is in progress. May I know the reaction of the States where survey has been completed and the names of the States where it is in progress and when the report thereon is likely to be received?

**श्री शिन्दे :** वास्तव में सर्वेक्षण सब प्रकार से पूर्ण नहीं है; लेकिन प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरा हो गया है तथा राज्यों के नाम हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, केरल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। लेकिन कुछ राज्यों में सर्वेक्षण भी केवल प्रारम्भिक है।

**श्री श्रीनारायण दास :** मिर्धा समिति भी इस मामले पर विचार कर रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने निष्क्रिय समितियों की संख्या का पता लगाया है; यदि हाँ, तो क्या उन्होंने कोई उपाय सुझाये हैं ?

**श्री शिन्दे :** मिर्धा समिति अभी भी उस को सौंपे गये विषयों पर विचार कर रही है। उन्होंने अभी तक अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है। और फिर मिर्धा समिति के विचारार्थ विषय वह नहीं हैं जो माननीय सदस्य ने बताये।

**श्री गौरी शंकर कक्कड़ :** प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदन के अनुसार ऐसी समितियों की वास्तविक कार्यकर पूजा तथा शेर पूजा कितनी है ?

**श्री शिन्दे :** इसका हिसाब लगाना पड़ेगा।

**Shri Sarjoo Pandey:** The hon. Minister said in his statement that a survey is being made to detect the dormant societies with a view to merge them with bigger societies. May I know whether the factors responsible for the dormant conditions of the societies had also been investigated and whether Government have come to know that societies are becoming defunct on account of political interference? If so, the measures taken by Government in this direction?

**श्री शिन्दे :** जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि एक मुख्य कारण स्थानीय नेतृत्व है। और भी कारण हैं; उदाहरण के लिये यदि स्थानीय नेतृत्व कमजोर है तो अवश्य ही समितियाँ निष्क्रिय हो जायेंगी।

**श्री मान सिंह प० पटेल:** कृषि संबंधी सेवा समितियों, वस्तुओं के राशन आदि जटिल कामों के लिये एक प्रकार की ही सहकारी समिति बनाने के बारे में सरकार का क्या निश्चित विचार है?

**श्री शिन्दे** वास्तव में समितियों का स्वरूप ऐसा ही है जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाया।

गेहूँ के जहाजों का अन्य स्थानों को भेजा जाना

+  
\* 1037. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :  
श्री चांडक :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1965 में सरकार ने पाकिस्तान सरकार से प्रार्थना की थी कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत पाकिस्तान द्वारा आयात किये गये अमरीकी गेहूँ से लदे जेहाजों को भारतीय पत्तनों को भेज दिया जायें ;

(ख) प्रार्थना के परिणामस्वरूप भारत को कितना गेहूँ दिया गया ;

(ग) क्या भारत सरकार ने भारत में खाद्य स्थिति में सुधार होते ही पाकिस्तान को गेहूँ वापस करने का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया है; और

(घ) पाकिस्तान ने जो गेहूँ आयात किया है उसे भारत भेजने के करार की विशिष्ट शर्त क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री ( श्री दा० रा० चह्वाण ) : (क) जी, हां।

(ख) 37,117 टन।

(ग) भारत सरकार पाकिस्तान सरकार के अप्रैल, 1965 के अन्त तक गेहूं वापस करने के सूझाव को मान गयी।

(घ) करार की मुख्य शर्तें संक्षिप्त रूप में नीचे दी जाती हैं :

- (1) बदलने के खर्च का भुगतान भारत अमरीकी सरकार द्वारा पी० एल० 480 के अन्तर्गत भारत के लिए अधिकृत निधि में से करेगा।
- (2) गेहूं के मोड़ने से सम्बन्धित प्रासंगिक खर्च पाकिस्तान सरकार द्वारा दिये जायेंगे और माल के बदलाव के बारे में इसी प्रकार के खर्च भारत सरकार द्वारा दिये जायेंगे।
- (3) मोड़े गये जहाजों के माल का भाड़ा भारत सरकार द्वारा बहन किया गया है और माल के बदलाव का भाड़ा पाकिस्तान सरकार द्वारा दिया जाएगा। पाकिस्तान सरकार द्वारा देय अधिक भाड़ा यदि कोई हो तो उसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत ने पहले भी कुछ अवसरों पर पाकिस्तान को खाद्य-फसलें दी थीं, यदि हां, तो क्या यह भारत द्वारा पहले प्रकट की गई सद्भावना का बदला है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मुझे नहीं मालूम यदि हमने पाकिस्तान को अनाज दिया है; लेकिन हमने अन्य देशों को अवश्य दिया था।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार को छूट थी कि बदले में खाद्य-फसलें देने की बजाय पाकिस्तान को कोई और वस्तु दे दें ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : नहीं, श्रीमान् ; यह गेहूं पाकिस्तान को पी० एल० 480 के अन्तर्गत भेजा जा रहा था और हमने इसे यहां संकट के कारण मंगा लिया। अतएव, उनको बदले में पी० एल० 480 के अन्तर्गत प्राप्त गेहूं ही दिया जायेगा।

श्री बी० चं० शर्मा : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से ऐसा मालूम होता है कि यह विशेष तथा निश्चित नियमों के अन्तर्गत एक साधारण व्यापारिक सौदा था। क्या सरकार को यह मालूम है कि पाकिस्तान ने इसको भारत के असंख्य भूखे व्यक्तियों की सहायता के लिए मानवोचित कार्य का रूप दे दिया ; यदि हां, तो पाकिस्तान द्वारा रेडियो से तथा समाचार-पत्रों में किये गये इस प्रचार के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह नियमित व्यापारिक सौदा नहीं है ; गेहूं का जहाज जो पाकिस्तान जा रहा था भारत की ओर मोड़ दिया गया था। हमें यह मानना पड़ता है कि उस हद तक पाकिस्तान हमारी कठिनाइयों पर विशेषतः मुझ पर दयालु रहा है। मैं नहीं समझता कि हमें यह स्वीकार नहीं करना चाहिये।

Shri Onkar Lal Berwa: May I know whether the wheat was directed at the instance of America or on our request?

श्री वि० सुब्रह्मण्यम : हमने प्रार्थना की तथा अमरीका की सहमति से पाकिस्तान द्वारा यहाँ भारत भेजा गया ।

**Pay Scales of Employees of Khadi and Village Industries Commission**

+

\*1038. { Shri Madhu Limaye:  
          { Shri Bagri:  
          { Shri Kishen Pattnayak:

Will the Minister of Social Security be pleased to state:

(a) whether Government have received the report of the committee appointed to look into the pay-scales of employees of Khadi Commission;

(b) if so, whether the said committee has given any suggestion regarding the date from which recommendations of the Pay Commission should be implemented; and

(c) the total additional amount that Government will have to pay as arrears to the employees, if that suggestion is accepted?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री ( श्री जगन्नाथ राव ) : (क) समिति की रिपोर्ट खादी और ग्रामोद्योग आयोग को प्राप्त हो गई है और उस के विचाराधीन है ।

(ख) समिति ने 1-7-59 से वेतन की दरों में संशोधन करने की सिफारिश की है ।

(ग) आयोग द्वारा लगभग 12 लाख रुपये देने होंगे ।

**Shri Madhu Limaye:** Mr. Speaker, Sir, in a written reply to my question on 23rd March, it was stated that since the Khadi and Village Industries Commission is an autonomous body, the recommendations of the Pay Commission as such could not be made applicable. It was also stated that the decision to give effect to these recommendations w.e.f., 1963 was taken jointly by the Commission and the Government. On one hand Government plead that recommendations pertaining to them can not be made applicable to the Commission, on the other later on it is said that the decision to give effect to these recommendations has been taken jointly by the Government and the Commission. My point is when their sub-committee decided to give effect to these recommendations w.e.f. 1959, why the Government did not implement it and a reply far from the factual position was given to us?

श्री जगन्नाथ राव : इसमें कोई भी असंगत बात नहीं है । जहां तक 23 मार्च, के प्रश्न के उत्तर का सम्बन्ध है, वह वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में था । उत्तर यह दिया गया था कि खादी आयोग कैसे दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए बाध्य नहीं है, जो केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू

होती हैं। लेकिन यह प्रश्न खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा नियुक्त वेतन पुनरीक्षण समिति के बारे में है। इस समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है और सिफारिशों को 1 जुलाई, 1963 से लागू करने का निश्चय किया गया है।

**Shri Madhu Limaye:** Mr. Speaker, my question was whether this decision was taken jointly by the Khadi and Village Industries Commission and the the Government or solely by Government. The Commission as well as their Committee had suggested the implementation of the recommendations w.e.f. 1959 and the payment of arrears to the employees arising as a result thereof. But now we are informed that though the Committee had suggested, this decision was taken jointly by the Commission and the Government since it is an autonomous body.

**श्री जगन्नाथ राव :** इस वेतन पुनरीक्षण समिति ने 1 जुलाई, 1959 से वेतन-क्रमों के बदलने का सुझाव दिया था। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के प्रधान ने वित्त मंत्री से विचार-विमर्श किया था। उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया था कि 1 जुलाई, 1959 से वेतन-क्रमों के बदलने से आयोग पर भारी वित्तीय भार पड़ेगा। अतएव, यह निर्णय किया गया कि यह सिफारिश 1 जुलाई, 1963 से लागू की जाये और यह भी निर्णय किया गया था कि 1-7-1959 से कर्मचारियों को अनुग्रहात एक मुश्त रकम दे दी जाये।

**Shri Kishen Patanayak:** My question is why a lump sum payment was made. Had the arrears been calculated properly these would have amounted to Rs. 20 lakhs instead of Rs. 12 lakhs?

**श्री जगन्नाथ राव :** जैसा मैंने कहा प्रश्न अतिरिक्त वित्तीय भार उठाने की क्षमता का था। अतएव, यह निश्चय किया गया कि कुछ करना ही है तथा अनुग्रह के रूप में उनको इकट्ठी एक राशि दे दी जाये।

#### खड़ी फसलों को नुकसान

- \*1039 {
- श्री श्री नारायण दास :
  - श्री लखमू भवानी :
  - श्री कृष्णपाल सिंह :
  - श्री यशपाल सिंह :
  - श्री कपूर सिंह :
  - श्री प्र० च० बरुआ :
  - श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
  - श्री विश्वनाथ पांडेय :
  - डा० राम मनोहर लोहिया :
  - श्री किशन पटनायक :
  - श्री राम सेवक यादव :
  - श्री बागड़ी :
  - श्री रघुनाथ सिंह :
  - श्री युद्धवीर सिंह :



श्री श्रींकार लाल बेरवा :  
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :  
श्री सरजू पांडेय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965 में फरवरी, मार्च और अप्रैल के शुरू में वर्षा और ओलों के कारण खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में कितना-कितना नुकसान हुआ है।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) अब तक प्राप्त रिपोर्टों से पता चला है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश के राज्यों में खड़ी फसलों को कुछ हानि हुई है।

(ख) हानि के मात्रा सम्बन्धी अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। किसी समय जून, 1965 में जब रबी फसलों के उत्पादन के अन्तिम अनुमान उपलब्ध होंगे तभी हानि का कुछ अन्दाजा लगाया जा सकेगा।

श्री श्रीनारायण दास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन राज्यों में से किसी में इस प्रकार की प्राकृतिक विपदा के मामले के लिए किसानों को मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : कोई मुआवजा नहीं; लेकिन मुझे बताया गया है कि राज्य सरकारें लगान में छूट देती हैं।

श्री श्रीनारायण दास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ऐसे राज्यों की सहायता करने का विचार कर रही है, जो फसल बीमे की व्यवस्था करेंगी?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : फसल बीमा प्रणाली विचाराधीन है। जैसा मैं पहले एक बार कह चुका हूं हमारा विचार पंजाब में एक प्रारंभिक योजना आरंभ करने का है।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि सारे भारत को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष इन विपदाओं के कारण गेहूं की फसल के बारे में क्या संभावना है? क्या पिछले वर्ष की तुलना में अधिक फसल होगी?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पिछले वर्ष उत्पादन लगभग 97 लाख टन हुआ था। इस वर्ष 115 लाख टन उत्पादन होने की आशा है।

**Shri Buta Singh:** Recently in Punjab the entire wheat crop was destroyed by a hail-storm. In spite of this the State's Minister said that there was not much damage. I want to know how this assessment was made.

**Mr. Speaker:** The Central Government have no separate machinery of its own for this purpose. Whatever information was received from the State Government, he has given here.

**Shri Jagdev Singh Siddhanti:** The State's Ministry furnished, an incorrect report and heavy damage has been caused. May I know

whether Central Government will give any compensation for and if they do not want to give any relief let them at least protect the cultivators against the fall in the price of wheat?

**Mr. Speaker:** This is a suggestion.

**श्री भागवत झा आजाद :** माननीय मंत्री ने लगान में छूट का उल्लेख किया। क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि ऐसे मामलों में लगान में छूट से अभिप्राय केवल यह होता है कि लगान की वसूली स्थगित कर दी जाती है तथा किसान को अपनी हानि पूरी करने का अवसर नहीं मिलता। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि ऐसी प्राकृतिक विपदा के मामले में भूमि का लगान बिल्कुल माफ कर देना चाहिये तथा अगले वर्ष उसकी वसूली नहीं होनी चाहिये ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** मैं मद्रास के बारे में कह सकता हूँ। वहाँ वसूली स्थगित करने जैसी बात नहीं है। यह क्षति पर निर्भर करता है। यदि बहुत भारी क्षति हो तो सारा लगान माफ कर दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि अन्य राज्यों में भी ऐसी ही प्रणाली होनी चाहिये।

**Shri Yashpal Singh:** The Government officials have expressed their inability to visit all the places hit by the hail-storm. So, my point is then what relief will be given to them by the Government?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** यह तो राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है और मैं नहीं समझता कि मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ।

**Shri Yudhvir Singh:** On the one hand, Government have stated that standing crops were damaged in some of the States due to hail-storm, but that the assessment of damage had not been made while on the other hand, they say that assessment will be made only after the harvest had been reaped. May I know the method proposed to be adopted by Government so as to make an assessment of the damage so caused?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** राज्यों के राजस्व अधिकारी ही ऐसी हानि का अनुमान लगाते हैं।

**Shri Yudhvir Singh:** If my question was to be answered in this way; why it was at all admitted?

**Mr. Speaker:** The centre had no other method of assessment except to call for a report from the states.

**श्री कपूर सिंह :** माननीय सदस्य का कहना है कि फसल आने के बाद आप रिपोर्ट नहीं मांग सकते हैं। क्योंकि आप को उस समय विदित नहीं हो सकता कि हुआ क्या था।

**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने फसलों का अनुमान पहले ही लगा लिया होगा, फसल कटने पर वे यह पता लगा सकते हैं कि वास्तविक उत्पादन कितना हुआ तथा यदि कोई हानि हुई तो कितनी।

**Shri Hukam Chand Kachhawaiya:** The Punjab Minister had stated that no damage had been caused to the crops.

**Shri Sarjoo Pandey:** The Minister has stated that some States have suffered loss due to hail-storm and rains, but he has no information about the actual loss so suffered. May I know whether for that reason Government propose to increase wheat quota for deficit States?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** हम कमी वाले क्षेत्रों में आगामी वर्ष से पहले उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं। किन्तु उन्हें उस सीमा तक ही अधिक कोटा दिया जायेगा जितना वहां नुकसान हुआ है।

**श्री पें० वेंकटासुब्बय्या :** जिन राज्यों में वर्षा तथा ओलों से फसल नष्ट हो गई है वहां भू-राजस्व में छूट देने के अतिरिक्त किसानों को अपनी खेती का कार्य करने के लिए "तकावी" ऋण तथा अन्य प्रकार की कोई वित्तीय सहायता दी गई है ?

**Dr. Ram Manohar Lohia:** According to official figures 30,000 people died during last year due to famine. May I know the arrangements being made to have proper distribution during August next so as to prevent such deaths?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि इस प्रकार के आंकड़े कहीं प्रकाशित किये गये हैं। मेरी जानकारी के अनुसार अगस्त 1964 में भूख से कोई व्यक्ति नहीं मरा।

**Dr. Ram Manohar Lohia:** I have already said in my speech that in August 1963 death rate was 12:8 and that the death rate in August, 1964 was 12:7. These are the figures of 250 Municipal bodies. But the hon. Minister does not pay any attention to it. These are their own figures.

**Mr. Speaker:** You may write to me about it in detail.

**श्री कपूर सिंह :** पंजाब में किसानों को लगान में छूट देने के अतिरिक्त, जैसा कि वहां किया जा रहा है, क्या सरकार उपयुक्त मामलों में प्रतिकरात्मक अनुदान देने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** यह राज्य सरकार का काम है। यदि वे इस बारे में कोई प्रस्ताव रखेंगे तो हम उस पर विचार करेंगे।

**Shri Vishwa Nath Pandey:** The hon. Minister has stated that he has so far not got the actual figures of damage suffered by the States. May I know whether Government have ascertained position from State Governments as to the area and the nature of crops affected by the hail-storm?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** जहां तक ओलों से हुई हानि वाले क्षेत्र का सम्बन्ध है हमें इस बारे में राज्यों से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। फसलों को होने वाली हानि का अनुमान फसल कटने के बाद ही लग सकता है।

**Shri Rameshwaranand:** On a point of order, may I know how the hon. Minister can assess the damage after the harvest season is over?

## अनाज संग्रह प्रणाली

+

\*1040. { श्री विश्वनाथ पांडेय :  
श्री श्री नारायण दास :  
श्री कनकसबं :  
श्री तुला राम :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अनाज के संग्रह तथा वितरण की पद्धति की जांच करने के लिए एक अध्ययन दल की नियुक्ति की है जिसमें स्वीडिश विशेषज्ञ भी शामिल हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति में कौन-कौन सदस्य होंगे; और

(ग) समिति कब तक अपना प्रतिवेदन पेश करेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री ( श्री दा० रा० चह्वाण ) : (क) जी, हां ।

(ख) दल में तीन भारतीय और तीन स्वेडन के विशेषज्ञ होंगे । दल के भारतीय सदस्य इस प्रकार हैं :-

श्री के० डी० एन० सिंह—उपमहानिदेशक (खाद्य )

डा० एस० वी० पिंगले—निदेशक, संग्रहण तथा निरीक्षण

श्री वो० मुथाचन—अपर मुख्य इंजीनियर,

केन्द्रीय सरकारी निर्माण विभाग ।

दल के स्वीडिश विशेषज्ञ निम्न प्रकार हैं:—

श्री टोर ओलवेज़र—(संग्रहण विशेषज्ञ )

श्री अग्ने निबर—(संग्रहण विशेषज्ञ )

श्री ओल्लर लंडनमार्क —(सस्य विज्ञानी )

(ग) आशा है कि अध्ययन दल दिसम्बर, 1965 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा ।

**Shri Vishwa Nath Pandey:** May I know the places where the study team has examined this system?

**Shri D. R. Chavan:** It has yet to examine the system.

**Shri Vishwanath Pandey:** May I know the reasons for inviting only the Swedish experts when the foodgrains procurement policy pursued in America and Australia was admitted to be the best.

श्री दा० रा० चह्वाण : स्वीडन की सरकार ने भारत को अनाज संग्रह प्रणाली की सुविधाओं का विकास करने के लिये स्वयं सहायता देने की इच्छा प्रकट की थी तथा वे हमारी सहायता करने के लिये तैयार हैं ।

**श्री श्रीनारायण दास :** क्या इस बीच इस कार्य के लिये कोई दूसरी समिति भी नियुक्त की गई थी और यदि हां, तो क्या समिति द्वारा दिये गये सुझावों को क्रियान्वित किया गया है ?

**श्री दा० रा० चह्वाण :** मैं समझता हूँ कि और कोई दूसरी समिति नियुक्त नहीं की गई।

**श्री रंगा :** एक समिति ने तो रिपोर्ट दी थी। सरकार एक स्थायी तथा चालू संस्था समझी जाती है। मंत्री बदल जाने पर सरकार तो नहीं बदलती।

**खाद्य तथा कृषि मंत्री ( श्री चि० सुब्रह्मण्यम ) :** संग्रह सुविधाओं के बारे में रिपोर्टें मिली हैं किन्तु किसी विशेष परियोजना की रूपरेखा तैयार नहीं की गई है। समिति विभिन्न स्थानों को चुनने तथा परियोजना को कार्यरूप देने के लिये विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिये नियुक्त की गई है।

**श्री पु० र० पटेल :** हम संग्रह तथा वितरण के संबंध में विशेषज्ञों की सलाह ले रहे हैं। क्या इस देश में अनुभव अथवा जानकारी की कमी है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** हम भारत में 'साइलो' के रूप में नये किस्म के संग्रह भंडार बनाना चाहते हैं। भारत में अभी तक 'साइलो' नहीं बनाये गये हैं। अतः हमें इस संबंध में नई जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी।

**श्री रघुनाथ सिंह :** क्या इस दल को उष्ण जलवायु के बारे में अनुभव है तथा क्या उन्होंने कहीं उष्ण जलवायु में कार्य किया है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** यह 'साइलो' बनाने से संबंधित है चाहे वह उष्ण जलवायु में हो अथवा शीत जलवायु में। हमें बाद में अनाजों को सुरक्षित रखने के लिये रसायनिक कीटनाशि आदि का उपयोग जैसे अन्य उपाय अपनाने होंगे और उनका पृथक् अध्ययन करना पड़ेगा।

**Shri Rameshwaranand:** We always seek the assistance of foreigners while starting every project. May I know whether we did not know previously how to store grains? Why the foreign experts have been consulted in this regard?

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दिया जा चुका है। प्रश्न के केवल दूसरे भाग का उत्तर दिया जाये।

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** मैं बता चुका हूँ कि यह अनाजों को साइलो में बड़ी मात्रा में संग्रह करने के लिये नये तरीके से संबंधित है। गांवों में थोड़ी मात्रा में अवश्य अनाज का संग्रह किया जाता है किन्तु हम बड़ी मात्रा में अनाजों का संग्रह करना चाहते हैं।

**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या यह समिति सहकारी विभाग, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा भांडागार निगम जैसी संस्थाओं द्वारा अपनाई जा रही द्विकृति संग्रह कार्यवाहियों के प्रश्न पर भी विचार करेगी और यदि हां, तो इस संबंध में क्या सिफारिशें की जायेंगी ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** यह समिति पत्तन क्षेत्रों में साइलो बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। क्योंकि वहां पर टैकरों से भारी मात्रा में आयात किया जाने वाला सामान उतारा जाता है। यह आन्तरिक संग्रह प्रणाली पर विचार नहीं करेगी।

**श्री हिम्मतसिंह जी :** कांडला पत्तन में एक साइलो बनाने का प्रस्ताव था। क्या यह भी इस योजना में शामिल किया जाएगा ?

**Shri Onkar Lal Berwa:** May I know whether it is proposed to have plastic storage system?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** हमारे यहां प्लास्टिक स्टोर बहुत छोटे पैमाने पर बनाये गए हैं और वह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।

**Shri Hukam Chand Kachhavaia:** May I know the time by which this work will be undertaken, how much it will cost and when it will give full benefit?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** रिपोर्ट दिसम्बर, 1965 तक प्राप्त हो जायेगी। इसके तुरन्त बाद ही कार्य किया जाएगा।

**श्री ल० ना० विद्यालंकार :** इस प्रकार की संग्रह प्रणाली से लागत में कितनी बचत होने की आशा है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** अच्छी तरह संग्रह न करने से अनाज की 3-4 प्रतिशत मात्रा का नुकसान होने का अनुमान है। अच्छी तरह संग्रह करने से यह बचत हो जायेगी।

**श्री भागवत झा आजाद :** मंत्री महोदय ने बताया है कि स्वीडन सरकार द्वारा सहायता देने की इच्छा व्यक्त की जाने पर उससे सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। इस विशेष परियोजना के संबंध में भारत सरकार तथा स्वीडन की सरकार के बीच यदि कोई वित्तीय समझौता हुआ है तो वह क्या है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** इस परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा, स्वीडन की सरकार द्वारा, ऋण के रूप में दी जायेगी।

**श्री विश्वनाथ राय :** सरकार द्वारा संग्रह के बारे में स्थायी निर्णय करने के बाद भी इसे कार्य रूप देने में इतना विलम्ब क्यों हुआ ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि माननीय सदस्य किस विलम्ब का उल्लेख कर रहे हैं। हमने संग्रह प्रणाली के प्रश्न पर विचार करने के लिये हाल में यह दल नियुक्त किया। दल की रिपोर्ट प्राप्त होते ही उसे कार्यरूप देने का काम आरम्भ किया जायेगा। जहां तक आंतरिक संग्रह प्रणाली का सम्बन्ध है हम कार्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं।

**श्रीमती यशोदा रेड्डी :** इस समय संग्रह संबंधी क्या प्रणाली अपनाई जा रही है तथा देश में अच्छी संग्रह प्रणाली न होने से कितनी हानि हो रही है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** इस समय हम बोरो में अनाज भर कर संग्रह करते हैं। इससे बोरो पर तथा उनकी ढुलाई पर अतिरिक्त खर्च होता है इसकी तुलना में अधिक मात्रा में एक साथ संग्रह करने की प्रणाली अधिक सरल है।

**Shri Buta Singh:** May I know the nature of assistance expected from the Swedish Government apart from the advice to be given by them?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस पर रिपोर्ट प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा ।

**Shri Sarjoo Pandey:** Whenever such problems arise, some committees are formed by the Cabinet and the members of such committee are given T.A. and D.A. allowances. May I know the difficulties of Government in the matter storage and distribution of food grains for which this committee has been appointed?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: आजकल गेहूँ 'टैंकरो' में भारी मात्रा में लाया जाता है। इसे पत्तन में ही उतारना तथा संग्रह करना पड़ता है। इस समय हमें गेहूँ उतारने के बाद बोरों में भर कर पत्तन से तुरन्त अन्य स्थानों को भेजना पड़ता है जिससे कठिनाई होती है। इसीलिये हम गेहूँ को पत्तनों पर ही संग्रह करने के बाद में सुविधा से भेजने का प्रयत्न कर रहे हैं।

#### फार्म-उत्पादों की कीमतों सम्बन्धी प्रतिवेदन

\*1041. { श्री पें० वेंकटासुब्बया :  
श्री प्र० चं० बरुआ :  
श्री रवीन्द्र वर्मा :  
श्री कृ० चं० पन्त :  
श्री म० रं० कृष्ण :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फार्मों के उत्पादकों की कीमतों के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिये अमरीकी विशेषज्ञों का जो दल छः महीने पूर्व नई दिल्ली आया था क्या उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग) ऐसा कोई भी विशेषज्ञ, जिसकी प्रश्न में अभिकल्पना की गयी है, भारत में नहीं आया। तथापि, यू० एस० ए० आई० डी० के तत्वाधान में कुछ विशेषज्ञ जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु उधार निगम के विशेषज्ञ भी थे अगस्त से नवम्बर, 1964 में भारत आये और उन्होंने खाद्य निगम और उसके कार्य चालन के कुछ पहलुओं के बारे में भारत सरकार को परामर्श दिया। इन विशेषज्ञों ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : कृषि वस्तुओं के निम्नतम भाव निर्धारित करने में इस प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत क्या सरकार ने उसकी यात्रा का पूरा लाभ उठाया है ? करके अमरीक में इन भावों को निश्चित करने के बारे में इस दल का क्या अनुभव है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री ( श्री चि० सुब्रह्मण्यम ) : प्रश्न के मुख्य उत्तर में बताया गया है कि इन लोगों ने खाद्य निगम के संगठन तथा उसके कार्यों की जांच की थी। हम ने निम्नतम मूल्यों के लिये कृषि मूल्य आयोग नियुक्त किया है जो भावों को निर्धारित करने के बारे में विचार करेगा।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : उन के साथ हुई बातचीत के दौरान क्या सरकार को मालूम हुआ है कि विभिन्न कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने में इनका कितना अनुभव है क्योंकि कृषि मूल्य आयोग ने इस आधार पर मूल्य निर्धारित किए हैं? क्या किसानों के प्रतिनिधि भी आयोग में हैं? इस सम्बन्ध में विदेशों के बारे में उन के क्या अनुभव हैं?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कृषि मूल्य आयोग में केवल तकनीकी विशेषज्ञ ही लिये जाते हैं किन्तु उत्पादन लागत का मूल्यांकन करने के लिए वास्तविक रूप से खेती करने वाले किसान उनकी सहायता करते हैं। इसके लिए हम ने ऐसे किसानों की एक तालिका बनाई है जो भाव निर्धारित करने में मूल्य आयोग की सहायता करेंगे ।

श्री पु० र० पटेल : माननीय उपमंत्री ने कहा है कि जो लोग अमरीका से आये थे उन्होंने कुछ सलाह दी थी। उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों को लाभ प्रद मूल्य देने के संबंध में प्रतिनिधि मंडल ने क्या सलाह दी है, और क्या उस ने यह भी सलाह दी है कि भारत में भी मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में कृषक-संगठनों से उसी प्रकार सहयोग किया जाए जिस प्रकार अमरीका में कृषि संगठनों से लिया जाता है तथा भारत में किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पूरा ऋण दिया जाय ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह स्पष्ट है कि बिना इन बातों के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती है । हम भी इन्हीं बातों को कार्यरूप देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार अमरीका की पद्धति के समान ही कृषि मूल्यों में फसल के लिए तथा अन्य कामों के लिए कृषकों को सहायता देगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम अपने देश में अमरीका का अनुसरण नहीं कर सकते । वहां केवल 7 प्रतिशत लोग खेती करते हैं । इस प्रकार यह सहायता अमरीका की 93 प्रतिशत जनता देती है । किन्तु भारत में अधिकांश लोग खेती करते हैं अतः प्रश्न यह उठता है कि कौन किसको सहायता दे ?

श्री क० ना० तिवारी : क्या विशेषज्ञ दल ने भारत में उत्पादन लागत का अध्ययन किया और यदि हां, तो इस के बारे में उनका क्या विचार है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उन्होंने उत्पादन मूल्य के बारे में विचार नहीं किया । इस सम्बन्ध में विचार करने के लिए कृषि आयोग नियुक्त किया गया है ।

**Dr. Ram Manohar Lohia:** May I know whether Government have received any recommendations regarding a possible ration between the agricultural prices and industrial prices; and if so, the action taken by the Government thereon?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कृषि मूल्य आयोग के निदर पदों में औद्योगिक मूल्यों को ध्यान में रख कर मूल्य निर्धारित करना तथा इन दो मूल्यों के बीच समानता बनाये रखना भी शामिल है ।



**Dr. Ram Manohar Lohia:** I could not hear whether these Industrial prices will remain high?

**Mr. Speaker:** He has replied that one of the terms of reference is that Agricultural prices should be fixed in view of the Industrial prices.

**Dr. Ram Manohar Lohia:** In other words it has increased.

श्री अल्वारेस : क्या कृषि मूल्य आयोग लाभप्रद मूल्यों के बारे में सिफारिश करते समय उत्पादन पूंजी आदि पर भी विचार करेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां ।

**Shri Yashpal Singh:** May I know whether this team has made any recommendations to the effect that farmers should also be made entitled to share the profits earned by the Government on foodgrains due to higher selling prices during the course of a year as these foodgrains are procured by the Government at a cheaper rate from the farmers?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस सम्बन्ध में इस दल ने कोई सिफारिश नहीं की है ।

श्री रंगा : क्या सरकार की नीति कृषि मूल्यों तथा औद्योगिक मूल्यों के बीच यथाशीघ्र समानता लाने की है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सरकार की यही मूल नीति है ।

#### Rabi Crop

\*1042. { **Shri Yudhvir Singh:**  
**Shri Jagdev Singh Siddhanti:**  
**Shri D. C. Sharma:**

Will the Minister of **Fod and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether a proper evaluation of Rabi crop has been made by Government upto the 15th April, 1965;

(b) the estimated quantity of foodgrains likely to be produced; and

(c) the extent to which it would help to solve the food problem?

खाद्य और कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री ( श्री दा० रा० चह्वाण ) : (क) से (ग) तक जी नहीं । सहसा चुने गये खेतों पर वास्तविक फसल कटाई के आधार पर ही रबी की फसल का ठीक मूल्यांकन करना सम्भव है किन्तु उसके नतीजे अभी तक राज्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर भी वर्तमान संकेतों से पता चला है कि 1964-65 के दौरान मुख्य रबी खाद्यान्नों का उत्पादन गत वर्ष के उत्पादन की अपेक्षा 15 प्रतिशत अधिक होने की संभावना है । चालू वर्ष में खाद्यान्नों के अधिक उत्पादन से खाद्य स्थिति के सुधार में सहायता मिली है ।

**Shri Yudhvir Singh:** Every year it is seen that when there is a poor crop or it is damaged due to heavy rains or floods, it is an excuse to the Government under the cover of Nature's Wrath and when there is a rich crop it is only due to the creditable performance of Government by way of their advancing loans to farmers or providing other means of assistance to them. May I know whether this 15 per cent higher production is due to assistance extended by the Government to the farmers or it is the result of their own efforts and nature's favour? May I also know whether Government are prepared to lay on the

Table of the House a copy of the report showing full details of the crop after the results become available?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसकी उल्टी बात सच थी । जब कभी उत्पादन में कमी होती है, तो सरकार पर आरोप लगाया जाता है और जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो यह कहा जाता है कि यह प्रकृति के कारण हुआ है, इसलिए जब कभी भी उत्पादन में वृद्धि होती है, तो सरकार को उसका श्रेय नहीं मिलता ।

### प्रश्नों के लिखित उत्तर

#### WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

##### पटसन की खेती का क्षेत्रफल

\*1036. { श्री रामचन्द्र उलाका :  
श्री घुलेश्वर मोना :  
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) 1964-65 में उड़ीसा में कुल कितने एकड़ भूमि में पटसन की खेती की गई;  
(ख) उक्त अवधि में उड़ीसा में कुल कितना पटसन पैदा हुआ;  
(ग) क्या पिछले वर्षों की अपेक्षा पटसन का उत्पादन कम हुआ है; और  
(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) 0.55 लाख हैक्टेयर्स ।

(ख) 4.15 लाख गांठ (अनन्तिम) ।

(ग) 1964-65 में उत्पादन 4.15 लाख गांठें हुआ जबकि 1963-64 में उत्पादन 4.71 लाख गांठें हुआ था ।

(घ) 1964-65 में उत्पादन कम होने का सामान्यतया कारण यह है कि फसल के उगने के समय वर्षा कम हुई ।

##### कृषि उत्पाद मूल्य आयोग

\*1045. { श्री रामेश्वर टांटिया :  
श्री मधु लिमये :  
डा० राम मनोहर लोहिया :  
श्री किशन पटनायक :  
श्री दे० जी० नायक :  
श्री पु० र० पटेल :  
श्री छोटू भाई पटेल :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार को हाल में नियुक्त किये गये कृषि उत्पाद मूल्य आयोग का अनाज के भाव सम्बन्धी प्रतिवेदन मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो सहसंभवतः कब तक मिल जायेगा ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) इसके लिये कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है ।

#### अनाज का उतारा जाना

\*1046. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास बन्दरगाह में अनाज उतारने की ठेका-प्रणाली समाप्त करने के लिए सिद्धांत रूप में कोई समझौता हो चुका है ;

(ख) क्या बम्बई की तरह वहां भी जहाजों से माल उतारने का काम विभाग को सौंप देने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ग) इस नई व्यवस्था से उन कर्मचारियों को जिन्हें बम्बई की दरों की अपेक्षा कम दरों पर मजूरी मिलती है, कितना लाभ होगा ; और

(घ) क्या समझौते की शर्तों में आवश्यकता पड़ने पर नये कर्मचारियों को किराये पर लाने की भी कोई व्यवस्था है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जो हां । तथापि, फिल-हाल केवल जहाज से माल उतारने अर्थात् (1) घाट पर बोरियां भरनी और सिलनी और (2) वैगनो/ट्रकों में लादने से सम्बन्धित कार्यों के बारे में ठेका पद्धति समाप्त की जा रही है ।

(ख) हां, किन्तु केवल ऊपर वर्णित सीमा तक ।

(ग) मजदूरों की कमाई तथा उन के द्वारा उठाये गये लाभों में विभागीयकरण से पूर्व की तुलना में कमाई और लाभों में पर्याप्त वृद्धि होने की आशा है ।

(घ) जो, हां ।

#### चावल की सहकारी मिलें

\*1047. { श्री श्रीनारायण दास :  
श्री रामेश्वर टांडिया :  
श्री स० चं० सामन्त :  
श्री सुबोध हंसदा :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र में चावल की आधुनिक सहकारी मिलें स्थापित करने और उनको चलाने के लिये भारतीय तकनीशनों के प्रशिक्षण की दिशा में अभी तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम में चावल की इन सहकारी मिलों को ऋण के रूप में कितनी राशि मंजूर की है ?

**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मति) :** (क) सहकारी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली पांचों आधुनिक चावल मिलों की मशीनें विदेश से आ चुकी हैं और तीन यूनिटों की इमारतों के निर्माण का कार्य चल रहा है । आशा है कि शेष दो यूनिटों की इमारतों का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा । जहां तक भारतीय तकनीशनों के प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) फोर्ड फाउन्डेशन और केन्द्रीय खाद्य तथा टेक्नोलौजिकल अनुसंधान, संस्थान, मैसूर के परामर्श से एक योजना तैयार कर रहा है ।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने सम्बन्धित राज्य सरकारों को इन मिलों की स्थापना हेतु सहकारी समितियों को सहायता देने के लिये ऋण तथा उपदान के रूप में 103.25 लाख रुपए (86.50 लाख रुपये ऋण और 16.75 लाख रुपए उपदान के रूप में) की कुल राशि दी है ।

### दिल्ली में दुग्ध बस्ती

\* 104०. { श्री यशपाल सिंह :  
श्री कपूर सिंह :  
श्री श्रीकार लाल बेरवा :  
श्री हुकम चन्द कछवाय :  
श्री ध० द० सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना को नियमित रूप से सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए आरे का गाँवों को तरह दिल्ली में कोई दुग्धबस्ती बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उस बस्ती को शीघ्र स्थापित करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

### Delimitation Commission

\*1049. **Shri Yudhvir Singh:** Will the Minister of Law be pleased to state:

(a) when the Delimitation Commission would complete its work; and

(b) the States in which the work has been completed till now?

**Minister of Law (Shri A. K. Sen):** (a) The Delimitation Commission is likely to complete its work by the end of 1965.

(b) The Delimitation Commission has completed the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the States of Kerala and Madhya Pradesh and in the Union Territories of Goa, Daman and Diu and Pondicherry.

### Merger of Air Corporations

\*1050. Shri Madhu Limaye: Will the Minister of Civil Aviation be pleased to state:

(a) whether Government propose to amalgamate the Indian Airlines Corporation and Air-India; and

(b) if so, when and the advantage that will accrue as a result thereof?

Minister of Civil Aviation (Shri Nityanand Kanungo): (a) and (b). The Estimates Committee in their 41st Report on Air-India had also recommended that Government should review the question of a common Corporation. The Government had then examined the position and came to the conclusion that the review proposed by the Committee cannot be undertaken till the end of 1965 in view of the loans secured by Air-India from five U.S. Commercial Banks for financing their Boeing Project. The Corporation subsequently obtained additional loans for financing the cost of more Boeings, repayment of which would be completed in November, 1970.

### एयर-इण्डिया एरोप्लोट विमान सेवा करार

\* 1051. { श्री प्र० च० बरुआ,  
          { श्री इंद्रजीत गुप्त

क्या असेनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में एयर इण्डिया और सोवियत एयर लाइन, एरोप्लोट के बीच विमान सेवा करार हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो करार के मुख्य पद क्या हैं ?

असेनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं । 2 जून, 1958 को भारत और रूस के बीच वायु सेवा के सम्बन्ध में एक अन्तर्राज्यीय करार हुआ था । करार में नियत कालीन पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई थी जिस के परिणामस्वरूप एरोप्लोट को और एयर इंडिया के प्रतिनिधियों के बीच मास्को में 12 और 13 अप्रैल, 1965 को बातचीत हुई जिस में एयरलाइन्स ने दोनों एयरलाइन्स की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वायु-सेवा के करार में कुछ तब्दीलियां करने के लिये सम्बन्धित सरकारी अधिकारियों को सिफारिश करना स्वीकार कर लिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## भूमि सुधार

\*1052. श्री श्रीनारायण दास : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 1 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 287 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने कुशल खेती और प्रबन्ध के तरीके ढूँढ निकालने और उन्हें अपनाने के लिए आवश्यक उपायों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय विज्ञान परिषद् की भूमि सुधार कार्यन्विति समिति के निर्णय के अनुसरण में सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति के प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन कौन से राज्य हैं और की गई कार्यवाही का ठीक-ठीक ब्योरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) तथा (ख) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, और मद्रास की सरकारों से अनुरोध किया गया था कि अनुभव प्राप्त करने की दृष्टि से कुछ चुने हुए सघन कृषि जिला कार्यक्रम या सघन खेती कार्यक्रम क्षेत्रों में समिति के सुझावों का परीक्षण करें । इन सुझावों को कार्यान्वित करने में राज्य सरकारों ने कठिनाइयां व्यक्त की हैं ।

## आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण

2622. { डा० चन्द्रभान सिंह :  
श्री विद्याचरण शुक्ल :  
श्री उडके :  
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसा अभिकरण रखा है जो आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये दिये गये अनुदानों के उपयोग पर निगरानी रखे ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) और (ख) . संयुक्त सचिव के पद के एक विशेषाधिकारी अर्थात् पिछड़े वर्गों के (कल्याण) निदेशक को सामाजिक सुरक्षा विभाग में नियुक्त कर लिया गया है । वह योजनाओं की प्रगति का ध्यान रखने के लिये राज्य सरकारों से प्रगाढ़ सम्पर्क बनाये रखने के लिये उत्तरदायी हैं । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का एक संगठन होता है जिसके अधीन सभी राज्यों में प्रोदेशिक सहायक आयुक्त होते हैं । पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए योजनाओं की उचित क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिये अन्य अभिकरण स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

## मध्य प्रदेश में आदिम जातीय छात्र

2623. { डा० चन्द्रभान सिंह :  
श्री विद्याचरण शुक्ल :  
श्री उइके :  
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फीस न देने के कारण मध्य प्रदेश में शिक्षा संस्थाओं से कुछ आदिम जातीय छात्रों के नाम काट दिये गये थे; और

(ख) क्या इस का कारण यह है कि केन्द्र से छात्रवृत्तियां दिया जाना बिलम्बित था ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, नहीं । मैट्रिक उपरान्त कक्षाओं में पढ़ने वाले आदिम जातीय छात्रों के साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियां

2624. { श्री विद्या चरण शुक्ल :  
श्री उइके :  
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962-63, 1963-64 तथा 1964-65 में मध्य प्रदेश में मैट्रिक उपरान्त अध्ययन के लिये आदिम जातीय छात्रों को कितनी केन्द्रीय छात्रवृत्तियां दी गईं; और

(ख) उक्त छात्रवृत्तियों के लिये कितने आवदन पत्र प्राप्त हुए थे ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) :

	1962-63	1963-64	1964-65
(क)	521	687	943
(ख)	580	737	995

## दहेज रोक अधिनियम, 1961

2625. श्री म० प० स्वामी : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दहेज रोक अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत इस के लागू होने की तारीख से अब तक राज्यवार कितने मुकदमे चलाये गये ; और

(ख) इन मामलों में किस प्रकार के दण्ड दिये गये ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का प्रशासन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पास है

और उन से यह अपेक्षित नहीं है कि वे अभियोजनों आदि के सम्बन्ध में कोई आंकड़े केन्द्रीय सरकार को दें। अतः अपेक्षित जानकारी केन्द्रीय सरकार के पास तुरन्त प्राप्य नहीं है। उसे राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से संग्रहित किया जा रहा है और यथासमय सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

### बंगलौर दिल्ली उड़ान

2626. श्री राम हरख यादव : क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर से दिल्ली को उड़ान करने वाले विमानों को मच्छर भारी संख्या में घेर लेते हैं और यात्रियों को तंग करते हैं तथा उन के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यात्रियों की सहायता के लिये क्या कदम उठाये हैं तथा यदि इसमें कोई सफलता मिली है तो कितनी ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) बंगलौर विमान पत्तन से दूर स्थानों में संध्याकाल में मच्छरों के झुंड आ जाते हैं। यात्रियों के विश्रामकक्षों इत्यादि को नियमित रूप से फ्लिट से छिड़का जाता है। ये मच्छर संभवतः मलेरिया रोग के नहीं हैं। कुछ विमानपत्तनों के निकट ही नीचे क्षेत्र हैं या खुली नालियां हैं और वहां मच्छर पैदा होते हैं। समस्त विमानक्षेत्रों के नियंत्रकों और विमान क्षेत्र अधिकारियों को आदेश जारी कर दिये गये हैं कि मच्छरों के पैदा होने के समस्त स्थानों की खोज की जाये और वहां कीटनाशी उपाय काम में लाये जायें। विमानपत्तनों पर मच्छरों का उत्पात समाप्त करने के लिये विमानपत्तन के स्वास्थ्य कर्मचारियों के सहयोग से उनसे सब संभव कार्यवाही करने के लिये कह दिया गया है।

इंडियन एयरलाइन्स अपने विमानों को उड़ान से पूर्व नियमित समय से धुआं देती है और फ्लिट छिड़कती है। उन क्षेत्रों में जहां मच्छरों का उत्पात अत्यधिक है वहां यह पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होती है।

### मध्य प्रदेश में सघन खेती कार्यक्रम

2627. श्री लखमू भवानी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उन जिलों के नाम क्या हैं जहां सघन खेती का कार्यक्रम किया गया है ; और

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को क्या सुविधायें दी जा रही हैं ?



खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम लागू किये गये हैं :—

मुख्यतया चावल पैदा करने वाले

- (1) बिलासपुर
- (2) दुर्ग
- (3) बालाघाट

मुख्यतया गेहूं पैदा करने वाला

टिकमगढ़

(ख) कृषकों को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनमें वृद्धि करने की दृष्टि से सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रमों के अन्तर्गत उन्हें निम्नलिखित विशेष सहायता दी जा रही है :—

- (1) जिले तथा खण्ड स्तरों पर सुदृढ़ स्टाफ के माध्यम से कृषकों को सघन तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता दी जा रही है ताकि उन्हें शिक्षित किया जा सके और उन्नत विधियों को अपनाने में उनकी सहायता की जा सके ।
- (2) स्टाफ की गति-क्षमता बढ़ाना ताकि वे क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा कृषकों को मिल सकें, एक और जीप देकर जिले में उपलब्ध परिवहन सुविधाओं को बढ़ा दिया गया है । इसी प्रकार प्रत्येक सघन कृषि जिले को एक ट्रक उपलब्ध कर दिया गया है ताकि उत्पादन सप्लाई की गति तेज हो सके ।
- (3) कृषि के विशेष विकास कार्यक्रमों (कैश कार्यक्रम) के अन्तर्गत 1964-65 के दौरान सघन कृषि क्षेत्र में गोदामों के निर्माण कार्य के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त निधियां स्वीकृत की गईं । इसी प्रकार की सहायता 1965-66 में भी दी जा रही है । इन गोदामों के बन जाने से बीज, उर्वरक, औजार औषधियां आदि का स्टॉक रखा जा सकेगा जिससे किसानों को प्राप्त करने में आसानी होगी ।
- (4) एक कार्यक्रम का अभिरूप तैयार करना है जिसके अनुसार प्रत्येक फसल के मौसम में किसानों के खेतों पर समन्वित रूप से बड़ी संख्या में प्रदर्शन किये जायेंगे । "पैकेज आफ प्रेक्टिसिज" को अपनाने के फलस्वरूप उपज पर जो संचयी प्रभाव पड़ते हैं उनको दिखाना इन प्रदर्शनों का उद्देश्य होगा ।

विशेष सहायता के अतिरिक्त ऋणों तथा उन्नत बीजों, उर्वरकों, उन्नत कृषि औजारों, पीद संरक्षण आदि के लिए आर्थिक सहायताओं के रूप में सरकार की सामान्य सहायता सघन कृषि क्षेत्रों में जारी रहेगी । यह निम्न प्रकार से है :—

(क) खाद्यान्नों तथा दालों के उन्नत बीजों पर 2 रुपये प्रति मन का एक प्रीमियम दिया जाता है ।

(ख) फास्फेटिक उर्वरक पर 25 प्रतिशत उत्पादन किसानों के लिए उपलब्ध है ।

- (ग) कीटनाशक औषधियों, डस्टरो, स्प्रेयर्स आदि की बिक्री पर 25 प्रतिशत उपदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त पावर से चलने वाली मशीनों और पौद रक्षा उपकरण के लिए 100 प्रतिशत ऋण भी स्वीकार्य है।
- (घ) कृषकों द्वारा खरीदे गये उन्नत कृषि औजारों की लागत पर 25 प्रतिशत तक का अनदान दिया जाता है।

### चीनी की उपलब्धता

2628. श्री लखमू भवानी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65 में मध्य प्रदेश में चीनी की कुल कितनी वार्षिक आवश्यकता थी ; और

(ख) वर्ष 1964-65 में मध्य प्रदेश में चीनी की ठीक प्रकार सप्लाई के लिये क्या कुछ उपाय किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 1.44 लाख मीट्रिक टन।

(ख) 1965-66 में मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों को शक्कर की सप्लाई शक्कर की उपलब्धि और उन राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर विनियमित की जाएगी।

### बागवानी का विकास

2629. श्री लखमू भवानी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य को 1964-65 में बागवानी के विकास के लिए क्या ऋण तथा अनदान के रूप में कितनी राशि दी गई ;

(ख) उक्त अवधि में मध्य प्रदेश सरकार ने कितनी राशि का उपयोग किया ;

(ग) 1965-66 में इस कार्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कितनी राशि देने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : पूछी हुई जानकारी निम्न प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

	ऋण	अनुदान	कुल
(क)	7.20	4.97	12.17
(ख)	2.27†	2.06†	4.33†
(ग)	8.68	4.40	13.08

†दिसम्बर, 1964 तक।

**Dairy Farms in U.P.**

**2630. Shri Sarjoo Pandey:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the total amount given to U.P. during the Third Plan period so far, for setting up of dairy farms;

(b) whether the entire amount has been utilised; and

(c) if so, the places at which the said dairy farms have been set up, as also the amount given to them?

**Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan):**

(a) Nil

(b) and (c). Do not arise.

**मिट्टी अनुसंधान केंद्र**

**2631. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्र द्वारा चलाये जा रहे मिट्टी अनुसंधान केन्द्रों के नाम क्या हैं और वे कहां कहां पर हैं ;

(ख) किसानों को अनुसंधान के परिणामों से अवगत कराने तथा केन्द्रों के कार्य से सम्बद्ध करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में कितने केन्द्र खोले जायेंगे और 31 मार्च, 1965 तक कितने केन्द्र खोले गए हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) केन्द्र द्वारा चलाई जा रही निम्न संस्थायें मिट्टी अनुसंधान सम्बन्धी कार्य कर रही हैं :

(1) केन्द्रीय मरु भूमि अनुसंधान संस्थान, जोधपुर

(2) निम्न स्थानों पर स्थित भूमि संरक्षण, अनुसंधान प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र :—

देहरादून	.	ऊटाकमण्ड
आगरा	.	इब्राहिमपटन
कोटा	.	चण्डीगढ़
वासद	.	कोटा
बेलारी	.	छत्ता (नेपाल क्षेत्र)

(ख) समस्त केन्द्रों में ऐसा अनुसंधान कार्य हो रहा है जिस का अभिप्राय समस्या-समाधान करना है; इसलिए अनुसंधान सम्बन्धी कार्य वाले अधिकारी लोग आसपास के ग्रामों से सम्पर्क स्थापित करते हैं। कृषकों को भी अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया

जाता है। प्रत्येक केन्द्र में "कृषक दिवस" मनाया जाता है और वहां कृषकों को आमन्त्रित करके उन्नत तकनीकों के विषय में परिचित कराया जाता है। खण्ड विकास अधिकारियों तथा जिला कृषि अधिकारी भी उन्नत तकनीकों के विषय में कृषकों को जानकारी देते रहते हैं। कृषकों की नई तकनीकों के बारे में फिल्मों भी दिखाई जाती हैं।

(ग) उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश तथा आसाम में भी एक एक केन्द्र को स्थापित करने का प्रस्ताव था। इस समय तक आन्ध्र प्रदेश में इब्राहिमपटन में एक केन्द्र की स्थापना हुई है।

### Delhi Zoological Park

**2632. Shri Sidheshwar Prasad:** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether the arrangements made for the protection of Delhi Zoo from flood and rain water have been completed;

(b) if so, the expenditure incurred thereon; and

(c) if not, the reasons for the delay?

**Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan):** (a) Yes. While the construction of a bund to prevent Jamuna water entering into the Zoo and the excavation of lake have already been completed, the work of filling up of low lying areas is in progress and is likely to be completed before the next monsoons.

(b). Against sanctioned expenditure of Rs. 6:38 lakhs, a sum of Rs. 5:00 lakhs approximately has been spent.

(c). Does not arise.

### Farmers sent Abroad

**2633.** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) the names of the countries to which farmers were sent during the last three years and the dates on which they were sent;

(b) the State-wise number of these farmers;

(c) the names of countries from which delegations of farmers visited India during this period and the dates of their visit; and

(d) the names of those parts of India which were visited by them?

**Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan):** (a) United States of America on the 9th May, 1964.

(b) One each from Assam, Bihar, Delhi, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Madras, Maharashtra, Mysore and Orissa.

(c) United States of America; the farmers arrived in India during September, 1964.

(d) The farmers visited all parts of India except Pondicherry, Manipur, Tripura, Andamans and Nicobar, Laccadive, Mincoy and Amindivi Islands, Nagaland and Goa, Daman-Diu.

The above information relates to the International Farm Youth-Exchange Programme stated by the National 4-H Club Foundation of the United States of America in collaboration with the Government of India. It does not cover the exchange of farmers and young farmers between India and U.S.A., Japan and Israel arranged by the Bharat Krishak Samaj and young farmers' Association of India.

### Blocks of Adivasis in Maharashtra

**2634. Shri D. S. Patil:** Will the Minister of Social Security be pleased to state:

- (a) the present number of Adivasis Blocks in Maharashtra;
- (b) the number and the location of such Blocks proposed to be set up during 1965-66; and
- (c) the number of Adivasis Blocks proposed to be set up in Yeotmal and Akola Districts respectively in Maharashtra?

**Deputy Minister of Social Security (Smt. M. Chandrasekhar):**

- (a) Forty Tribal Development Blocks and 4 Special Multipurpose Tribal Blocks.

Sl. No.	Name of the T. D. Block to be started in 1965-66	District in which located
1.	Warle	Thana
2.	Asawe (Ashagad)	Thana
3.	Borhe	Nasik
4.	Mhaswad	Dhulia
5.	Ashte	Dhulia
6.	Nawapur	Dhulia
7.	Rajur	Ahmednagar
8.	Kurkheda	Chanda
9.	Dhanora	Chanda
10.	Bhamragad	Chanda

(c) One in Yeotmal district and more in Akola district

### Supply of Fertilizers to Maharashtra

**2635. Shri D. S. Patil:** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

- (a) the quantities of Ammonium Sulphate, Double Salt, Urea and Calcium Ammonium Nitrate which were demanded by the Government of Maharashtra during 1963-64 and 1964-65;
- (b) the extent to which the demand for these fertilizers was met out of the Central Fertilizer Pool; and
- (c) the reasons for the shortfall between the demand and supply?

**Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan):** (a) to (c). A statement giving the required information is appended.

Kind of fertiliser	Statement				Reasons for the shortfall if any
	Quantity demanded by the Govt. of Maharashtra		Quantity allotted from Central Fertiliser Pool		
	1963-64	1964-65	1963-64	1964-65	
Sulphate of Ammonia	179,992	214,000	116,451	113,000	Due to limited availability of Ammonium Sulphate the demand could not be met in full.
Urea	20,000	22,010	41,003	42,950	The allotment as made in excess of the demand with a view to compensate for the short supply of Sulphate of Ammonia and Ammonium Sulphate Nitrate.
Calcium Ammonium Nitrate	5,000	5,000	23,047	20,665	
Ammonium Sulphate Nitrate	20,000	22,521	8,627	10,100	There are no imports of this fertiliser and only a limited quantity is produced by the Sindri factory. Hence the allotment was low.
Nitrophosphate	15,000	28,500	15,000	28,500	..
Ammonium Phosphate	..	..	..	1,200	The allotment was made to compensate for short supply of Sulphate of Ammonia.

### Package Programme in Maharashtra

2636. **Shri D. S. Patil:** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether the Central Government have given their approval for starting any package programme in Maharashtra during 1965-66.

(b) whether any grant or loan is proposed to be sanctioned for the package programme in Maharashtra during 1965-66; and

(c) if so, the total amount thereof?

**Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan):** (a) The Intensive Agricultural District Programme (Package Programme) is already in operation in Bhandra district of Maharashtra. The programme was initiated in 1963-64 and will continue during 1965-66 as well. Besides, an Intensive Agricultural Area Programme has also been introduced in all the districts of Maharashtra, except Greater Bombay and Bhandra for stepping up production of paddy and other important crops. This programme will also continue during 1965-66. There is no other proposal to start any package programme.

(b) and (c). The quantum of Central assistance by way of grant to be given to the State Government during 1965-66 for the Intensive Agricultural District Programme as well as the Intensive Agricultural Area Programme is tentatively estimated at about Rs. 30.00 lakhs. This excludes the loans short-term and other to be made available by the State Government as well as Cooperatives.

#### **Adivasi Students in Vidarbha**

**2637. Shri D. S. Patil:** Will the Minister of Social Security be pleased to state:

(a) whether the Adivasi students living in non-scheduled areas in Vidarbha in Maharashtra are getting post-Matric scholarships as students of Backward Classes and not as Adivasis; and

(b) if so, the reasons therefor?

**Deputy Minister in the Department of Social Security (Smt. M. Chandrasekhar):** (a) and (b). No distinction is made between a scheduled area and a non-scheduled area for the purpose of granting post-matric scholarships to Scheduled Tribe students in Vidarbha region of Maharashtra.

However, the Adivasis residing outside the specified areas of Vidarbha have not yet been declared as Scheduled Tribes. The Adivasis living in the areas outside the specified areas of Vidarbha in Maharashtra are, therefore, treated as Economically Backward Classes for the award of post-matric scholarships.

#### **Welfare of Adivasis of Vidarbha**

**2638. Shri D. S. Patil:** Will the Minister of Social Security be pleased to state:

(a) whether Dhebar Commission has made any specific recommendations for the welfare of Adivasis of Vidarbha in Maharashtra; and

(b) if so, the action taken thereon?

**Deputy Minister in the Department of Social Security (Smt. M. Chandrasekhar):** (a) No.

(b) Does not arise.

#### **अनाज की नीलामी**

2639. { श्री राम हरख यादव :  
श्री मुरली मनोहर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली के अनाज और अन्य उत्पादों को भारी मात्रा में सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां तो बेचे जाने वाले अनाज कृषि उत्पादों का ब्यौरा क्या है; और  
(ग) इसके कारण क्या हैं, विशेषतया जबकि देश में अनाज की भारी कमी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) निम्न वस्तुयें बेचने का प्रस्ताव है (मात्राओं का अनुमान दिया गया है) :—

(1) गेहूं मिश्रण तथा टूटा अनाज	700 क्विन्टल
(2) जौ मिश्रण तथा टूटा बीज	40 "
(3) बाजरा मिश्रित	5 "
(4) ज्वार मिश्रित	5 "
(5) बीज कपास	16 "
(6) गेहूं भूसा	1000 "
(7) चना भूसा	20 "
(8) ज्वार तथा मक्का डन्ठल (करबी)	400 "
(9) तम्बाकू पत्ते तथा डन्ठल	12 "

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की अधिकांश धान्य तथा कृषि उपज बीजों के लिए बेची जाती है। "सीविंग्ज", मिश्रण आदि ऐसा फालतू स्टॉक जो बीज के लिए अनुपयुक्त है, नीलामी द्वारा बेच दिया जाता है। फार्म के फालतू उपज को बेचना पड़ता है क्योंकि भण्डारण के लिए उपलब्ध सीमित स्थान की परीक्षात्मक सामान के भण्डारण के लिए आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार बेचे जाने वाले अनाज से खाद्य की कमी की भी पूर्ति होती है।

#### धान कर की वसूली

2640. श्री अ० क० गोपालन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में धान कर वसूली की कैसी प्रगति हो रही है ;

(ख) क्या कर वसूली के मामले में भूमि के मालिकों द्वारा आनाकानी अथवा विरोध दिखाया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) केरल में लेवी द्वारा धान के संग्रहण का कार्य राज्य के कुछ जिलों में अच्छी तरह से हो रहा है जबकि अन्य जिलों में प्रगति सन्तोषजनक नहीं है।

(ख) और (ग). राज्य के कुछ जिलों में रैयत कुछ आनाकानी करते हैं क्योंकि उनका यह विचार है कि भाव पर्याप्त नहीं हैं।

(घ) सरकार रैयत को इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि भाव पर्याप्त नहीं हैं और उन्हें लेवी देने के लिये राजी कर रही है।

#### क्विलोन का छोटा बन्दरगाह

2641. श्री अ० क० गोपालन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्विलोन के छोटे बन्दरगाह का निर्माण-कार्य कब आरम्भ किया गया था ;



(ख) इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि नियत की गई थी ; और

(ग) यह काम कब पूरा हो जायेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क), (ख) और (ग) क्विलोन पत्तन के विकास के लिए तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। फिर भी निंदणकारा पत्तन का मध्यवर्ती पत्तन के रूप में विकास करने के लिए तीसरी आयोजना में 135.65 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। यह पत्तन क्विलोन पत्तन से 6 मील उत्तर की ओर है। निंदणकारा पत्तन परियोजना पर केरल सरकार ने 30 सितम्बर, 1964 तक 12.85 लाख रुपया खर्च किया है।

### तूतुकुडि (तूतीकोरिन) बन्दरगाह

2642. श्री अ० क० गोपालन : क्या परिवहन मंत्री यह बाने की कृपा करेंगे कि :

(क) तूतुकुडि बन्दरगाह को वर्ष भर प्रयोग में लाये जाने वाले तथा एक बड़े बन्दरगाह के रूप में बनाने का काम कब आरम्भ किया जायेगा ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ; और

(ग) यह काम कब पूरा हो जायेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तूतीकोरिन पर सब मौसमों वाला बड़ा पत्तन बनाने का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। सड़कें, रेल की लाइन, कार्यालय और आवास इमारतों जैसे प्रारंभिक निर्माण कार्य या तो पूरे हो गये हैं या प्रगति के काफी अग्रवर्ती क्रम में हैं। उत्तरी पनकट दीवार 250 मीटर तक तैयार हो गयी है। दक्षिणी पनकट दीवार, जो 3 मीटर नीचे की ओर है, का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू किया जायेगा। इस हारबर के अधिकांश निर्माण कार्य के ठेकों को संभवतः दिसम्बर, 1965 तक अंतिम रूप दिया जायेगा।

(ख) तूतीकोरिन हारबर के विकास के लिये तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल है। 31 मार्च, 1965 तक 3 करोड़ रुपया व्यय हो चुका है 1965-66 बजट अनुमानों में 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

(ग) इस हारबर के 1969 तक तैयार होने की संभावना है।

### केरल में कमी की स्थिति

2643. श्री अ० क० गोपालन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब भी केरल में कमी की स्थिति विद्यमान है ;

(ख) क्या अनौपचारिक राशनिंग होने और नई फसल के आने के बावजूद भी केरल में चावल के बाजार भाव बढ़ रहे हैं ;

(ग) केरल में उचित मूल्य पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से कितना चावल व कितना गेहूं दिया जाता है ;

(घ) क्या सरकार का विचार केरल में कानूनी तौर पर राशनिंग करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उचित मूल्य पर अधिक अनाज देने के लिये सरकार का क्या अन्य उपाय करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) चावल के खुले बाजार भाव में थोड़ी बढ़ोतरी का रुख है । कम आमद की अवधि शुरू होने से चावल के खुले बाजार भावों में सामान्यतः बढ़ोतरी का रुख आता है ।

(ग) उचित मूल्य की दुकानों पर प्रति प्रौढ़ को प्रतिदिन 160 ग्राम चावल और 160 ग्राम गेहूं की मात्रा राशन में दी जाती है ।

(घ) मामला केरल सरकार के विचाराधीन है ।

(ङ) सरकार राशन कार्डों से उचित मूल्य पर खाद्यान्न दे रही है ।

### निर्वाचन चिन्ह

2645. { श्री रा० गि० दुबे :  
श्रीमती सावित्री निगम :  
श्री दाजी :  
श्री वारियर :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयुक्त को भारत के साम्यवादी दल के सभापति, श्री एस० ए० डांगे से कोई शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने भारत के वामपन्थी साम्यवादी दल को "तारे के साथ हंसिया और हथौड़ा" का निर्वाचन चिन्ह देने पर आपत्ति की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां ।

(ख) ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग ने श्री डांगे को सूचित कर दिया है कि वह "तारे के साथ हंसिया और हथौड़ा" निर्वाचन प्रतीक भारत के कम्युनिस्ट दल (मार्क्सवादी) को आवंटित करने का अपना विनिश्चय रद्द या परिवर्तित करने में असमर्थ है ।

### C. D. Blocks

2646. { Shri M. L. Dwivedi:  
Shri S. C. Samanta:  
Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of Community Development and Cooperation be pleased to state:

(a) the number of Post Stage II Development Blocks in the country (State-wise) where development work has been completed;

(b) the nature of development works now being undertaken in such blocks and the percentage of the finances now made available to

these blocks by the Central Government as compared with the previous years;

(c) the number of blocks out of them where the required results have not been achieved so far; and

(d) whether Government have any scheme in hand to restart the intensive development work in the development blocks referred to in part (c) above, if so, the details thereof and when it would be implemented?

**The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri B. S. Murthy):**

(a) to (d). The statewise position of the number of Post Stage II blocks is given below:—

1. Andhra Pradesh	73
2. Assam	27
3. Bihar	37
4. Gujarat	28
5. Jammu and Kashmir	2
6. Kerala	18
7. Madhya Pradesh	59
8. Madras	62
9. Maharashtra	52
10. Mysore	29½
11. Orissa	23
12. Punjab	41
13. Rajasthan	38
14. Uttar Pradesh	63
15. West Bengal	30
16. Nagaland	3
17. Delhi	3
18. Himachal Pradesh	7
19. Manipur	1
20. Tripura	2
21. NEFA	2
	600½

As the Community Development schematic budget is operative only for Stage I and Stage II blocks, no Central assistance is given by the Ministry for Post Stage II blocks. The State Governments have, however, been requested to route all the funds and schemes of various development departments capable of execution at the block level through the block agency, so that the tempo of development already reached in the Post Stage II blocks could be maintained.

The Programme Evaluation Organisation is undertaking a comprehensive survey of the impact of development in Post Stage II Blocks.

## पटसन और लाख अनुसंधान केंद्र

2647. { श्री सुबोध हंसदा :  
श्री दलजीत सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी भारत के दो अनुसंधान केन्द्रों अर्थात् एक पटसन और दूसरे लाख के केन्द्रों को पश्चिम बंगाल से कुछ अन्य स्थानों पर ले जाने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन केन्द्रों के कर्मचारियों को नौकरी देने के लिए सरकार का विचार क्या व्यवस्था करने का है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान इस समय बिहार राज्य के नामकुम (रांची) में स्थित है। पटसन कृषि अनुसंधान संस्थान और प्रौद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पटसन) बैरकपुर तथा टौलीगंज (पश्चिम बंगाल) में स्थित हैं। इन संस्थाओं को अपने मौजूदा स्थानों से बदलने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं होते।

## चाय के बाग

2648. { श्री स० च० सामन्त :  
श्री म० ला० द्विवेदी :  
श्री सुबोध हंसदा :  
श्री ब० कु० दास :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में चाय के बागों के लिए उर्वरक का जो कोटा नियत किया गया था वह पर्याप्त था और उसका उचित रूप में प्रयोग किया गया ;

(ख) क्या वितरण व्यवस्था में कोई परिवर्तन हुआ है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ एजेन्सियों ने अपने कोटे नहीं लिए ;

(घ) यदि हां, तो बाद में उनका किस प्रकार वितरण हुआ ; और

(ङ) क्या किसी एजेन्सी को उनका उत्तरदायित्व लेने के लिये कहा गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) यह मंत्रालय उत्तर-पूर्वी भारत के चाय के बागों के लिए उर्वरकों का कोटा वितरणकर्ताओं को देता है। जहां तक दक्षिण भारत के चाय के बागों का सम्बन्ध है, उर्वरकों का कोटा यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन आफ साउथ इण्डिया को दिया जाता है। यह एसोसिएशन आगे स्वीकृत वितरणकर्ताओं को उर्वरकों का कोटा देता है। पिछले 5 वर्षों में उत्तर-पूर्वी भारत के वितरणकर्ताओं तथा यूनाइटेड

प्लांटर्स एसोसिएशन आफ साउथ इण्डिया को उर्वरकों का जो कोटा दिया गया था वह चाय के बागों की मांग के लिए पर्याप्त था। उत्तर-पूर्वी भारत के वितरणकर्त्ताओं तथा यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन आफ साउथ इण्डिया के स्वीकृत वितरणकर्त्ताओं ने उर्वरकों की जो मात्रा ली उसका चाय के बागों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग किया गया।

(ख) जी हां। उत्तर-पूर्वी भारत में वितरणकर्त्ताओं की कुल संख्या को 29 से घटाकर 22 कर दिया गया।

(ग) जी हां।

(घ) उत्तर पूर्वी भारत के वितरणकर्त्ताओं ने निर्धारित अवधि के अन्दर जो कोटा नहीं उठाया था, उसे रद्द समझा गया। 1964-65 की अवधि में 1733 मीटर टन उर्वरकों को जिस मात्रा को कुछ वितरणकर्त्ताओं ने नहीं उठाया था उसे दोबारा अन्य वितरणकर्त्ताओं को बांट कर दिया गया।

(ङ) जी, नहीं।

### Air Service in North Bihar

2649. { Shri Bibhuti Mishra:  
Shri K. N. Tiwary:

Will the Minister of Civil Aviation be pleased to state:

(a) whether it is a fact that no air transport facilities exist in the North Bihar especially in the Tirhut Division;

(b) whether there is any proposal under consideration to develop the existing landing strip at Muzaffarpur or construct a new aerodrome at some other place in North Bihar or at Motihari in the district of Champaran, North Bihar; and

(c) if so, the broad outlines thereof.

**The Minister of Civil Aviation (Shri Kanungo):** (a) There are civil aerodromes at Raxaul and Muzaffarpur.

(b) and (c). The Muzaffarpur aerodrome has already been developed. It has an all-weather runway, apron and taxi track. Another aerodrome is under construction at Jogbani.

### जहाज बनाने का सामान

2650. श्री विभूति मिश्र : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या यह सच है कि नीदरलैण्ड की सरकार ने भारत को जहाज बनाने का सामान आसान तथा सस्ती दरों पर देने का प्रस्ताव किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस मामले को आगे बढ़ाया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

### खादी उत्पादन

2651. { श्री रामचन्द्र उलाका :  
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या सभामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी के उत्पादन में काफी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) सरकार ने चालू वर्ष में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) (क) और (ख). जी, नहीं। 1963-64 में उत्पादन में लगभग तीन प्रतिशत की उपान्त कमी हो गई थी जबकि वह 1962-63 में 746.5 लाख वर्ग मीटर की तुलना में 725 लाख वर्ग मीटर हो गया था।

(ग) उत्पादन में वृद्धि करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(एक) स्थानीय और प्रादेशिक आत्म-निर्भरता पर बल दे लक बुनाई योजना" को चालू करना।

(दो) बेकार पड़े अम्बर चर्खों का नवीकरण तथा फिर से सक्रिय करना।

(तीन) कताई की मजूरी की दर में वृद्धि करने से कातने वालों को प्रोत्साहन देना।

#### कृषि वैज्ञानिकों की तालिका

2652. { श्री कपूर सिंह :  
श्री प्र० कु० घोष :  
श्री प्र० के० देव :  
श्री कोया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि-वैज्ञानिकों की तालिका ने जिसकी हाल ही में बैठक हुई थी, सुझाव दिया है कि कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यकर्त्ताओं के विचारों का अन्य राज्यों में उनके जैसे कार्यकर्त्ताओं के साथ विचार विनिमय करने के लिए एक समन्वयकारी निकाय बनाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके निष्पादन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

#### राज्यों को चीनी का कोटा

2653. { श्री रामचन्द्र उलाका  
श्री धूलेश्वर मीना :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों का चीनी का कोटा कम करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

### भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्

2654. { श्री रामचन्द्र उलाका :  
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1964-65 में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने कृषि उपकरण के रूप में कितना खर्चा प्राप्त किया;

(ख) इसमें से मुख्यालय के कर्मचारियों पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) अनुसन्धान और अन्य योजनाओं पर कितना व्यय हुआ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) पूछी हुई जानकारी का एक विवरण नत्थी है।

### विवरण

आय	व्यय
1964-65	1964-65
(रुपये)	(रुपये)
(1) कृषि उपकरण के उपकरण से प्राप्त	(1) प्रधान कार्यालय के प्रशासनिक स्टाफ पर खर्च
70,78,400	9,60,750
(2) अन्य आय	(2) अनुसन्धान तथा अन्य योजनाओं जिनमें तकनीकी स्टाफ भी शामिल है, पर खर्च
18,88,100	61,55,000
कुल: 89,66,500	कुल 71,15,750

### शहरी सहकारी बैंक

2655. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिजर्व बैंक शहरी सहकारी बैंकों को अधिक सहायता देने के लिए सहमत हो गया है ताकि वह छोटे व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को अधिक ऋण दे सके;

(ख) छोटे उद्योगों की आर्थिक और तकनीकी सम्भाव्यताओं का अध्ययन करने के लिए आवश्यक क्षमता का विकास करने हेतु क्या शहरी सहकारी बैंकों ने कार्यवाही की है;

(ग) क्या रिजर्व बैंक ने इस हानि के एक भाग की गारंटी देना स्वीकार कर लिया है, जो उन बैंकों को छोटे उद्योगों को ऋण देने में हो सकती है और; यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं; और

(घ) सहकारी बैंकों द्वारा शहरी संसाधनों से धन प्राप्त किये जाने से गांवों में चालू और पूंजीगत विनियोजन की वित्त-व्यवस्था करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की धन उपलब्ध करने में कहां तक सहायता मिली है?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) यद्यपि भारत के रिजर्व बैंक अधिनियम में घरेलू तथा लघु उद्योगों के उत्पादन अथवा विपणन के क्रियाकलापों के लिए वित्त सुलभ करने की व्यवस्था है, तो भी रिजर्व बैंक ने इस कार्य के लिए अभी तक केवल सूती वस्त्र हथकरघा उद्योग के लिए ही अनुमति दी है। रिजर्व बैंक अपने अधिनियम के अन्तर्गत शहरी सहकारी बैंकों को सीधे वित्त नहीं दे सकता है किन्तु केवल राज्य सहकारी बैंक अथवा अनुसूचित बैंक के माध्यम से ही दे सकता है।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) भारत के रिजर्व बैंक ने इस हानि के एक भाग की गारंटी देना स्वीकार कर लिया है, जो शहरी सहकारी बैंकों को लघु उद्योगों को ऋण देने में हो सकती है, बशर्ते कि राज्य सहकारी बैंक अथवा भारत के स्टेट बैंक जैसी विशिष्ट ऋण संस्था ऐसे ऋण में 25 प्रतिशत तक भाग ले।

(घ) सहकारी बैंकों को प्रमुख रूप से उन प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को वित्त सुलभ करने में लगाया जाता है जो कि मुख्य रूप से किसानों से लेन-देन करती हैं। इन्होंने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों तथा प्राथमिक विपणन समितियों को काफी मात्रा में ऋण दिया है:

#### उड़ीसा में हस्तशिल्प भंडार

2656. { श्री रामचन्द्र उलाका :  
श्री धुलेश्वर मोना :  
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 और 1964-65 में उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के हस्तशिल्प भंडारों द्वारा दस्तकारी की वस्तुओं के विक्रय से कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(ख) इसी अवधि में उन भंडारों के संचालन पर कितना व्यय हुआ।

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार का कोई हस्तशिल्प भंडार नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।



**अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता**

2657. श्री रामवन्द्र मलिक : क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों में उड़ीसा सरकार को राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता देने के लिये कोई राशि दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो कितनी?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिये 10,000 रुपये तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये 17,000 रुपये।

**विधेयकों का हिन्दी रूपान्तर**

2658. श्री यशपाल सिंह : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संसद् के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विधेयकों का अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी रूपान्तर भी देने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : विधि मंत्रालय आजकल उन सब मूल विधेयकों का हिन्दी अनुवाद साथ साथ दे रहा है जो संसद् के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं। अंशोधक विधेयकों को भी हिन्दी अनुवाद देना तब संभव हो सकेगा जब मूल अधिनियमों के हिन्दी रूपान्तर प्राप्य हो जायेंगे। इसमें कुछ समय लगने की संभावना है।

**शिल्पकारों के लिए कच्चा माल**

2659. श्री यशपाल सिंह : क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है जिससे कि शिल्पकारों को कच्चा माल तथा ऋण बराबर उपलब्ध होता रहे; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है।

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि पहले ही लागू योजनाओं के अन्तर्गत शिल्पकारों को ऋण तथा कम मात्रा में उपलब्ध कच्चा माल जैसे आयातित कच्चा रेशम, हाथीदाँत, रंग, रासायनिक पदार्थ तथा मिश्रित धातुएं आदि दी जा रही हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## पिछड़े हुए क्षेत्रों में चीनी कारखाने

2660. { श्री प्र० चं० बरआ :  
श्री दे० जी० नायक :  
श्री यशपाल सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषिमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के कुछ पिछड़े हुए क्षेत्रों में चीनी कारखाने स्थापित करने के लिए कुछ उद्योगपतियों को सुविधायें देने की किसी योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का व्यौरा क्या है तथा 1965-66 में इस के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## उड़ीसा में कृषि उत्पादन

2661. { श्री धुलेश्वर मीना :  
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या खाद्य तथा कृषिमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में खाद्य के उत्पादन के बारे में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाये गये कृषि कार्यक्रम में कितनी प्रगति हुई; और

(ख) उन जिलों के नाम क्या हैं जिन्होंने खाद्य उत्पादन का लक्ष्य पूरा कर लिया है तथा उनमें कृषिजन्य खाद्य उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान था और वास्तविक वृद्धि कितनी हुई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में खाद्यान्न उत्पादन को 40 लाख टन के आधार स्तर (1960-61) से 1965-66 में 56.15 लाख टन तक बढ़ाने का विचार है। 1961-62, 1962-63, 1963-64 तथा 1964-65 में उड़ीसा में खाद्यान्नों का (प्रत्याशित) उत्पादन क्रमशः 39.48, 39.86, 47.09 तथा 50.08 लाख टन था।

(ख) उड़ीसा में 1961-62, 1962-63, 1963-64 तथा 1964-65 की अवधि में जिलावार लक्ष्य तथा उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं उपरोक्त जानकारी उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना पर आधारित है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 4286/65]

## गुजरात राज्य को बाजरे का सम्भरण

2662. { श्री छ० म० केवरिया :  
श्री मान सिंह प० पटेल :  
श्रीमती जोहराबेन चावडा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजाव सरकार ने गुजरात राज्य को 5,000 मीट्रिक टन बाजरा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो वह कब भेजा गया था ;

(ग) पंजाब सरकार ने किस भाव पर बाजरा खरीदा था; और

(घ) गुजरात सरकार को बाजरा किस भाव पर बेचा गया था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण : (क) जी, हां ।

(ख) जनवरी, 1965 के अन्तिम सप्ताह से फरवरी, 1965 के दूसरे सप्ताह की अवधि में।

(ग) पंजाब सरकार ने रु० 56.45 से रु० 56.75 प्रति क्विंटल के बी भावों पर बाजरा खीदा ।

(घ) बाजरा गुजरात सरकार को लागत भाव जमा बोरियों की कीमत, बिक्री कर और पंजाब सरकार के संस्थापन सम्बन्धी खर्चों पर दिया गया था।

### पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन और संचार

2663. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पहाड़ी तथा सीमान्त क्षेत्रों में छोटे नगरों के विकास सम्बन्धी समिति ने इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तथा प्राथमिकता के आधार पर परिवहन तथा संचार के विकास की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर त्रिपुरा तथा मनीपुर में सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इम्फाल को सिलचर से मिलान वाले नए राजपथ का निर्माण करने की क्या संभावनाएं हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). जी हां। पहाड़ों और सीमान्त क्षेत्रों के छोटे शहरों के विकास पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने समिति स्थापित की थी और उस मंत्रालय ने उस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों, जिसमें त्रिपुरा और मनीपुर भी शामिल है को उसमें की गयी विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए भेज दिया है। आगे की कार्यवाही राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों पर निर्भर करती है।

(ग) असम/मनीपुर सीमान्त क्षेत्र में पहले ही मोटर गाड़ी चलने योग्य एक सड़क सिलचर से जिरीघाट तक है। जिरीघाट से इम्फाल तक एक सड़क बन रही है। यह सड़क 151 मील लंबी है जिसमें से 9 मील लंबी सड़क इम्फाल की ओर पहले से ही मौजूद है। शेष 142 मील में से 100 मील लंबाई में सड़क निर्माण के लिए मिट्टी भरने और चट्टान काटने का काम पूरा हो गया है। शेष भाग में काम जारी है।

## भारतीय खाद्य निगम

2664. श्री २० रं० चक्रवर्ती : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दालों को भारतीय खाद्य निगम के कार्यों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या सरकार ने उत्तर भारत में मूल्यों में हुई "असाधारण वृद्धि" को ध्यान में रखते हुए दालों के लिए मूल्य सहायता देने की मांग पर विचार किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) फिलहाल नहीं।

(ख) राज्य सरकारों को चने के सहारा देने के भाव रु० 40.00 से रु० 40.50 प्रति क्विंटल के बीच निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया है। दालों के लिये सहारा देने के भाव के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## Offices under Ministry of Food and Agriculture

2665. {  
 Shri Prakash Vir Shastri:  
 Shri P. L. Barupal:  
 Shri Kishen Pattnayak:  
 Shri Rameshwaranand:  
 Shri Madhu Limaye:  
 Shri Utiya:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the new offices and corporations set up under his Ministry since 1st January, 1964;

(b) the offices/corporations among them which have been given Hindi or Indian names; and

(c) the reasons for not giving Hindi or Indian names to the remaining ones?

**The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan):** (a) Following 8 offices/corporations have been set up since 1st January, 1964:—

- (1) Committee for the purpose of Controlling and Super-  
vising experiments on animals.
- (2) Agricultural Prices Commission, New Delhi.
- (3) Eastern Regional Station of National Dairy Research  
Institute, Calcutta.
- (4) Regional Sugarcane Breeding Station, Lucknow.
- (5) Regional Sugarcane Breeding Station, Motihari, Bihar.
- (6) Scheme for Hybridisation of US and Indian Clones  
Palghat (Kerala).
- (7) Joint Director (Food) Mehtab Road, Cuttack.
- (8) Food Corporation of India.

(b) Offices mentioned at 1, 2 and 7 have been given Indian names.

(c) Offices in serial Nos. 3—6 are part of the National Dairy Research Institute, Karnal and the Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore which had been established long before 1-1-64. Their names follow the pattern of other offices under these two Institutes for the sake of uniformity. But even in their cases, Hindi equivalent are also being used. As for the Food Corporation of India, its All-India character and its activities in non-Hindi speaking regions call for both English and Hindi nomenclatures. The question of giving it a Hindi nomenclature is under consideration.

### राष्ट्रीय राजपथ

2666. श्री धर्मलिंगम : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तीसरी योजना अवधि में अब तक जिन राष्ट्रीय राजपथों का विकास किया गया है उनकी मीलों में कुल लम्बाई कितनी है ;

(ख) मद्रास राज्य में विकसित यह लम्बाई कितने मील है ; और

(ग) मद्रास राज्य में राष्ट्रीय राजपथों के विकास में पर्याप्त प्रगति न होने के क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अब तक 2540 मील का विकास किया गया है।

(ख) 210 मील।

(ग) मद्रास राज्य में पर्याप्त प्रगति हुई है।

### चावल का प्राप्त करना

2667. { श्री वारियर :  
श्री वासुदेवन प्नायर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछली कटाई ऋतु में क्या सरकार ने केरल राज्य से कुछ चावल प्राप्त किया था; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में प्राप्त किया और उसका कितना मूल्य दिया?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चन्हाण) : (क) और (ख) पिछली कटाई ऋतु में रु० 43.71 प्रति क्विंटल पर लगभग 18,000 मीट्रिक टन और चालू फसल ऋतु में अब तक लगभग 27,000 मीट्रिक टन धान रु० 41.00 प्रति क्विंटल पर मोटी किस्में और रु० 42.25 प्रति क्विंटल पर मध्यम किस्म की धान खरीदी गयी थी।

## चावल की बिक्री पर कर

2665. { श्री वारियार :  
श्री वासुदेवन नायर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में राशन की दुकानों द्वारा वितरित चावल पर अतिरिक्त कर अथवा अधिभार लगाना शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस कर की राशि कितनी है और इससे प्रतिमास कितनी व्यय होने की आशा है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) . केरल सरकार ने राशन की दुकानों पर बेचे जाने वाले चावल और गेहूं के थोक स्तर पर एक रुपया प्रति क्विंटल अधिभार लगाया है। इससे लगभग 9 लाख रुपये प्रति मास आय होने की आशा है।

## सरसों के बीजों का मूल्य

2669. श्री लखमू भवानी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों से सरसों खरीदने के लिये इसके भाव निश्चित कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो मूल्य का ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा प्राप्त की गई सरसों की मात्रा क्या है, और

(ग) सरकार की नीति के कारण क्या सरसों के तेल के मूल्य में कुछ परिवर्तन हुआ है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं होता।

## आदिवासी खण्डों में सड़कें

2670. श्री ह० च० सोय : क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आदिवासी खण्डों के कार्यकरण का कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह महसूस किया गया है कि ऐसे खण्डों को चालू करने के लिये एक मूल शर्त यह होनी चाहिये कि कम से कम खण्ड मुख्यालय को मिलाने वाली ऐसी सड़कों का निर्माण, जिन पर जीप चलाई जा सकें पहले से ही हो जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) विशेष बहु-प्रयोजनीय आदिवासी खंडों संबंधी समिति ने दूसरी योजना में प्रारम्भ किये गये विशेष बहु प्रयोजनीय आदिवासी खंडों की कार्यप्रणाली का विस्तार से अध्ययन किया था। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित आदिम जातियों संबंधी आयोग ने भी उन खंडों तथा तीसरी योजना में प्रारम्भ किये गये आदिवासी विकास खंडों की कार्यप्रणाली की जांच की है।

(ख) और (ग). आदिवासी विकास खंड चालू करने के लिये यह एक पूर्व शर्त नहीं है कि खंड मुख्यालयों को मिलाने वाली ऐसी सड़कों का निर्माण हो जिन पर जीप चलाई जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकारों को पहले ही हिदायतें जारी की गई हैं कि आदिवासी विकास खंड चालू करने से पहले खंड मुख्यालयों को जिला या तहसील मुख्यालयों से उचित रूप से मिलाये जाये। सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा आदिवासी विकास खंड के लिये नियत किये गये पहले चरण में 10 लाख रुपया तथा दूसरे चरण में 5 लाख रुपये के अतिरिक्त परिव्यय में से संचार के लिये प्रथम चरण में 2 लाख रुपये तथा दूसरे चरण में एक लाख रुपये को व्यवस्था की गई है।

#### आदिवासी खण्ड

2671. श्री ह० च० सोय : क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहाड़ी आदिवासी खंडों में विभिन्न योजनाओं की देख-रेख तथा कार्यान्विति में अन्दरूनी क्षेत्र को खंड मुख्यालय से मिलाने वाली जीप चलाने योग्य सड़कों की बहुत अधिक कमी के कारण बहुत अधिक बाधा तथा देरी होती है;

(ख) क्या आदिवासी खंडों में निर्धारित राशि के कम खर्चा होने का एक कारण आदिवासी लोगों की ओर क्षेत्र कर्मचारियों तथा कार्यालय कर्मचारियों का आम तौर से असहानुभूतिपूर्ण तथा उदासीन रवैया भी है ;

(ग) क्या यह सच है कि बिहार तथा उड़ीसा जैसे राज्यों में अनुसूचित आदिम जातियों के लोग पर्याप्त संख्या में जिन्हें क्षेत्र कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है ; और

(घ) क्या आदिवासी खंडों के क्षेत्र तथा कार्यालय कर्मचारियों के लिये खंड विकास अधिकारी पुनरनुस्थापन प्रशिक्षण की तरह की प्रशिक्षण सुविधायों की कोई व्यवस्था नहीं है यदि हां तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गये हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) आदिवासी विकास खंड में संचार योजनाओं के लिये आदिवासी विकास खंड आव्ययक में 2 लाख रुपये की तथा सामुदायिक विकास खंड आयव्ययक में 1.34 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। आदिवासी विकास खंड के सभी अन्दरूनी क्षेत्रों को विशेष कर पहाड़ी क्षेत्रों में खंड मुख्यालय के साथ मिलाने के लिये जीप योग्य सड़कों का जाल बिछाने के लिये यह राशि पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक देहात को पगंडडी तथा गड़डे

योग्य सड़कों से देहाती स्तर तल सर्किल मुख्यालय के साथ तथा देहाती स्तर पर सर्किल मुख्यालय को गड्डे तथा जीप योग्य सड़कों से खंड मुख्यालय के साथ मिलाने पर सामान्य बल दिया गया है। इस से पहाड़ी आदिवासी खंडों में योजनाओं की देखरेख तथा कार्यान्विति काफी हद तक सुनिश्चित है जाती है।

(ख) आदिवासी विकास खंडों में काम करने वालों को अदिमजातियों के रहन सहन तथा उनकी संस्कृति के बारे में पुनरनुस्थापन प्रशिक्षण इसलिये दिया जाता है ताकि उनमें आदिम जातियों के प्रति सहानुभूति की भावना पैदा हो इस बात को विवरण में स्पष्ट करना कठिन है कि आदिवासी खंडों में निर्धारित राशि के कम खर्च करने का कारण क्षेत्र कर्मचारियों का असहानुभूतिपूर्ण तथा उदासीन रवैया है।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासकों को हिदायतें जारी की गई हैं कि वे आदिवासी क्षेत्रों में क्षेत्र अधिकारियों के व स्थान भरने के लिये उचित अर्हताप्राप्त आदिवासियों को प्राथमिकता दे।

(घ) खण्ड विकास अधिकारियों तथा आदिवासी विकास खण्डों में विस्तार अधिकारियों को रांची, जबलपुर, उदयपुर तथा भुवनेश्वर में सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय द्वारा चालू किये गये आदिवासी पुनरनुस्थापन तथा प्रशिक्षण केन्द्रों में पुनरनुस्थापन प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरे कर्मचारियों को केन्द्रीय सहायता से कुछ राज्य सरकारों द्वारा स्वयं चलाई गई आदिवासी गवेषणा तथा प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में जहां यह व्यवस्था नहीं है वे अपने कर्मचारियों को पड़ोसी राज्यों में या निकटतम राज्यों में भेज देते हैं। आदिवासियों के रहन-सहन तथा संस्कृति का पुनरनुस्थापन प्रशिक्षण, सामुदायिक विकास खण्डों में सामान्य प्रशिक्षण के अतिरिक्त है।

### आदिम जाति विकास खण्ड

2672. श्री ह० च० सौय : क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिम जाति विकास खण्डों के लिये नियत की गई राशि में से शिक्षा और आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिये जो धन व्यय किया गया उस पर प्रत्येक राज्य में अलग-अलग महत्व दिया गया है जैसा कि मंत्रालय की वर्ष 1964-65 की वार्षिक रिपोर्ट के व्यय के आंकड़ों में दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). सामाजिक सुरक्षा विभाग की 1964-65 की वार्षिक रिपोर्ट में आदिवासी विकास खण्डों में शिक्षा और आर्थिक उत्थान की योजनाओं के बीच किये गये व्यय के पृथक पृथक आंकड़े नहीं दिये गये हैं।

तथापि आदिवासी विकास खण्डों के में कार्यक्रम आर्थिक विकास की योजनाओं को शिक्षा योजनाओं की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जाती है।



## आदिवासी विकास खण्ड

2673. श्री ह० च० सौय : क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन प्रतिवेदन में इस विषय पर दिये गये विवरण के पश्चात्, आदिवासी विकास खण्डों के खोले जाने तथा उनके कार्य करने से आदिवासी लोगों पर हुए आर्थिक प्रभाव का कोई मूल्यांकन अथवा अध्ययन किया गया है;

(ख) आदिवासी खण्डों के लिये चौथी योजना में वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने का आर्थिक आधार क्या है; और

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तीसरी योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन प्रतिवेदन के छप जाने के बाद से आदिवासी विकास खण्डों के कार्यक्रम के, आदिवासी लोगों पर हुए, आर्थिक प्रभाव का कोई विशेष मूल्यांकन अथवा अध्ययन नहीं किया गया है। फिर भी योजना आयोग, राज्य सरकारों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त कार्यालय द्वारा समय समय पर इन खण्डों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा विभाग में पिछड़े वर्गों के कल्याण निदेशक को आदिवासी विकास खण्डों की कार्यप्रणाली का विस्तृत अध्ययन करने का काम भी सौंप दिया गया है।

(ख) और (ग). आदिवासी विकास खण्ड के लिये, सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा, नियत की गई राशि के लिये किसी दुष्परिवर्तनशील योजनायुक्त आयव्ययक की व्यवस्था नहीं की गई है। तथापि इस प्रयोजन के लिये निम्नलिखित मुख्य तरीका अपनाया गया है :—

(लाख रुपयों में)

व्यय शीर्षक	व्यवस्था	
	आदिवासी विकास चरण एक के दौरान	आदिवासी विकास चरण दो के दौरान
1. मोटरगाड़ियों की खरीद तथा परियोजना कार्यालय के कर्मचारी	2. 00	1. 00
2. आर्थिक विकास	4. 80	2. 40
8. संचार	2. 00	1. 00
4. सामाजिक सेवायें	1. 20	0. 60
योग	10. 00	5. 00

ऊपर दी गई सारणी से यह स्पष्ट हो जायेगा कि मोटर गाड़ियों तथा परियोजना कार्यालय के कर्मचारियों के लिये व्यवस्था करने के पश्चात् प्रथम चरण में 8 लाख रुपये तथा दूसरे चरण में लाख रुपये के सन्तुलन का शेष योजनाओं में प्रतिशत वितरण इस प्रकार है :—

आर्थिक विकास	60 प्रतिशत
संचार	25 प्रतिशत
सामाजिक सेवायें	15 प्रतिशत

चौथी योजना में इसी तरीके के अपनाये जाने की सम्भावना है ।

#### पर्यटक कर्मचारियों का प्रशिक्षण

2674. श्री श्रीनारायण दास : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों तथा कोलम्बो योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली अधिछात्रवृत्तियों से लाभ उठाने तथा उनका लाभ पहुंचाने में भारत कहां तक सफल हुआ है;

(ख) क्या विदेशी पर्यटकों के सम्पर्क में आने वाले सभी सरकारी विभागों में पूर्ण अर्हता प्राप्त तथा पूरी जानकारी रखने वाले कर्मचारियों की उपलब्धता के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अभी तक पर्यटन विभाग के दो अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र अधिछात्रवृत्तियों से लाभ उठाया है ।

1962 से इकाफे देशों से पर्यटक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये कोलम्बो योजना के अन्तर्गत पर्यटक विभाग ने तीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संगठन किया है । इन पाठ्यक्रमों में 26 अधिकारी प्रविष्ट हुए ।

(ख) और (ग) .विदेशी पर्यटकों के सम्पर्क में आने वाले राजस्व और अप्रवासी कर्मचारियों के सम्बन्ध में 1963 में पर्यटन पर तदर्थ समिति ने इस बारे में प्रारम्भिक निर्धारण किया था । पर्यटन विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा यात्रा व्यापार के पर्यटक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये पाठ्यक्रम की व्यवस्था करता है । खाद्य और कृषि मंत्रालय ने होटल प्रबन्ध और खान पान प्रबन्ध के बारे में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये हैं जो होटलों में तथा इस उद्योग के संश्रित अनुभागों की प्रशिक्षित कर्मचारियों की मांग की पूर्ति करते हैं ।

#### पंजाब में कृषि औद्योगिक निगम

2675. { श्री राम सहाय पाण्डेय :  
श्री ल० ना० भंजदेव. :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित कृषि औद्योगिक निगम में केन्द्र के अंश को बढ़ाने की संघ सरकार से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां। पंजाब सरकार ने रूजी निवेश के 50 प्रतिशत भाग के लिए अंशदान मांगा है जबकि भारत सरकार ने 25 प्रतिशत की पेशकश की थी।

(ख) राज्य सरकार को परामर्श दिया गया है कि इस प्रार्थना पर विस्तृत योजना के प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। यह योजना अभी प्राप्त होती है।

#### Fodder for Cattle

**2676. Shri Sidheshwar Prasad:** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that pastures are gradually becoming extinct in our Country;

(b) whether Government's attention has also been drawn to the fact that due to the scarcity of fodder the breeding of cattle is generally deteriorating; and

(c) if the replies to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the arrangement being made for the supply of sufficient fodder for the cattle?

**The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan):** (a) and (b). While it is generally known that the quality of grazing has declined due to over-grazing in some areas and that mal-nutrition is one of the causes of lack of breeding among cattle, it is not quite correct to say that the pastures are becoming extinct and that the breeding of cattle is generally deteriorating.

(c) The Government of India and State Governments have taken various measures for increasing the production of feeds and fodder and improvement of grazing areas. Some of the important measures are as under:—

- (i) A scheme for the development of feeds and fodder resources has been taken up in various States under the Third Five Year Plan.
- (ii) A Centrally sponsored scheme for the establishment of Fodder Banks has been sanctioned. Under this scheme, a Fodder Bank has been established at Dhulia in Maharashtra and the proposal for establishment of one Fodder Bank each in Andhra Pradesh and Bihar has been sanctioned.
- (iii) A Fodder Research Scheme for evolving suitable and high yielding variety of grasses and fodder crops have been sanctioned by the Indian Council of Agricultural Research in a number of States.
- (iv) The Government of India have established the Indian Grassland and Fodder Research Institute at Jhansi in November, 1962. This Institute, when fully established

will collect research information on all aspects of grass-land and fodder development, and utilisation, co-ordinate research on this subject in the country and also train up personnel both for research and extension.

- (v) A number of States have set up State Fodder and Grazing Committees with official and non-official members, with a view to devoting increased attention to the problems of feeds and fodder development. A Standing Committee has also been set up in the Ministry of Food and Agriculture to review the work connected with the development of feeds and fodder resources in the country.

### फलों का चूर्ण बनाने वाला कारखाना

2677. { श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :  
श्री बसवन्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलगांव (महाराष्ट्र) में परिष्करण संयंत्र कुछ फलों का चूर्ण बनाने का कार्य आरम्भ करेगा;

(ख) क्या संयंत्र केले, आम तथा पपीते का चूर्ण तैयार करेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या परीक्षण के तौर पर किया गया उत्पादन सन्तोषजनक रहा है तथा क्या उत्पादन अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों को निर्यात किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जवगांव जिला सहकारी विपणन समिति ने केले का चूर्ण बनाने के लिये जलगांव में एक कारखाना स्थापित किया है।

(ख) जी, हां; समिति ने केला, आम और पपीता का चूर्ण बनाने के लिये परीक्षण किये हैं।

(ग) समिति ने परीक्षण के तौर पर किये गये उत्पादों के गुण जानने के लिये भारत और डेनमार्क की प्रयोगशालाओं को नमूने विश्लेषण के लिये भेजे हैं किन्तु परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुए। समिति द्वारा उत्पादित फल चूर्ण को अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में भी भेजने का विचार है।

### Breeding of Pigs

2678. **Shri Baswant:** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) the number of States in which pig breeding scheme has been implemented;

(b) whether any particular scheme for increasing the reproduction of pigs is under consideration; and

(c) if so, the details thereof?

**The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan):** (a) to (c). Under the Second and Third

Five-Year Plans and the Special Development Programme recently sponsored by the Government of India, piggery development scheme has been taken up in all States|Union Territories except Gujarat, Jammu & Kashmir, Nagaland, NEFA, Andamans and Laccadive.

Three regional pig breeding stations have been set up in U.P., West Bengal and Maharashtra while one more is being set up in Andhra Pradesh. Each station is expected to produce about 1000 stud boars annually for distribution to State pig breeding units|piggery development blocks. All the stations are expected to have bacon factories attached to them. The establishment of similar stations in Bihar, Kerala and Rajasthan has recently been approved by the Government of India.

Under the second phase of the piggery development scheme, 24 pig breeding units each with a foundation stock of 30 sows and 6 boars of exotic breed have been set up all over the country. The superior stock produced at these units is distributed in the piggery development blocks 82 of which have been established. The establishment of two pig breeding farms in Madras and U.P. and 10 piggery development blocks in U.P. has also recently been approved.

#### Prices of Sugar-Cane

**2679. Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether Government have fixed the prices of sugar-cane for 1965-66; and

(b) if so, when the rates so fixed will be announced?

**The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan):** (a) Not yet, Sir.

(b) The minimum sugarcane price payable by sugar factories in 1965-66 season will be announced before the commencement of that season.

#### अनाज का परिवहन

2680. { श्री हुकम चन्द कछवाय :  
श्री किशन पटनायक :  
श्री स० मो० बनर्जी :  
श्री नवल प्रभाकर :  
श्री श० ना० चतुर्वेदी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1961, 1962 और 1963 के दौरान टेंडरों की गलत गणना करने और कार्यआदेशों की कार्यान्विति के कारण बम्बई, कांडला और विशाखापट्टनम के पत्तनों को निम्नलिखित केन्द्रीय भंडार डिपों पर अनाज के परिवहन में गड़बड़ी के कारण सरकार को कुछ हानि उठानी पड़ी;

दिल्ली, हरडोया गंज, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, शाहजहाँपुर, हैदराबाद, हापुड़, बरेली, लखनऊ, बाराबंकी, मथौदा, इलाहा, राजपुर, अजमेर, बोकारो, नागपुर और बम्बई ।

- (ख) क्या इस विषय में किसी जांच के लिये आदेश दिया गया है ;  
 (ग) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ; और  
 (घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय म उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :** (क) जी, नहीं । खाद्यान्नों की सम्भाल और ढुलाई के ठेके, सामान्य नियम के अनुसार, टेंडर देने वालों के सामने टेंडर खोलकर, सब से कम टेंडर देने वाले को दिये जाते हैं । पहले टेंडर देने वालों को काम की प्रत्येक मद के लिए दरें बतानी पड़ती थीं और कुछ टेंडर देने वाले काम की कुछ मदों के लिए कम दरें और कुछ के लिए ऊंची दरें बताते थे । टेंडर आमंत्रित करते समय पूर्वानुमानित कार्य के प्रतिरूप के आधार पर प्रत्येक टेंडर देने वाले द्वारा बतायी गयी दरों से सरकार की तुलनात्मक लागत बना ली जाती थी । ठेके की अवधि में कभी कभी काम का प्रतिरूप एक या दूसरे कारण से बदल जाता तो उस से ठेके देने के समय में लागत की की गयी मूल गणना में कुछेक मामलों में गड़बड़ी हो जाती थी । इस कठिनाई को दूर करने के लिए एक नई पद्धति लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत टेंडर फार्मों में प्रत्येक सेवा के लिए अनुसूचित दरें दी जाती हैं और टेंडर देने वालों के लिए यह अपेक्षित है कि वे अनुसूचित दरों से एक प्रतिशत अधिक या कम दर जिस पर या उसके बराबर दरों पर वे काम करने के लिए तैयार हों, बतावें । इससे काम के पूर्वानुमानित प्रतिरूप में परिवर्तन होने से तुलनात्मक लागत की गणना में होने वाली गड़बड़ी की सम्भावना दूर हो गयी है ।

(ख), (ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

#### कलकत्ता-आसाम रिवर्स स्टीम नेवीगेशन कम्पनी

2681. { श्री प्र० चं० बरुआ :  
 { श्री श्रींकार ल ल बेरवा :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टीमर सर्विसों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में वित्तीय प्रश्नों पर विचार करने के लिये क्या 8 और 9 अप्रैल को भारत और पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों तथा कलकत्ता-आसाम रिवर्स स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के प्रबन्धकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक बुलाई गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो वहां किन विशेष विषयों पर विचार हुआ और उसके क्या परिणाम निकले ?

परि हन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) पाकिस्तानी कर्मिंदल की निम्नलिखित मांगों पर विचार विमर्श हुआ था :—

- 1—सब पाकिस्तानी कर्मचारियों की मजदूरी का 50 प्रतिशत तथा उपदान, भविष्य निधि, क्षतिपूर्ति का भुगतान पाकिस्तान में किया जाये ; और
- 2—अब जितने पदों पर पाकिस्तानी राष्ट्रिक हैं उन पर पाकिस्तानी ही रहेंगे जब तक कि कोई पद मृत्यु, निवृत्ति, इस्तीफा, पदच्युति के फलस्वरूप रिक्त न हो और उसी दशा में उस पर गैर-पाकिस्तानी नियुक्त किया जा सकेगा ।

निम्नलिखित निर्णय किये गये :—

(1) मजदूरी :

- (क) चूंकि मौजूदा विनियमों के अन्तर्गत जो पाकिस्तानी राष्ट्रिक कम्पनी में नियुक्त हैं उन में से अधिकांश रिजर्व बैंक आफ इंडिया से बिना किसी प्रकार की विशेष इजाजत प्राप्त किये 50 रुपये प्रति मास अपने परिवारों को भेज सकते हैं और इससे अधिकांश कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, अतः यह निर्णय हुआ कि इस सम्बन्ध में तुरन्त ही किसी प्रकार के विशेष परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।
- (ख) जहां तक बेड़ा-कर्मचारियों का सम्बन्ध है, जिनकी मजदूरी भत्ता मिला कर 150 रुपये मासिक या उससे अधिक है पाकिस्तान में उनके परिवारों के खर्च के लिये 50 रुपये मासिक अर्पण प्राप्त समझा गया । अतः यह सिफारिश की गयी कि जिन कर्मचारियों को भत्ता मिलाकर 150 रुपये मासिक या अधिक मजदूरी मिलती है उन्हें विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के ढांचे के भीतर, बजाय 50 रुपया मासिक के अपनी मजदूरी का 50 प्रतिशत और अधिकतम 250 रुपये भेजने की अनुमति दे दी जाये ।
- (ग) जिन बेड़ा-कर्मचारियों को 150 रुपये मासिक से कम मजदूरी मिलती है उन की स्थितिसे सम्बन्धित प्रश्न बाद में विचार-विमर्श करने के लिये खुला रखा गया है ।

(2) निवृत्ति लाभ :

(क) भविष्य निधि में जमा पूजा और उपदान का भुगतान

समिति ने सिफारिश की कि कर्मचारियों की भविष्यनिधि और उपदान के रूप में पाकिस्तान में (208868.81 रु०) और भारत में (114665.04 रु०) जमा राशियां एक देश से दूसरे देश में लौटाने की अनुज्ञा दी जाये और दोनों ओर के बाकी दावे निबटा दिये जायें । पाकिस्तान की जो राशि भारत में है उसे भारत की पाकिस्तान में स्थित राशि से निकालने के बाद बाकी बची 94200 रु० की राशि का निबटारा समानता के आधार पर नीचे (ख) में दी गयी रीति से किया जा सकता है । इन राशियों का दोनों देशों में कम्पनी के खातों से सत्यापन होना है ।

## (ख) भविष्य में निवृत्ति देय का भुगतान

यह निर्णय हुआ कि कम्पनी के कर्मचारियों की समस्याएं पारस्परिकता के सिद्धान्त के आधार पर निपटायी जा सकती है। अतः उसकी यह भावना थी कि कम्पनी के कर्मचारियों के निवृत्ति देय पाकिस्तान को भेजने की अनुमति दी जाय बशर्तें उन भारतीय रायष्ट्रिकों के निवृत्ति देय भी समानता के आधार पर भारत भेजने की अनुमति दी जाये, जिन्होंने गैर सरकारी संस्थानों में सेवा की और जो पहले निवृत्त हो गये थे।

## २—पाकिस्तानी राष्ट्रकों का अपने पदों पर बना रहना

यह तय हुआ कि दोनों सरकारों के बीच, जिसमें समुचित स्तर के प्रतिनिधि भाग लेंगे, शीघ्र ही होने वाली बैठक में विचार विमर्श के लिये यह प्रश्न खुला रखा जाय।

**Ban on Pounding of Rice**

2682. { **Shri Rananjai Singh:**  
          { **Shri Yashpal Singh:**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to lift the ban on the pounding of paddy by mechanised methods in the rural areas with a view to remove the scarcity of rice and to increase its production in the country; and

(b) if so, when the ban is likely to be lifted?

**The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan):** (a) There is no ban as such on the pounding of paddy by mechanised methods.

(b) Does not arise.

**खाद्य भण्डार**

2683. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया सरकार से खाद्य का रक्षित भण्डार बनाने में भारत की सहायता करने के लिये कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उस सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :** (क) समीकरण भण्डार तैयार करने के लिये आस्ट्रेलिया के प्राधिकारियों के साथ कुछ विशेष प्रबन्धों के अधीन गेहूं सप्लाई करने के बारे में अनौपचारिक बातचीत हुई थी।

(ख) इस समय आस्ट्रेलिया सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में बताना सम्भव नहीं है क्योंकि मला अभी भी उनके विचाराधीन है।



**बिहार फ्लाईंग क्लब के विमान का विवशतावश उतरना**

2684. { श्री तुला राम :  
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना फ्लाईंग क्लब का टाइगर मोथ विमान को 11 अप्रैल, 1965 को सदाकत आश्रम, पटना के सामने गंगा की रेती में विवशतावश उतरना पड़ा और विमान में बैठे कुछ व्यक्तियों को चोटें आई ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या हैं ; और

(ग) इस कारण कुल कितनी हानि हुई ?

**असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) भारत सरकार का एक टाइगर माउथ विमान को, जो बिहार फ्लाईंग क्लब, पटना द्वारा चलाया जा रहा था, 11 अप्रैल, 1965 को पटना हवाई अड्डे के 8 मील पूर्व में, गंगा के पूर्वी किनारे पर जबरदस्ती उतरना पड़ा । विमान ट्रेनिंग उड़ान के समय ग्रस्त हो गया और विमान में बैठे एक इन्स्ट्रक्टर और विद्यार्थी चालक क मामूली चोट आई ।

(ख) दुर्घटना की जांच की जा रही है ।

(ग) विमान को भारी क्षति पहुंची है और इससे भारी नुकसान हो सकता है ।

**आस्ट्रेलिया से उपहार के रूप में बेकरियां**

2685 { श्री तुला राम :  
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया सरकार कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत को उपहार के रूप में छः स्वचालित बेकरियां दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा उनका कुल मूल्य कितना है ; और

(ग) ये बेकरियां भारत में कहां कहां स्थापित की जायेंगी ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :** (क) जी, हां ।

(ख) 6 स्वचालित बेकरियों की कीमत 250,000 आस्ट्रेलियन पौण्ड है और इन की शीघ्र सप्लाई होने की आशा है ।

(ग) इन 6 बेकरियों को कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद और एरनाकलम में स्थापित करने का विचार है ।

गोबर का ईंधन के रूप में प्रयोग

2686. { श्री रा० बरुआ :  
श्री कोया :  
श्री रामेश्वर टांटिया :  
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :  
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :  
श्री बूटा सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्र में ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने वाले गोबर की मात्रा का कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो दूसरा सस्ता ईंधन देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि गोबर का खाद के रूप में प्रयोग किया जा सके ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां । व्यावहारिक अर्थशास्त्र गवेषणा सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद् द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार देश में कुल गीला गोबर लगभग 13350 लाख टन होता है जो 2670 लाख टन सूखे गोबर के बराबर होता है । परिषद् ने यह अनुमान लगाया है कि 522 लाख टन सूखा गोबर (कुल उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत) ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रार्थना की है कि वे वैकल्पिक सस्ता ईंधन देने के लिये निम्नलिखित उपाय करें :—

(एक) गोबर की गैस के संयंत्रों को लगाना जो किसान की ईंधन तथा खाद की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं ।

(दो) देहातों में शामलात भूमि पर, बेकार पड़ी भूमि पर तथा खेतों की सीमाओं पर, जल्दी उगने वाले वृक्षों को तथा जंगलों का लगाना । इस के अतिरिक्त राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे कच्चे कोक के डिपुओं आदि के सम्बन्ध में उदार नीति बरत कर कच्चे कोक का ईंधन के रूप में अधिक प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहन दें ।

सांताक्रूज हवाई अड्डे पर रेडार सहायक-यंत्र

2687. श्री दी० चं० शर्मा : क्या असेनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के सांताक्रूज हवाई अड्डे पर अधिक अच्छा रेडार सहायक-यंत्र लगाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की विशेषताएं क्या हैं ?

असेनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). यथावत् अवतरण रेडार (पी० ए० आर०) सांताक्रूज हवाई अड्डे पर लगाया जा रहा है । वर्तमान हवाई अड्डा निगरानी रेडार

(ए० एस० आर०) के साथ पूर्ण थल नियंत्रित पहुंच (जी०सी०ए०) प्रणाली की व्यवस्था भी होगी। प्रिसीजन अप्रोच राडार (पी०ए०आर०) से पायलट पूर्वनिश्चित पथ पर रनवे की समाप्ति के स्थान पर आसानी से उतर सकें। इससे विमान यातायात कंट्रोलरों को विमान के रेन्ज के आंकड़ों के बारे में मालूम हो सकेगा कि विमान रनवे पर उतरने के स्थान पर वायु में 10 मील से नीचे आ सकता है या नहीं। इस जानकारी से विमान यातायात कंट्रोलर पायलटों को उतरते समय दाहिने-बायें, ऊपर-नीचे आदि के बारे में हिदायतें दे सकते हैं।

### Purchase of Dairy Equipment From Sweden

2688. { Shri Tula Ram:  
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether Government have sent a team officers to Sweden in connection with the purchase of dairy equipmnt from that country; and

(b) if so, the particulars of the officers included in the said team?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Yes.

(b) (i) Dr. K. K. Iya, Dairy Development Adviser.

(ii) Shri V. A. Mehta, S. T. C. representative in Holland and

(iii) Shri D. N. Chaudhuri, Joint Financial Adviser, State Trading Corporation.

### मद्रास में भाण्डागार

2689. श्री धर्मलिंगम : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में इस समय केन्द्रीय भाण्डागारों की संख्या कितनी है और उनमें कितना माल रखा जा सकता है ;

(ख) क्या उन की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो काम कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चन्हाण): (क) इस समाचार केन्द्रीय भाण्डागार हैं जिनकी कुल क्षमता 10,528 टन है।

(ख) जी, हां। 2,23,690 टन की क्षमता बढ़ाने का विचार है।

(.) कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है।

## मद्रास में समाज कल्याण

2690. श्री धर्मलिंगम : क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 तथा 1964-65 में मद्रास सरकार को समाज कल्याण विस्तार परियोजनाओं, सामाजिक तथा नैतिक आरोग्य और बाद की देखभाल के कार्यक्रम के लिये कितनी रकम की केन्द्रीय सहायता दी गई ; और

(ख) इस सम्बन्ध में वास्तव में कितनी रकम खर्च हो चुकी है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :

	मंजूर की गई राशि	खर्च की गई राशि
	रुपये	रुपये
(एक) कल्याण विस्तार परियोजनायें		
1963-64	*कोई नहीं	कोई नहीं
1964-65	*कोई नहीं	कोई नहीं
(दो) सामाजिक तथा नैतिक स्वास्थ्य विज्ञान और उत्तर-अवेक्षा कार्यक्रम		
1963-64	22,000.00	जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।
1964-65	** कोई नहीं	कोई नहीं।

\*मद्रास सरकार योजना को लागू नहीं कर रही है।

\*\*केन्द्रीय सहायता इसलिये नहीं दी गई क्योंकि मद्रास सरकार ने 1963-64 में वास्तविक व्यय तथा 1964-65 में अनुमानतः व्यय नहीं किया।

## देहाती कार्यक्रम प्रोग्राम

2691. श्री श्रीनारायण दास : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में आरम्भ की जाने वाली देहाती कार्य प्रोग्राम योजना की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कितना क्षेत्र आयेगा ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि नियत की गई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) व (ख) चालू वर्ष में इस कार्यक्रम को नए खंडों में लागू नहीं किया जायेगा। इसे सुदृढ़ करने और प्रबल बनाने पर बल दिया जा रहा है। राज्य सरकारों को भी कहा जायेगा कि वे कुछेक चुने हुए खंडों, जहां यह कार्यक्रम चल रहा है, को गहन कार्य की गुंजाइश का अध्ययन करने और भावी आयोजन के प्रतिमान स्थापित करने के लिए लें।

(ग) चालू वर्ष के लिये राज्यों को जो धनराशि दी जानी है, उस का विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। [देखिये संख्या एल० टी०-4287/65]।

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

### CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

#### बाराहोती के निकट चीनी सेना के भारी जमाव के समाचार

**Shri Hukam Chand Kachhavaia (Dewas):** I call the attention the of the Minister of Defence on the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

*“Reported heavy concentration of Chinese troops near Barahoti”.*

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, सदन को मालूम है कि हमारी उत्तरी सीमाओं के साथ साथ चीनी सेनाओं का जमाव है। कुछ समय पहले, मैंने सहायी यूनिटों तथा अन्य सेनाओं सहित जो वहां जमा हैं, 13 से 16 चीनी डिवीजनों का उल्लेख किया था। अक्टूबर-नवम्बर 1962 के अतिलंघन के समय काम में लाए गए सैनिकों से, उनकी शक्ति कई बार अधिक रही है, और है। मुझे विश्वास है, कि सदन हर स्थान पर चीनियों द्वारा नियुक्त की गई वास्तविक सैनिक शक्ति व्यक्त करने की प्रत्याशा नहीं करेगा। तदपि, मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं, कि बाड़ाहोती के सामने चीनियों द्वारा पांच डिवीजनों की नियुक्ति अत्युक्ति है। हमें ऐसी भी कोई रिपोर्ट नहीं मिली, कि चीनियों ने बाड़ाहोती के निकट कोई हवाई अड्डा बना लिया है। तदपि इस बात की हमें जानकारी है, कि उन्होंने कई आधुनिक हवाई अड्डों का निर्माण कर लिया है, और कईयों में सुधार भी; साथ ही उन्होंने तिब्बत के विभिन्न क्षेत्रों में विमान उतारने के लिए पट्टियों का भी निर्माण कर लिया है।

2. यह सच नहीं है, कि बाड़ाहोती क्षेत्र में चीनी और पाकिस्तानी एजेंट काम कर रहे हैं, जिस से स्थानीय जनता में आतंक फैलता है। यह भी सच नहीं है, कि उस क्षेत्र से अधिक संख्या में लोग भाग गए हैं। बाड़ाहोती डेढ़ वर्ग मील का एक छोटा सा चरागाह क्षेत्र है, जिस में कोई आबादी नहीं है, परन्तु जहां तक आस पास के भी क्षेत्रों की आबादी का प्रश्न है, उस में किसी प्रकार का आतंक नहीं छाया है, और रिपोर्ट का यह अंश बिलकुल गलत है।

**Shri Hukam Chand Kachhavaia:** May I know whether Government will be pleased to apprise this House of the exact deployment or

(Shri Hukam Chand Kachhavaia)

the extent of the heavy concentration of the Chinese troops on the northern border of India including Barahoti; whether there is any connection between this concentration and the attack made by the Pakistanis troops in Kutch; and whether it is also a fact that this information was received late by the Government and it was given to the public after much delay?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझता हूँ कि मैंने अपने वक्तव्य में सेना के जमाव के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

अध्यक्ष महोदय : केवल इस बात का उत्तर देना शेष है कि क्या सेनाओं के उस जमाव का कच्छ में पाकिस्तान द्वारा किये जा रहे आक्रमण से किसी प्रकार कोई सम्बन्ध है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं आमतौर पर यही कह सकता हूँ कि वहाँ पर चीनी सेनाओं का जमाव कुछ समय पूर्व से हो रहा है । पाकिस्तान सीमा पर जो कुछ हो रहा है उसका इससे अवश्य ही सम्बन्ध होगा । यह स्वयं निष्कर्ष निकालने और स्थिति का मूल्यांकन करने का प्रश्न है । और हम समय-समय पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं ।

**Shri Hukam Chand Kachhavaia:** Sir, one part of my question regarding late receipt of information pertaining to the concentration of Chinese troops there, still remains to be answered.

**Shri Y. B. Chavan:** There was no delay anywhere.

श्रीमती रेणुका बड़कटकी (बारपेटा) : क्या चीन बाराहोती क्षेत्र में भारी संख्या में अपनी सेनाओं का जमाव करके वास्तविक नियंत्रण रेखा को पाकिस्तान की आड़ में अपने हक में बदलने का प्रयत्न कर रहा है क्योंकि वह समझता है भारतीय सेनाओं का ध्यान कुछ कच्छ की ओर केन्द्रित है ; और यदि हाँ, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में चीन की इस चाल को कामयाब न होने देने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जैसा कि मैंने कहा, चीनी सेनाओं का जमाव मुख्यतः केवल बाराहोती में ही नहीं है अपितु यह जमाव समस्त सीमा के साथ-साथ है । निश्चय ही हम स्थिति के बारे में पहले से जागरूक हैं ।

**Shri Bagri (Hissar):** It is absolutely necessary for the people of any country to have a high morale in order to depend and protect their country, and that is possible only when the Government comes forward with a clear cut policy as we have strained relations with China, and the Chinese Embassy . . .

**Mr. Speaker:** He may put a question.

**Shri Bagri:** I want to give some background.

**Mr. Speaker:** It should not be lengthy enough.

**Shri Bagri:** I would like to know whether this Government is prepared to formulate and follow a clear cut policy about China instead of wavering policy?

**Mr. Speaker** It becomes difficult to understand your lengthy question hence your question may not be replied.

**Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur):** I would like to know whether Government envisages attacks on any Indian border or it presupposes full preparedness on their part to meet any situation?

**Shri Y. B. Chavan:** The Defence Minister has accepted the responsibility of defending the borders of the entire country.

**Shri Brij Raj Singh (Bareilly):** It is a welcome feature that a very big aerodrome has been built at Bareilly. But the link roads to Barahoti are not in a good condition as to render a satisfactory service. The culverts are very weak. May I know whether the Defence Minister proposes to further construct the remaining link roads?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण उत्तरदायित्व सीमा सड़क संगठन ने अपने ऊपर लिया हुआ है। सामरिक दृष्टि से आवश्यक सभी सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। सदस्य महोदय ने अपने पत्र में भी किसी विशेष सड़क का उल्लेख किया है और मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि मैं मामले की जांच करवाऊंगा।

**Shri Vishwanath Pandey (Salempur):** The hon. Minister has stated that there has been a heavy concentration of the Chinese troop near Barahoti and that there is panic in that area. May I know whether the security of the place is a subject of U.P. Government or it is to be taken over by the Centre?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** मैंने यह बताया है कि उस क्षेत्र में कोई भी आतंक फैला हुआ नहीं है। सारा प्रश्न इसी आतंक के आधार पर पूछा गया है। किन्तु निश्चय ही उस क्षेत्र में उचित सैनिक कार्यवाही की जायेगी।

**श्री दो० चं० शर्मा (गुरदासपुर):** आज हमारे देश को पाकिस्तान और चीन दोनों से खतरा है। स्पष्टतः इन दो देशों के बीच सांठगांठ चल रही है। यदि ये दोनों देश किसी प्रकार हम पर एक साथ हमला कर दें, तो क्या उस स्थिति में हमारा देश उनका मुकाबला कर सकेगा?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** जी, हां।

**श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद):** क्या यह सच है कि बाराहोती तथा अन्य सीमों क्षेत्र में कुछ चीनी समर्थक साम्यवादियों और कांग्रेस पार्टी तथा सरकार के कुछ सदस्य के देश द्रोही गतिविधियों के परिणाम-स्वरूप स्थिति और भी अधिक बिगड़ डुग है, जैसा कि राजस्थान के मंत्री के हाल ही के भाषण से स्पष्ट हुआ है, यदि हां, तो कांग्रेस पार्टी और सरकार के ऐसे सदस्यों की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** मैं इस आरोप को कतई नहीं मानता कि कांग्रेस दल अथवा सरकार में कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो चीन के समर्थक हैं। किन्तु निश्चित रूप

से हम इस क्षेत्र में होने वाली राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर सावधानी पूर्वक निगरानी रखते हैं। हम इसके बारे में बहुत सावधान हैं। इस विशेष क्षेत्र में ऐसी कोई भी राष्ट्र-विरोधी गतिविधि देखने में नहीं आई। (अन्तर्बाधायें)।

**Mr. Speaker:** How can the proceedings go on it. Members talk freely in this manner? After all we have to maintain the decorum in the House and the dignity of the House is going down. All Members are responsible for this. Exercise of the control is absolutely necessary. But I cannot exercise it without the co-operation of the hon. Members. I am prepared to give opportunity to all the Members. Every Member should exercise restraint on himself we are being ridiculed outside.

**Shri Hari Vishnu Kamath:** Opposition Parties are not responsible for all this.

**Mr. Speaker:** All are responsible.

**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** (अडोनी) : क्या सरकार ने राजनयिक सूत्रों द्वारा कोलम्बो राष्ट्रों को यह जानकारी देकर उन्हें प्रभावित किया है कि बाराहोती क्षेत्र में चीनी सेनाओं का जमाव उचित नहीं है?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** इस विशेष मामले के सम्बन्ध में कोलम्बो राष्ट्रों के साथ बातचीत करने का कोई प्रश्न नहीं है।

**श्री स० मो० बनर्जी:** (कानपुर) : मंत्री महोदय ने बताया कि सभी सीमा-क्षेत्रों पर चीनी सैनिकों का जमाव है। क्या यह सच है कि हाल ही में चुम्बी घाटी के आस-पास चीनी सेनाओं का बहुत बड़ी संख्या में जमाव हो गया है और जहां चीनी सम्भवतः आक्रमण करने वाले हैं यदि हां, तो सरकार चुम्बी घाटी से होने वाले आक्रमण को विफल करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** चुम्बी घाटी क्षेत्र एक संवेदनशील क्षेत्र समझा जाता है। मैंने स्वयं इसकी चर्चा प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों पर चल रहे वादविवाद के दौरान इसकी चर्चा की थी, मैं सभा को यह विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र में हमारे सीमान्त क्षेत्रों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये गये हैं:

**Shri Onkar Lal Berwa (Kotah):** Both, the small and the great Barahoti areas are ours, but the whole of Barahoti area which has been taken as a disputed area is now in Chinese occupation. May I know whether Government are making any preparations with a view to throw them out or face them; and what is the area of all the borders where there is concentration of Chinese forces?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** मैंने पहले भी कहा है कि सेना का जमाव बाराहोती से उनकी ओर है।



**Shri Yudhvir Singh:** Ever since Pakistan and China have entered into agreement the concentration on our northern border has increased. Pakistan has increased its aggressive activities. Has the number of provocative activities also increased on northern border?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** हम सभी गतिविधियों पर ध्यान दे रहे हैं। मैं इस विषय में और जानकारी नहीं दे सकता।

**श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा :** यह कहा गया है कि चीनियों ने हवाई पट्टियां बना ली हैं और वहां से हेलीकोप्टर को उड़ा कर वे हमारी सेना की गतिविधि को देखते हैं। क्या हमने अपनी सेनाओं को हिदायत करदी है कि वे इन को नीचे गिरा दें?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** मेरे विचार में ये स्थायी आदेश पहले ही दिये हुए हैं।

**Shri Madhu Limaye:** Mr. Speaker Sir, I rise on a point of order. About 15 or 20 days ago I had given a calling notice on this subject, but it was rejected. I am glad that you have admitted it today though my name is not there on the notice. Now I want to know whether I can put question on this subject.

**Mr. Speaker:** No Sir, Not only you but a few more hon. Members asked this. Mr. Kapur Singh has written to me in this regard to-day. I had received a notice from Shri Madhu Limaye, on this subject. Shri Kapur Singh, Shri Prakash Vir Shastri and a few more—the subject was:—

बाराहोती के निकट चीनियों द्वारा नई चौकी बनाने का समाचार

**Shri Madhu Limaye:** Sense of fear is prevalent in the border area on account of concentration of Chinese forces. That is why it is linked with that.

**Mr. Speaker:** When I received this notice, I enquired from Government about it and was informed that no such post has been established and accordingly I rejected the notice on that day. Now a new question has been raised. I cannot link both. The subject of your notice was entirely different from this notice.

**Dr. Ram Manohar Lohia:** Those who are alert should be listened to by you first.

**श्री कपूर सिंह (लुधियाना) :** श्रीमन, यह प्रश्न लगभग 30 मार्च को उत्तर प्रदेश विधान सभा में उठाया गया था। वहां पर राज्य सरकार के वक्तव्य के अनुसार चीनियों ने सीमा के पास चौकी स्थापित कर ली है और इस से लोगों में भय की भावना फैल गई है, परन्तु विधान सभा में इस प्रश्न को उठाया नहीं जा सकता। इसे तो संसद में ही उठाया जा सकता है, क्योंकि इसका केन्द्र से सम्बन्ध रहेता है। आप को सरकार ने सूचना दी है कि कोई चौकी नहीं बनाई गई है। यह सब कैसे हो रहा है?

**अध्यक्ष महोदय:** मैं इस बारे में छानबीन करूंगा। मैं सदन को बता रहा था कि मैंने प्रस्ताव क्यों अस्वीकृत कर दिया है। इन दोनों प्रस्तावों में कही गई बातें भिन्न हैं।

इसी लिये मैंने इसे अस्वीकार कर दिया था। क्या वे तथ्य ठीक थे अथवा नहीं अलग बात है।

**Shri Madhu Limaye:** Please listen me.

**Mr. Speaker:** No, it is different from his notice.

**Shri Madhu Limaye:** I feel that our calling attention notices are not allowed. I gave a notice regarding the direct message sent by China to the King of Sikkim. My notice was disallowed. A statement has been issued today by External Affairs Ministry on that subject. Had you allowed my notice this situation would not have arisen. Likewise so many things in regard to foreign policy and defence policy are taking place, but our suggestions are not allowed.

**Mr. Speaker:** Calling attention notices are now treated more lightly than question. Questions are admitted keeping in view some conditions, but now I receive about 10 calling attention notices from one member.

**Shri Madhu Limaye:** What can we do, the number of happenings has increased.

**Mr. Speaker:** What can I do? Hon. Members should realise at the time of giving notices and should lay stress on one notice, otherwise a group should send one notice.

**Shri Madhu Limaye:** It depends on happenings.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : जब स्थिति इस प्रकार की हो तो उस समय पार्टी के लिये प्रस्तावों की संख्या सीमित करना कठिन होगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह कठिन है तब मुझे तो 40, 50 और 60 तक की संख्या में प्रस्ताव मिलते हैं।

**Dr. Ram Manohar Lohia:** You can fix limit on notices say two or three that are given by a group. I want to draw your attention to the fact that some people are very alert. They give notice in advance on the basis of information that they have with them. At that time Government is not ready with details. We have been bringing to your notice this during the last 20—22 days but Government was not agreeable. Barahoti has been taken over by China due to carelessness of our Government. It is on the way to Badrinath. Later on this type of thing becomes controversial. This question has been there during the last 11 years. We tried to raise this question about 20 days before. We are being punished for that. That is not good. We should be given priority.

**Mr. Speaker:** I have read it and said that that is a separate matter.

**Shri Madhu Limaye:** Just now the Defence Minister has said that on account of Barahoti panic . . .

**Mr. Speaker:** He said there is no panic.

**Shri Onkar Lal Berwa:** I have also given a calling attention notice.... (Interruption).

**Mr. Speaker:** I cannot take up each calling attention notice.

**Shri Gulshan:** Mr. Speaker, I have given a calling attention notice bearing ten or twelve signatures. It is regarding the breach of promises given to Sikhs. These promises in regard to regional formula, the problem of Punjabi language. Apart from this, at Ludhiana . . .

**Mr. Speaker:** How can I take this as a calling attention notice?

**Shri Gulshan:** The Sikh religion is in danger.

**Mr. Speaker:** I have informed you. You please sit down now.

**Shri Gulshan:** At Ludhiana the recitation of Guru Granth Sahab has been disturbed and at Doraha Mandi it has been burnt . . .

**Mr. Speaker:** It is not proper for you to go on speaking in spite of my requests not to go further.

**Shri Gulshan:** I will sit down but I should be given opportunity to say something.

**Mr. Speaker:** I will not allow you to say anything.

**Shri Gulshan:** If I am not allowed I will go out of the House but I would like you and the House to know that injustice is being done to the Sikhs.

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री रंगा : उन्हें अपनी बात कहने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं अस्वीकृत ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं पर भी बोलने की अनुमति दूँ तो कार्य कैसे चल सकता है? और उन पर बहुत समय लग जायेगा ।

श्री रंगा : मुश्किल यह है कि जब कोई सदस्य बात कहना चाहते हैं तो आप उस को गलत समझ जाते हैं और मान लेते हैं कि वह सदस्य गड़बड़ कर रहे हैं इस से कठिनाई बढ़ी हो जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार प्रश्न उठा कर बात नहीं की जा सकती ।

**Shri Gulshan:** Disrespect has been shown to Guru Granth Sahab at Ludhiana. Sikhs' hair has been removed. In this way the religion is in danger. If you do not allow me to say something, I go out of the House.

[इस के पश्चात श्री गुलशन सदन से बाहर चले गये]

[Shri Gulshan left the House at this stage]

**Shri Buta Singh:** If you do not allow me to say something, I go out of the House.

( इस के पश्चात् श्री बूटासिंह सदन से बाहर चले गये )  
**Shri Buta Singh left the House at this stage** )

श्री रामेश्वरानन्द : \* \* \* \* \*

श्री जयपाल सिंह (रांची-पश्चिम) : मैंने आप को गलत नहीं समझा है। आपने कहा है कि आप ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं की संख्या सीमित . . .

**Shri Onkar Lal Berwa:** As he is speaking in English, he is being allowed to speak. Whereas those who speak in Hindi are asked to sit down.

**Mr. Speaker:** Does he want to say something in regard to calling attention notice?

**Shri Jaipal Singh:** Yes Sir, I have to say something about that.

**Dr. Ram Manohar Lohia:** He is speaking in Hindi. Let him say.

श्री जयपाल सिंह : आपने कहा है कि प्रत्येक पार्टी एक प्रस्ताव देगी। मेरा अनुरोध है कि मैं इस से सहमत नहीं हूँ। मेरा निवेदन है कि इस से सभी सदस्यों के अधिकारों का हनन होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा नहीं किया है।

**Shri Rameshwaranand:** I want to make a submission.

**Mr. Speaker:** When I take some action, it is resented. I find that some hon. Members in spite of my repeatedly asking them to sit down stand up again and again. I have asked Swamiji many times to sit down, if he stands up again, I will have to take action. He should now sit down.

**Shri Rameshwaranand:** I walk out of the House in protest against your behaviour.

( इसके पश्चात् श्री रामेश्वरानन्द सदन से बाहर चले गये )  
**Shri Rameshwaranand then left the House** )

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

असैनिक उद्ययन मंत्री (श्री कानूनगो) : मैं श्री राज बहादुर की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ:—

(1) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एफ, 12(95)/72-पी आर (टी) की एक

\*\*कार्यवाही के वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

\*\*Not recorded.

प्रति जो दिनांक 28 जनवरी 1965 को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, 1940 में कुछ संशोधन किये गये थे। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—4280/65।]

- (2) वणिक् नौपरिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 16 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत नौपरिवहन विकास निधि समिति की वर्ष 1962-63 की रिपोर्ट तथा प्रमाणित लेखे तथा उनकी परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—4281/65]
- (3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष 1963-64 की वार्षिक रिपोर्ट परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—4282/65।]

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० सा० राजू): श्री जगन्नाथराव की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र की एक एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ:

- (1) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1962 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—
  - (एक) कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) योजना, 1965 जो दिनांक 6 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 351 में प्रकाशित हुई थी।
  - (दो) कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) योजना, 1965 जो दिनांक 13 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 401 में प्रकाशित हुई थी।
  - (तीन) कर्मचारी भविष्य निधि (पांचवां संशोधन) योजना, 1965 जो दिनांक 27 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 475 में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—4283/65।]
- (2) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 402 दिनांक 13 मार्च, 1965 की एक प्रति, जिसके द्वारा पाव रोटी उद्योग को उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में सम्मिलित किया गया था। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—4284/65]

कच्छ सीमा पर पाकिस्तानी आक्रमण से उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में  
 RE: DISCUSSION ON SITUATION ARISING OUT OF ATTACKS BY  
 PAKISTAN ON KUTCH BORDER

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे प्रधान मंत्री से निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना मिली है और इसे स्वीकार कर लिया गया है। इस पर कल अर्थात् 28 अप्रैल, 1965 को चर्चा होगी :—

“कि कच्छ सीमा पर पाकिस्तान के सशस्त्र सेनाओं द्वारा बार बार और लगातार किये जा रहे आक्रमणों से उत्पन्न स्थिति पर विचार किया जाये।”

मैंने इसे पढ़ लिया है ताकि जो माननीय सदस्य संशोधन भेजना चाहें, भेज सकें।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

तिहत्तरवां प्रतिवेदन

श्री अ० च० गुह (बारसाट) : मैं प्राक्कलन समिति का खाद्य मंत्रालय (कृषि विभाग)—केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था, जोधपुर—के बारे में तिहत्तरवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

कार्यवाही सारांश

श्री सिद्धनजप्पा (हसन) : श्रीमन, मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई ग्यारहवीं बैठक की कार्यवाही का सारांश सभापटल पर रखता हूँ।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—Contd,

गृह-कार्य मंत्रालय—जारी

**Shri Maurya (Aligarh):** The problem of corruption has been subject of discussion here. It is good that this problem is focussing attention and I thank the hon. Home Minister for having realised the

importance of eradication of corruption. He is doing a lot to root out corruption from our public life. It is not an easy job. There will be many impediments in the way. Shri Nanda will have to be bold and encounter the difficulties bravely. Corruption is entrenched in such way that it will require strenuous efforts to be removed. Moreover, he will have to be very cautious. Only then he will succeed in his endeavour. All of this will have to do our bit to get rid of the malady of corruption.

At the time of communal riots, Shri Nanda had done splendid work. I am all praise for him for that. I would like that opposition parties should appreciate the work of hon. Home Minister.

Disruptionist tendencies are coming up in the country. We should take such action as would make the Central Government more powerful. Ours is a big country. There are numerous problems facing our country. If Central Government were strong, it would tackle these problems effectively or there will be disintegration.

The Minister of Home Affairs admits that not more than three or four percent officers of the I.A.S. Cadre belong to Scheduled Castes. I urge that special recruitment should be made in the Central Government services from amongst the people belonging to Scheduled Castes. It is also my suggestion that there should be nine members of the Union Public Service Commission instead of seven as at present. One member each from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be appointed as early as possible.

I do not say that there is no need of Defence of India Rules, but innocent persons should not be entangled under these rules. These rules should be used with great care and caution. It appears that those rules are being used against certain political workers to protect the interests of Congress.

An officer of I.A.S. cadre belonging to Scheduled Castes has resigned. How is it that untouchability was practised against him in spite of the fact that he belonged to I.A.S.? I request Shri Nanda to take steps against the practice of untouchability with the same firmness with which he took steps against corruption.

श्री अन्तार हरवानी (बिसौली) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री को देश की दो सबसे बड़ी बुराइयों अर्थात् भ्रष्टाचार तथा साम्प्रदायिकता के विरुद्ध आन्दोलन जारी रखने पर बधाई देता हूँ। उनके शासन के दौरान पंजाब के स्वर्गीय मुख्य मंत्री श्री कैरो के विरुद्ध दास आयोग की नियुक्ति की गई और उन्हें अपने पद से हटना पड़ा। उड़ीसा के मामले में भी उनके ही काल में जांच करवाई गई।

जब सर्वोच्च स्तर पर भ्रष्टाचार का प्राण उत्पन्न हो तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच नहीं कराई जानी चाहिये। इस उद्देश्य के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त स्वतंत्र निकाय स्थापित किया जाना चाहिये।

17 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी पाकिस्तान एक राष्ट्र नहीं बन सका है। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में क्या बात समान है? भाषा भिन्न है, संस्कृति भिन्न

है, भूगोल भिन्न है, सभी कुछ भिन्न भिन्न है। जबकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है भारत में उनसे उचित व्यवहार हो रहा है। लोगों को यह कहने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिये कि भारत धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र के सिद्धान्त से हट रहा है जिसे इस देश के महान पुत्र, श्री जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था। इस देश में अल्प-संख्यकों के विरुद्ध भेदभाव बिल्कुल नहीं है और इस का श्रेय सरकार को मिलता है।

मद्रास में जो घटनायें हुई हैं उससे हम सब का सिर लज्जा से झुक जाता है। हमें यह जानना चाहिये कि जब से संविधान सभा के हिन्दी को हमारी राष्ट्रीय भाषा माना तब से वह हमारी सरकारी भाषा हो गई है। हिन्दी समर्थकों को अधिक संयम से काम लेना चाहिये। जनता पर कोई भाषा एकदम नहीं लादी जा सकती है। 17 वर्षों में हिन्दी को समृद्ध बनाने की बजाये उन्होंने इसे और दुर्बल बनाया है। इस प्रकार हिन्दी का विकास नहीं हो सकता है।

माननीय प्रधान मंत्री का ध्यान उर्दू भाषा की स्थिति की जांच करने के लिए दिये गये अभ्यावेदन की ओर दिलाता हूं। इसके साथ पिछले 17 वर्षों से सोतेली मां जैसा व्यवहार किया गया है। उर्दू केवल मूसलमानों की भाषा नहीं है। वह किसी एक सम्प्रदाय की भाषा नहीं है। वह हिन्दुओं और मुसलमानों की समान भाषा है। उर्दू भाषी क्षेत्रों में हिन्दी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिये परन्तु उर्दू को सह भाषा बनाया जाना चाहिये।

**श्री हिम्मतसिंहजी (कच्छ) :** श्रीमन्, मैं अपने जवानों को देश की रक्षा के लिए जीवन बलिदान करने पर बधाई देता हूं तथा आज समूचे देश और विशेष रूप से कच्छ के लोगों का ध्यान सीमा पर स्थिति की ओर दिलाता हूं। मुझे यह कहने में गर्व है कि वहां के लोग घबराये नहीं हैं और वे स्थिति का सामना करने के लिए सरकार की हर सम्भव सहायता करने के लिए तैयार हैं।

आठ महीने पहले गुजरात सरकार का ध्यान कच्छ-सिन्ध सीमा की ओर दिलाया गया था और काश्मीर के सम्बन्ध में चीन और पाकिस्तान की कार्यवाहियों पर ध्यान रखने के लिए कहा था। मैंने गुजरात के गृह-मंत्री को एक पत्र लिखा था कि वह सीमा सम्बन्धी सावधान रहें। दुर्भाग्य की बात है कि हम लापरवाही में पकड़े गये हैं।

हमारी सरकार की सदा यह नीति रही है कि घटनाओं पर पर्दा डाला जाये जब गुजरात विधान सभा में इस घटना पर मामला उठा तो गृह-मंत्री ने पहले कह दिया कि यह ठीक नहीं है। फिर हमारी पुलिस चौकियों पर आक्रमण हुआ और गृह-कार्य मंत्री ने एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि हमारे और पाकिस्तान के बीच बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक गोलीबारी बन्द नहीं होगी। बाद में प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए कोई शर्त नहीं रखी जायेगी। ऐसी बातों से केवल शत्रु कि शक्ति बढ़ती है। सरकार को एक स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिये।

नौ वर्षों बाद इस सीमा पर फिर घटनायें हुई हैं। गुजरात आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य होने के कारण प्रतिरक्षा की पूरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता।



उदाहरण के लिए भुज से खोड़ा तक सीमान्त सड़कें बनाई जानी चाहियें। वे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। इस क्षेत्र में नदी पर एक पुल बनाने का भी प्रश्न है। इन सब बातों की जिम्मेदारी केन्द्र को लेनी चाहिये। गृह-कार्य मंत्रालय को सीमा पर ध्यान रखना चाहिये। कच्छ, असम तथा पश्चिमी बंगाल की सीमाओं का सर्वेक्षण कराना उसका काम है। यह भी देखना चाहिये कि वहां के लोगों को कोई कठिनाई न हो।

गृह-कार्य मंत्री ने भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए अच्छा काम आरम्भ किया था परन्तु बाद की घटनाओं ने उनकी सारी योजनाओं को विफल बना दिया है या वह इतने दुर्बल हैं कि यह सब काम नहीं कर सकते।

हाल ही में राजस्थान के विधायकों तथा संसद् सदस्यों ने वहां के मुख्य मंत्री की भ्रष्ट कार्यवाहियों के विरुद्ध प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था। गृह-कार्य मंत्री को इस अवसर पर पूरा उतरना चाहिये और उचित जांच करानी चाहिये।

सीमा क्षेत्रों में, चाहे कच्छ हो या कहीं और, राजनीतिक दलों को राजनीतिक हितों के लिए साम्प्रदायिक भावनायें भड़काने नहीं दिया जाना चाहिये, चाहे वह दल कांग्रेस हो, स्वतंत्र दल हो या कोई और दल। मुझे आशा है कि गृह-कार्य मंत्री केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा किसी अन्य एजेंसी द्वारा इस बात की जांच करायेंगे कि क्या कोई दल वहां पर साम्प्रदायिक भावनायें भड़का रहा है।

कुछ दलों की राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्री ने कुछ वामपक्षी साम्यवादियों को गिरफ्तार किया है। यदि वामपक्षी साम्यवादी दल तोड़फोड़ की कार्यवाही अथवा किसी ऐसी कार्यवाही के लिए जिम्मेवार हैं जो देश की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल है तो उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए। उन्होंने वामपक्षी साम्यवादियों को चुनाव लड़ने क्यों दिया? इससे गलत प्रभाव पैदा हुआ है।

**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा):** मैं उस आलोचना तथा प्रशंसा के लिए आभारी हूँ जो गृह-कार्य मंत्रालय को इस चर्चा के दौरान मिली है। गृह-कार्य मंत्रालय के कार्य को परियोजनाओं और उत्पादन आदि की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। परन्तु यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा राजनैतिक तथा सामाजिक ढांचे के महत्वपूर्ण भाग की व्यवस्था होती है जिसके बिना देश के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में ठीक उन्नति सम्भव नहीं। प्रशासनिक ढांचा, विधि तथा व्यवस्था के साधन तथा सुरक्षा के साधन इस ढांचे के महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं। संविधान द्वारा सरकार तथा जनता पर कुछ जिम्मेवारियां हैं और जिस प्रणाली के लिए गृह-कार्य मंत्रालय की मुख्य जिम्मेवारी है, वह प्रणाली इस प्रकार बनाई जानी है कि वह ऐसे कार्य करे कि इससे हमारे लिए संविधान द्वारा निर्धारित जिम्मेवारियों को पूरा करने में सहायता मिले।

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि हम उग्र तथा लूगतर परिवर्तनों के समय में रह रहे हैं जो जीवन के सभी क्षेत्रों में हो रहे हैं। लोकतंत्र की शक्तियों तथा विकास की कार्यवाहियों के प्रभाव से परिवर्तन की गति में बहुत वृद्धि हुई है। नई सामाजिक शक्तियों का निर्माण हो रहा है जिनका प्रभाव राजनैतिक क्षेत्रों पर पड़ रहा है।

[श्री नन्दा]

मैं विरोधी सदस्यों का आभारी हूँ कि उन्होंने पाकिस्तानी आक्रमण द्वारा उत्पन्न हुई गम्भीर स्थिति पर ठीक रवैया अपनाया है। जिन सदस्यों ने भाषण दिये हैं, उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। हमें अपनी सेनाओं को यह विश्वास देना है कि वे सदा हमारे विचारों में हैं और हम जहाँ भी हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। सरकार को हर स्तर पर यह दिखाना है कि हम आपातकाल की भावना में काम कर रहे हैं। राज्य के समूचे संगठन में कार्य कुशलता और ईमानदारी से सेवा की भावना बनी रहनी चाहिये। इस समय इस बात की बहुत आवश्यकता है। परस्पर झगड़े और फूट, चाहे कांग्रेस में हों या समाज के किसी भी भाग में, समाप्त होनी चाहिये। हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिये और परीक्षा के इस समय में स्थिर रहना चाहिए।

सभी को कठिन परिश्रम करके अपना कर्तव्य निभाना होगा। कहीं भी उत्पादन, संचार या परिवहन में रुकावट नहीं आनी चाहिये। हमें इस बात पर सहमत होना चाहिये कि किसी प्रकार के 'बन्ध' न हों। काम नहीं रुकना चाहिये। देश के अन्दर राष्ट्र के शत्रुओं से कड़ा व्यवहार किया जायेगा। ऐसे लोगों के लिए कोई दया नहीं दिखाई जायेगी जो साम्प्रदायिक दंगों को भड़काते हों या अराजकता की हालत पैदा करते हों।

हमें ऐसी समस्याओं के हल के नये मार्ग ढूँढने होंगे जिससे ऐसी समस्याएँ हल हो सकें जो लोगों के मनों में भरी हुई हैं। सभी समस्याओं को, चाहे वह भाषा सम्बन्धी हों या धर्म सम्बन्धी, किसी सम्प्रदाय के सम्बन्ध में हों या किसी और के बारे में, उन्हें आंदोलनों द्वारा हल नहीं किया जाना चाहिये बल्कि उन्हें नये तरीकों और ढंगों से हल किया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में हमारे राष्ट्र का सम्मान तथा शक्ति बढ़ेगी।

मुसलमानों का इस देश में वैसा ही स्थान है जैसा कि अन्य लोगों का। परन्तु यदि उन में भी ऐसे लोग होंगे जिन पर सन्देह होगा तो मैं उन्हें बता दूँ कि वे इस देश में स्वतंत्रता से ऐसी कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। मैंने कलकत्ता के साम्प्रदायिक दंगों के समय जो बात कही थी, उसे दोहराता हूँ। मैंने कहा था कि एक भी मुस्लिम के जीवन की रक्षा के लिए देश की पूरी शक्ति लगा दी जायेगी।

सीमा की स्थिति का महत्व और सभी बातों से अधिक है। हमें कुर्बानियों के लिए तैयार रहना चाहिये। हमें देश के सभी तत्वों के एकीकरण के आधार पर चलना है। उन लोगों को, जो देश की कठिनाइयों से अपने लिए अवसर ढूँढना चाहते हैं, यह जान लेना चाहिये कि उनके साथ दृढ़तापूर्वक व्यवहार किया जायेगा।

गिरफ्तारियों का मामला उठाया गया है। जो लोग देश की मूल स्वतंत्रता बर्बाद करने पर तुले हों, उनको कोई रियायत नहीं दी जा सकती। यदि कोई गिरफ्तार व्यक्ति यह सिद्ध कर सके कि वह चीन समर्थक नहीं है और तोड़-फोड़ की किसी कार्यवाही से उसका बिल्कुल सम्बन्ध नहीं है तो उसके मामले पर अवश्य ही विचार किया जावेगा।

आपातकाल के दौरान इन शक्तियों के प्रयोग की बजाय समाज के सहयोजन के प्रयत्नों पर अधिक विश्वास करना होगा। मुझे आशा है कि जब तक स्थिति सामान्य न हो जावे आपातकाल को समाप्त करने की कोई बात नहीं की जानी चाहिये।

विधि तथा व्यवस्था की स्थिति को ठीक प्रकार से बनाये रखने के लिए भारत सरकार ने पुलिस के दृष्टिकोण में नवीनता लाने और जांच के नये तरीके अपनाने के लिए उपाय किये हैं। आधुनिक तरीकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र तथा राज्यों में सशस्त्र पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए भी उपाय किये हैं। कई राज्यों ने पुलिस आयोगों या समितियों की नियुक्ति की है। गृह-कार्य मंत्रालय ने भी विभिन्न पुलिस आयोगों के प्रतिवेदनों का अध्ययन किया है यद्यपि कुछ और काम की आवश्यकता है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो को न केवल अपराधों की जांच के लिए ही बल्कि विशेष रूप से भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी और केन्द्रीय अधिनियमों का उल्लंघन करने के अपराधों की जांच के लिए और कुछ प्रकार के अपराधों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी करने के लिए भी सुदृढ़ बनाया गया है।

पुलिस की महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक यह है कि राज्यों में उनके लिए पर्याप्त संख्या में मकानों की कमी है। पुलिस कर्मचारियों की मकानों के बारे में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता दी जा रही है।

विधि तथा व्यवस्था की समस्या के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक साधारण अपराधों के बारे में है और दूसरा बड़े पैमाने पर आंदोलनों के सम्बन्ध में है। हाल ही के वर्षों में हमारे देश में अपराधों को ठीक प्रकार से दर्ज कराने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस से यह जरूरी है कि कुछ और समय तक अपराधों की संख्या अधिक दिखाई दे।

इस क्षेत्र में हमारी कठिनाइयों का एक बड़ा कारण गुंडों, अपराधियों और समाज विरोधी तत्वों का विद्यमान होना है। जब भी अवसर मिलता है तो यह लोग अपना काम आरम्भ कर देते हैं। उनके पास संसाधन हैं और काले कामों के लिए उनके पास प्रशिक्षित व्यक्ति हैं। इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये हमें दृढ़ नीति अपनानी होगी क्योंकि ये हमारे नागरिकों की सुरक्षा को संकट में डालते हैं।

जहां तक साम्प्रदायिक दंगों का सम्बन्ध है, हमारे संविधान में यह उपबन्ध किया गया है कि अल्प-संख्यकों का पूरा-पूरा संरक्षण किया जाये। सभा को ज्ञात ही है कि पिछले वर्ष पूर्वी पाकिस्तान में साम्प्रदायिक दंगे होने के कारण हमें यहां भी कठिन समय देखना पड़ा। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि चालू वर्ष में कोई साम्प्रदायिक तनाव नहीं रहा है।

हम ने मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में किये गये निर्णयों के अनुसरण में भारतीय दण्ड संहिता की कुछ धाराओं में संशोधन किये ताकि विभिन्न जातियों तथा सम्प्रदायों में घृणा तथा शत्रुता की भावना बढ़ाने को एक अपराध माना जाय और किसी धर्म अथवा जाति पर आघात करने वाले को कड़ा दण्ड दिया जाये। हम इस कानून को और कड़ा बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं।

[श्री नन्दा]

हाल ही के वर्षों में विद्यार्थियों ने बहुत अनुशासनहीनता दिखाई है। इसका कारण कुछ तो उनकी वास्तविक कठिनाइयों की और कुछ राजनैतिक दलों द्वारा उन्हें भड़काया जाना था। विद्यार्थियों की सच्ची शिकायतें हो सकती हैं और उन्हें दूर करने के लिये कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी और राजनैतिक उद्देश्यों के लिये विद्यार्थियों को उत्तेजित किया जाना बन्द करना पड़ेगा।

जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सम्बन्ध है, मैं इस बारे में जागरूक हूं कि हमारी इस में बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिये मैं यह विस्तारपूर्वक नहीं बताना चाहता कि क्या उपाय किये जा रहे हैं। सभी राज्यों में जासूसी के मामलों में ध्यान देने के लिये सुसंगठित एकक हैं, जिनमें प्रशिक्षित व्यक्ति हैं और उनके द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये प्रयास काफी सफल रहे हैं। कई वर्षों से स्थानीय पाकिस्तानी पदाधिकारियों का जासूसी में हाथ रहा है और कई मामलों में उनको वापस भेजा गया। हम पूर्ण रूप से जागरूक हैं और भारत में चीन-समर्थक लोगों की अवांछनीय गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। ऐसे लोगों द्वारा तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों को रोकने के लिये राज्यों में सम्बद्ध संगठनों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। इन उपायों के परिणामस्वरूप शत्रु के एजेंटों का भारत में अवैध रूप से घुस आना बन्द हो गया है।

पाकिस्तानियों के अवैध रूप से भारत में घुस आने के प्रश्न पर काफी बातें चर्चा के दौरान कही गई हैं। यह समस्या असम तथा त्रिपुरा में अधिक है। जो उपाय वहां किये गये हैं उनसे यह समस्या काफी सीमा तक हल हो गई है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि किसी भारतीय राष्ट्रजन को भारत से न निकाल दिया जाये उन्हें न्यायाधिकरण के पास अपना मामला ले जाने के लिये पूरा अवसर दिया जाता है।

अब मैं काश्मीर की स्थिति के बारे में कुछ कहूंगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 का समावेश, जम्मू तथा काश्मीर संविधान सभा के प्रतिनिधियों की सम्मति से किया गया था। मैं यह इसलिये कह रहा हूं ताकि गलतफहमी पैदा न हो। भारत के किसी अन्य राज्य की तरह जम्मू तथा काश्मीर राज्य का सभी व्यावहारिक प्रयोजनों से भारत संघ में पूरी तरह विलय हो चुका है। यह बात दोहरानी पड़ती है क्योंकि कुछ बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके द्वारा सन्देह प्रकट किया जाता है।

जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो परिवर्तन हुए, उनसे प्रशासन व्यवस्था के लिये नई जिम्मेदारियां पैदा हुईं। योजनाओं के आरम्भ किये जाने से समस्याएँ जटिल होती गईं और उनके सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्ष-प्रति-वर्ष बढ़ता चला गया। इसलिये प्रशासन व्यवस्था में बड़े पैमाने पर सुधार किये जाने की आवश्यकता है ताकि बदलती हुई परिस्थितियों का सामना किया जा सके। प्रशासन व्यवस्था में सुधार की समस्या के सम्बन्ध में दो प्रश्न उठते हैं। वर्तमान प्रशासन व्यवस्था में काफी सुधार किये जाने की आवश्यकता है ताकि इसे दक्ष बनाया जा सके। दूसरा प्रश्न यह है कि इस व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किये जायें ताकि यह वर्तमान राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का सामना कर सके।

मैं पहले प्रशासन व्यवस्था में सुधार के बारे में कहूंगा। बहुत सी समितियों के प्रतिवेदन हमें प्राप्त होते हैं जिनमें बड़ी संख्या में सिफारिशों की गई होती हैं। परन्तु यह देखा गया है कि इन सिफा-

रिशों पर ठीक प्रकार अमल नहीं किया जाता। नई दिशा की ओर जो एक बड़ा कदम उठाया गया है वह मार्च, 1964 में प्रशासनिक सुधार विभाग का स्थापित किया जाना है। इस नये विभाग ने व्यवस्थित विश्लेषणात्मक अध्ययन आरम्भ किया है। इस के मुख्य कार्यों में से एक कार्य, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना है जहां से ऐसे व्यक्ति निकलेंगे जो केवल केन्द्र में ही नहीं परन्तु राज्यों में भी अध्ययन-दल स्थापित करेंगे और उन से सम्बन्धित कार्य करेंगे। इस समय ऐसे दो पाठ्यक्रम चल रहे हैं जिनमें से एक मध्यम वर्ग के ऐसे अधिकारियों के लिये है जो प्रशासनिक सुधार के कार्यक्रम चलायेंगे और दूसरा निचले स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये है जो अनुसंधान-विश्लेषक के रूप में कार्य करेंगे। दोनों पाठ्यक्रमों को मंत्रालयों तथा राज्यों द्वारा उत्साहपूर्वक स्वीकार किया गया है। अगले वर्ष के लिये ऐसे बहुत से पाठ्यक्रमों का कार्यक्रम बनाया गया है और इसके फलस्वरूप भारी संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारी निकलेंगे, और यह आशा है कि वे प्रशासन में सुधार करने के कार्य में काफी योग देंगे।

( उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए )  
DEPUTY SPEAKER in the Chair

इस सम्बन्ध में दूसरा आरम्भिक कार्य, जिस की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये, यह है कि जिन क्षेत्रों में प्रशासन-सम्बन्धी समस्या अधिक है, वहां यह अध्ययन पहले किया जाये। उदाहरण के तौर पर यह समस्याएँ ये हैं : कर्मचारी-वर्ग प्रशासन में सुधार, वित्तीय प्रशासन के प्रत्येक पहलू पर पुनर्विचार तथा मंत्रालयों और विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में कर्मचारियों की नियुक्ति आदि।

उदाहरण के तौर पर कर्मचारियों के प्रशासन ढांचे के सम्बन्ध में निर्माण तथा गृह मंत्रालय में सघन अध्ययन चल रहा है और मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के पारस्परिक संबंधों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे प्रयत्न किये जा रहे हैं कि किसी मामले के बारे में मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध कार्यालयों में दोहरा काम न हो। वित्तीय प्रशासन की दिशा में कुछ विभागों में योजनाएँ मंजूर करने का अध्ययन आरम्भ किया गया है। विस्तृत रूप से अध्ययन करने की योजना बनाई जा रही है।

अन्य और समस्याएँ हैं जो किसी विशेष मंत्रालय से सम्बन्ध रखती हैं। सभा में यह पहले ही कहा जा चुका है कि संसद्-सदस्यों के चार अध्ययन-दल इस सम्बन्ध में कार्य कर रहे हैं। अगले वर्षों में हमने तीन और विभागों के कार्य के बारे में अध्ययन-मण्डल स्थापित करने का निर्णय किया है।

फिर राज्य प्रशासन तथा स्थानीय प्रशासन की समस्या है जिसे केन्द्रीय सरकार महत्वपूर्ण समझती है। जहां तक राज्यों के प्रशासन की समस्या है हमें आवश्यक तौर से समझाने-बुझाने की नीति अपनानी पड़ेगी। क्षेत्रीय परिषदों की व्यवस्था है। पिछले वर्ष के दौरान प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् की बैठक हुई। इन क्षेत्रीय परिषदों में दूसरी समस्याओं के अतिरिक्त प्रशासन की समस्याओं पर चर्चा हुई और यह हर्ष का विषय है कि कई राज्यों ने पूर्ण उत्साह से प्रशासन में सुधार करने के लिये कार्यवाही आरम्भ की है। जहां तक जिला प्रशासन का सम्बन्ध है, हमने इस दिशा में भी कार्य आरंभ कर दिया है। इन सब प्रयत्नों का यह अर्थ है कि हमने कई प्रकार के अध्ययन आरम्भ किये हैं और आगामी वर्षों में और अध्ययन किये जायेंगे और ज्यों ही ये पूरे होंगे और इनके बारे में प्रतिवेदन

[श्री नन्दा]

प्रस्तुत किये जायेंगे, सिफारिशों को यथासम्भव शीघ्र लागू किया जायेगा। प्रशासनिक सुधार के सम्बन्ध में हुई प्रगति पर सचिवालय समिति नज़र रख रही है। हाल ही में सरकार ने प्रशासन के बारे में मन्त्रिमण्डल समिति स्थापित करने का निर्णय किया है ताकि इस सम्बन्ध में आरम्भ किये गये कार्य की गति तेज़ की जाये।

सन्धानम् समिति के प्रतिवेदन में दो बातें थीं। एक बात तो सतर्कता के पहलू के बारे में थी और दूसरी अधिकारियों द्वारा स्वविवेक के प्रयोग के बारे में। इन से यह अभिप्राय था कि इन दोनों पर नियंत्रण रखने के लिये एक आयोग होना चाहिये। मेरे विचार में इस देश की परिस्थितियों में केवल एक ही आयोग के लिये यह इतना बड़ा उत्तरदायित्व होगा कि वह इसे भली प्रकार नहीं निभा सकता। इसलिये इन दोनों बातों के लिये दो पृथक-पृथक अभिकरण होने चाहियें। हाल ही में शिकायतों का निवारण करने के लिये व्यवस्था करने का निर्णय किया गया है। बहुत से मंत्रालयों में अब ऐसे केन्द्र खोल दिये गये हैं जहां शिकायतें दर्ज की जाती हैं और सूचना प्राप्त की जाती है। इन शिकायतों की जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है और उचित स्तर पर उनके सम्बन्ध में कार्यवाही की जाती है।

हमने इन सभी कार्यवाहियों का समन्वय करने के लिये गृह-कार्य मंत्रालय में एक पदाधिकारी नियुक्त करने का निर्णय किया है। लोगों की यह भावना है कि शिकायतों के बारे में देर की जाती है। इस प्रणाली से, जो अब जारी की जा रही है, लोगों को यह आश्वासन दिलाया जायेगा कि इन बातों की ओर ध्यान दिया जा रहा है और यदि किसी प्रकार का विलम्ब हो रहा है तो यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक जांच की जा रही है कि विलम्ब न हो।

जब हम भ्रष्टाचार के उन्मूलन की बात करते हैं, जब हम प्रशासन में सुधार की बात करते हैं, तो यह सब कौन करेगा? यह सब कार्य कर्मचारीवर्ग द्वारा किया जायेगा। इसलिये जब हम इन कर्मचारियों के अर्थात् प्रशासन की आलोचना करते हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिये। यदि हम उनकी निन्दा करते हैं, उन्हें अदक्ष कहते हैं तो हम अपने लिये अथवा देश के लिये अच्छा नहीं कर रहे हैं।

भारतीय प्रशासन सेवा में आने वाले नये व्यक्तियों की इस प्रकार तुलना की गई कि वे कुछ वर्ष पहले के ऐसे अधिकारियों से कम दक्ष हैं। यह गलत है। ये सब योग्य अधिकारी हैं और जो नीतियां हम यहां बनाते हैं, उनको ये भली प्रकार लागू करते हैं। सेवाओं से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिये इन अधिकारियों के सहयोग की बड़ी आवश्यकता है।

भ्रष्टाचार के बारे में बहुत से सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। प्रशासन में नैतिकता लाने के लिये सरकार ने काफी उपाय किये हैं। भ्रष्टाचार विरोधी कार्यवाही न केवल एक नैतिक मामला है बल्कि हमारे सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति से भी इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि प्रशासन तथा अन्य क्षेत्रों में समाज-विरोधी तत्व, विकास के प्रयोजन के लिये समाज द्वारा इकट्ठे किये गये साधनों को हड़प कर जायें, तो कल्याणकारी समाज स्थापित करने की सम्भावना बहुत कम हो जाती है जिसके फलस्वरूप लोगों में असन्तोष फैलता है और सामाजिक ढांचे में उनका विश्वास कम हो जाता है। विकासशील अर्थव्यवस्था के कारण नियंत्रण तथा दूसरे निर्बंधन लगाये गये हैं और इन से दुराचार के अवसर बढ़ गये हैं। हमें शीघ्र ही भ्रष्टाचार के इन अवसरों को कम

करना होगा। इस प्रवृत्ति को हर प्रकार से दबाना होगा। हमें सामाजिक वातावरण पैदा करना है।

**श्री हरि विष्णु कामत :** आपने उड़ीसा के मामले में कुछ नहीं कहा है।

**श्री नन्दा :** जहां तक उड़ीसा के प्रश्न का सम्बन्ध है केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सराहनीय काम किया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कुछ रिकार्ड इकट्ठे किये जाने का काम दिया गया था। इसके बाद इस मामले में आगे कार्यवाही करने के लिये प्रधान मंत्री द्वारा एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति के सामने बहुत सी सूचना तथा बहुत से रिकार्ड थे। इस समिति के सदस्य कानून के मामले की पूरी जानकारी रखते थे। इस समिति ने बड़े परिश्रम के साथ रिकार्ड आदि की जांच की और इस समिति द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गये, उन्हें देखकर यह कहा जा सकता है कि यदि किसी स्वतंत्र निकाय ने यह जांच की होती तो निष्कर्ष इस से भिन्न नहीं होते। मेरे विचार से इस प्रकार की गई कार्यवाही से हमें शिक्षा लेनी चाहिये। हम यह देखते हैं कि हम चाहे जो कुछ भी करें, हम किसी को सन्तुष्ट नहीं कर सकते।

प्रधान मंत्री ने यह फैसला किया है कि इस प्रकार की समस्या को हल करने के लिये कोई और प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये। निराधार आरोपों के मामले किसी दूसरी जगह जांच के लिये भेजना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। प्रधान मंत्री ऐसे मामलों की जांच करेंगे और उन्हें व्यवितगत स्तर पर निपटायेंगे। परन्तु यदि किसी जांच की आवश्यकता हो, तो वह एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष एजेंसी द्वारा कराई जायेगी।

सन्धानम समिति की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। हम तीन प्रकार का कार्य इस सम्बन्ध में कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का पता लगाना, जांच करना तथा भ्रष्टाचार के मामले में कार्यवाही करने की प्रक्रिया को आधुनिक बनाना; केवल आर्थिक अपराध सम्बन्धी मामलों के लिये एक आर्थिक अपराध विभाग स्थापित किया गया है। भ्रष्टाचार के मामलों के बारे में विशेष विषयों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लागू किये गये हैं। अनुशासन-सम्बन्धी कार्यवाही के बारे में प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये नियमों में संशोधन किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा अनुपात से अधिक सम्पत्ति रखे जाने को अपराध माना गया है और सम्पत्ति ज़ब्त करने का उपबन्ध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रशासन में भ्रष्टाचार के मामलों में कार्यवाही करने के लिये विशेष प्राधिकार नियुक्त किये गये हैं, जिनको व्यापक अधिकार दिये गये हैं।

फरवरी, 1964 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग स्थापित किया गया था। आठ राज्यों ने भी इसी प्रकार सतर्कता आयोग स्थापित किये हैं। दो राज्यों ने ऐसे आयोगों को स्थापित करना मान लिया है और दो राज्य इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। चार राज्यों में केन्द्रीय आयोग से भिन्न प्रकार के संगठन हैं।

मैं श्री माथुर से सहमत नहीं हूँ जिन्होंने यह कहा है कि सतर्कता आयोग का कोई लाभ नहीं है। इसे स्थापित किये जाने के लिये एक महत्वपूर्ण सिफारिश की गई थी ताकि भ्रष्टाचार के मामलों को दबाया न जा सके बल्कि उनके सम्बन्ध में जांच की जा सके।

इसके साथ-साथ जो दूसरी कार्यवाही हमने करनी है, वह भ्रष्टाचार को रोकने के बारे में है। इस सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारी आचार नियमों में संशोधन, उपहार स्वीकार करने तथा

[श्री नन्दा]

सम्पत्ति के बारे में जानकारी देना, सत्यनिष्ठा का पालन करना—ये सब कदम ठीक ही उठाये गये हैं। ऊंचे प्रशासनिक पदों के लिये अधिकारियों को छांटने में बड़ी सावधानी बरती जा रही है और जिन अधिकारियों को सत्यनिष्ठा में सन्देह हो उन्हें पदोन्नत नहीं किया जाता और उनकी सेवावधि नहीं बढ़ाई जाती। जो अधिकारी अपनी सत्यनिष्ठा के लिये बहुत प्रसिद्ध हैं उन्हें ही दोबारा नौकरी पर लगाया जाता है। जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है, राजनीतिक स्तर पर, मंत्रियों के लिये आचार संहिता बनाई गई है।

यदि हम प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार करें तो बहुत सीमा तक भ्रष्टाचार समाप्त हो सकते हैं। इसलिये विलम्ब को दूर करने और भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिये प्रशासनिक सुधार के बारे में उन विभागों में जहां आर्थिक मामलों सम्बन्धी कार्य होते हैं, एक विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया गया है और इसके अच्छे परिणाम निकल रहे हैं।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा घूस लिये जाने के मामलों, जिनके बारे में 1964 में कार्यवाही की गई, की संख्या 1963 की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है। न्यायालयों में भेजे गये मामलों में से 83.6 प्रतिशत मामलों में दण्ड दिये गये तथा विभागीय कार्यवाही में 85.9 प्रतिशत मामलों में दण्ड दिये गये।

उन विभागों में जहां जनता साधारणतया प्रशासन के सम्पर्क में आती है और सरकारी धन की हानि की आशा है। कई विशेष उपाय किये गये थे। 1965 में सार्वजनिक उपक्रमों में 205 ऐसे मामले पकड़े गये थे जहां लोगों के पास आय के साधनों से बहुत अधिक धन था।

कुछ चुने हुये विभागों की ओर विशेष रूप से ध्यान देने के लिये चालू वर्ष में एक कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। परमिट, लाइसेंस और कोटे के दुरुपयोग को रोकने के लिये बहुत बड़ी मात्रा में कार्यवाही की जा रही है और इस सम्बन्ध में मैं सदस्यों से बातचीत भी करना चाहता हूं। इस जोरदार कार्यवाही के प्रारम्भिक कार्य तो सम्बन्धित मंत्रालय करेंगे, परन्तु सरकारी कर्मचारियों और उनके संगठनों तथा सार्वजनिक संगठनों और संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त किया जायेगा। मेरा अभिप्राय यह है कि सरकारी कर्मचारी भी इन कार्यक्रमों में अपना सहयोग दें। इन उपायों द्वारा भ्रष्टाचार में कितनी कमी हुई है, आंकड़ों द्वारा नहीं बताया जा सकता।

अब हमने सीमा-शुल्क और अन्य विभागों में आकस्मिक जांच की प्रणाली आरम्भ कर दी है। और इस आकस्मिक जांच से जो सुधार हुआ है उससे मैं काफी सन्तुष्ट हूं।

चुनावों में भ्रष्टाचार दूर करने के मैंने प्रयत्न किये हैं परन्तु वे पर्याप्त नहीं हैं। इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने एक समिति नियुक्त की थी जिसने यह प्रतिवेदन दिया है। हमने छः या सात विभाग चुने हैं और स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं; यदि स्थिति में सुधार हुआ तो इससे हमें काफी सन्तोष होगा और यदि हमारे सब प्रयासों के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ तो हमें बहुत खेद होगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आप दिल क्यों छोड़ रहे हैं।

श्री नन्दा : मैं इसे यथासम्भव शीघ्र करना चाहता हूं। लोगों में जो जागृति है, जो आशा जगी है, उसको हम तोड़ना नहीं चाहते। मेरे रास्ते में कुछ कठिनाइयां आयेंगी और मैं अपने ही तरीके



से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करूंगा और मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में मुझे सभी तरफ से समर्थन मिलेगा ।

• आचार्य कृपलानी ने, वाद-विवाद के दौरान, गृह-मंत्री के आचरण पर और उन संगठनों पर, जिनका गृह-मंत्री का सम्पर्क है, अक्षेप किये हैं । उन्होंने उपदेशक का स्थान ले लिया है । मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और महात्मा गांधी का शिष्य कहलाने से पहले मुझे बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे । श्री कृपलानी के उपदेश बिलकुल अनवश्यक हैं । जब गृह-मंत्रालय की मांगों पर चर्चा चल रही थी तो श्री कृपलानी ने इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का नाम क्यों घसीटा ? अब इस संगठन से मेरा कोई सम्पर्क नहीं । कोई समय था जब मेरा इससे सम्पर्क था । यह मजदूरों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है और देश में सबसे बड़ा संगठन है ; और श्री कृपलानी ने इसे बहुत हानि पहुंचाई है । श्री रंगा ने भारत सेवक समाज पर लांछन लगाया है । परन्तु अभी मैं इस संगठन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता ; अभी मैं हूवर आयोग के प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ ।

इस समस्या को सुलझाने के दो तरीके हैं—पहला तो यह है कि प्रत्येक विभाग को बारी बारी लिया जाय, उनके कार्य की जांच की जाय और फिर व्यवहारिक रूप में परिणत कर दिया जाय । हमारे पास ऐसी समितियां हैं जो इन सिफारिशों पर कार्यवाही करती हैं ।

दूसरा तरीका है सम्पूर्ण व्यवस्था की जांच करना । परन्तु यह कार्य नहीं किया जा सकता ; यह कार्य इतना बड़ा है कि इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते । अतः हमने कुछ व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना आरम्भ कर दिया है, जिससे वह इस बारे में अध्ययन कर सकें । इस मामले को हम अनिश्चित काल के लिये स्थगित नहीं करना चाहते । हमने अपने मंत्रालय की एक अनौपचारिक सलाहकार समिति बनाई है जिसके लिये 21 सदस्य चुने गये हैं जो इस समस्या का अध्ययन कर रहे हैं । वह लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और जब किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो उस पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आप विट्ले परिषद् के बारे में क्यों नहीं कुछ कहते ?

श्री नन्दा : मुझे अफसोस है कि विट्ले परिषदों के सम्बन्ध में कार्य में कुछ विलम्ब हुआ है और मामला अटका हुआ है । यह मामला हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने पर अटका हुआ है । हमने संस्थाओं से यह प्रस्ताव किया है कि क्योंकि हम मध्यस्थ निर्णय के लिये तैयार हैं उन्हें ऐसा संकल्प पारित करना चाहिये कि कोई हड़ताल नहीं होगी । परन्तु वे इसके लिये तैयार नहीं हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : हम डिफेंस फंडरेशन की ओर से घोषणा करने के लिए तैयार हैं ।

श्री नन्दा : घोषणा हो जाने दीजिये और मैं इसे स्वीकार कर लूंगा और उनको पता होगा कि मैं कुछ ही दिनों में एक सम्मेलन बुलाने वाला हूँ ।

कुछ माननीय सदस्यों ने श्री ब्रिज कृष्ण चांदीवाला का नाम यहां लिया जो कि इस सभा के सदस्य नहीं हैं । क्योंकि किसी ने आपको कुछ सूचना दे दी थी, माननीय सदस्यों ने बिना मामले की जांच किये उनके चरित्र पर लांछन लगाया है माननीय सदस्यों ने अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : हम केवल इस मामले की जांच चाहते ।

**श्री नन्दा :** मैंने फाईल देखी है और यह निष्कासन का मामला है। इन सज्जन से मेरे सम्बन्ध के बारे में कुछ कहा गया है और कहा गया है कि मेरा उनसे कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये। परन्तु इन सज्जन से सम्बन्ध बनाना मेरे लिये बड़े मान की बात है।

**श्री हरि विष्णु कामत :** मैंने आपके सम्बन्ध के बारे में कुछ नहीं कहा था।

**श्री नन्दा :** आपने नहीं तो किसी और ने कहा होगा। यह सम्पत्ति 20 लाख रुपये के करीब है और उन्होंने गांधीजी को दे दी थी। अपनी आवश्यकताओं के लिये उनकी थोड़ी सी आय है। हो सकता है जो उन्होंने किरायेदारों को निकाला है वह गलत हो परन्तु उन्होंने अपना सारा जीवन सामाजिक कार्यों में बिताया है।

**श्री मौर्य :** उन्होंने अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये संविधान के अन्तर्गत जो रक्षित स्थान हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा।

**श्री नन्दा :** मैं इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कह सकता परन्तु मैं इस प्रश्न पर विचार करूंगा और देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। मुझसे भाषा के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस समस्या पर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं और मंत्रिमंडल की एक उपसमिति इस पर कार्यवाही कर रही है। यह बहुत ही जटिल समस्या है और इसमें शीघ्रता करना अच्छा नहीं होगा। इन चीजों पर विचार किया जा रहा है।

उन आश्वासनों को कानून की रूप में लाने के लिये राजभाषा अधिनियम का संशोधन करना जो इस अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों के अधीन नहीं आते। दूसरे, अखिल भारतीय और उच्च केन्द्रीय सेवा परीक्षाओं के प्रादेशिक भाषाओं को माध्यम बनाने का सुझाव। और त्रि-भाषीय फार्मूले को कार्यान्वित करना। फिर हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं के विकास का भी महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अब जो माननीय सदस्यों ने भारत सेवक समाज, भारत साधू समाज और सदाचार समिति से मेरे सम्बन्धों के बारे में कहा, कुछ समय से मैं भी इसके बारे में चिन्तित हूँ। गृह-मंत्रालय का इतना भारी कार्य है कि मैं समिति की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने का विचार कर रहा हूँ। मैं इसके लिये किसी और योग्य व्यक्ति की व्यवस्था करने के बारे में सोच रहा था। और जब मैं इसकी अध्यक्षता का पद त्याग दूंगा तो जिन माननीय सदस्यों को इस ओर झुकाव हो उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे इस कार्य को अपने हाथ में ले लें। भारत सेवक समाज बिना किसी राजनैतिक उद्देश्य के चलाई जा रही है। जब कभी भी सरकार किसी कार्य में बहुत विलम्ब कर देती है अथवा किसी अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करती, तो जब भी कोई ऐसी बात हमारी सूचना में आती है तो हम उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। मैं पूरी दायित्व की भावना से कह सकता हूँ कि मैं ने कभी भी इसे कांग्रेस के लिये प्रयोग करने का विचार नहीं किया।

**Shri Madhu Limaye:** You have just copied the name of the Society founded by Gopal Krishan Gokhale.

**श्री नन्दा :** यह संगठन देश के सभी नेताओं के सामने बनाया गया था और इन सब नेताओं ने पंडित नेहरू को इसका अध्यक्ष बनने का अनुरोध भी किया था।

**Shri Madhu Limaye:** The leaders had opposed the stealing of the name.

**श्री नन्दा :** इस नाम को देश के सभी नेताओं ने स्वीकार किया था। उस समय क सोशलिस्ट दल ने एक संकल्प पारित किया था कि वे संगठन से कोई सम्पर्क नहीं रखेंगे।

**Shri Buta Singh:** Didn't its volunteers work in the All India Congress Session?

**श्री नन्दा :** जी नहीं :

**Shri Hukam Chand Kachhavaia (Dewas):** Please say something about obscene literature, films and magazines.

**श्री नन्दा :** हम अश्लील साहित्य के बारे में कानून को और सुदृढ़ बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं।

माननीय सदस्य श्री कपूर सिंह सोच रहे होंगे कि मैंने वाद-विवाद में उन के भाग के बारे में कुछ नहीं कहा। सिखों ने जो देश के लिये काम किया है और कर रहे हैं, उसको हम भूल नहीं सकते। उनको समाज, सरकार तथा देश में यथोचित स्थान दिया गया और उनको शिकायत का कोई अवसर नहीं मिलेगा।

मद्य-निषेध की नीति ज्यों की त्यों है। किसी समय मैं अवैतनिक मद्य-निषेध आयुक्त था, सो मुझे इस के काम के बारे में पूरी जानकारी है। अहमदाबाद में मुझे अत्यन्त रोमांचकारी अनुभव हुए। वहां मद्य-निषेध के लागू होने के पश्चात् जब कि वे ब्रिटिश अधिकारी, जिन्होंने पहले इसकी हंसी उड़ाई थी, वहां के श्रमिक वर्ग के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखकर दंग रह गये। लेकिन यह मेरा दृढ़ मत है कि मद्य-निषेध केवल सरकार, आबकारी विभाग और पुलिस के बल पर सफल नहीं हो सकता। राजनैतिक दल कुछ करें, लेकिन स्वैच्छिक संस्थायें इस क्षेत्र में अथवा अन्य क्षेत्रों में बहुत सहायता कर सकती हैं। यदि उनमें कोई दोष है तो उसे दूर करें लेकिन उनका उत्साह भंग न करें। मैं जानता हूँ कि हजारों ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ तथा सच्चे कार्यकर्त्ता हैं। हो सकता है कुछ आदमी अच्छे न हों।

मैं सदाचार समिति का प्रधान नहीं रहूंगा . . . . .

**Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor):** We want to know what measures have been taken to prevent taking of wines by the Ministers.

**श्री नन्दा :** मुझे नहीं मालूम। किसी ने भी किसी मंत्री का नाम नहीं बताया है।

**Shri Hukam Chand Kachhavaia:** Shri Morarji Desai says that Ministers also drink.

**श्री नन्दा :** मुझे नहीं मालूम यदि मोरार जी भाई किसी मंत्री के साथ उस समय बैठे थे जब कि मंत्री शराब पी रहे थे।

**Shri Bagri:** P. A. to the Prime Minister was arrested while he was drunk.

**श्री नन्दा :** मैं समझता हूँ कि मेरे सदाचार समिति छोड़ने के पश्चात् सदाचार की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो जायेगी तथा इस पर पिछले चन्द दिनों में की गई व्यंगोक्तियां व उपहास नहीं किया जायेगा। यदि 'सदाचार' शब्द बुरा है तो दूसरा नाम बाद में इससे भी बुरा बन जायेगा। नाम से क्या होता है ? महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम इस बारे में क्या करते हैं।

**Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar):** Will the hon. Home Minister like to say a word or two about banning the cow-slaughter?

**Shri Hukam Chand Kachhavaia:** Many bulls are slaughtered at Bombay Port.

**Shri Bagri:** Swami Rameshwaranand is on hunger strike.

**श्री नन्दा :** मैं समझता हूँ कि अनेक राज्यों में गोहत्या बन्द हो गई है। मेरा विश्वास है कि कानून की अपेक्षा यह काम समाज के विभिन्न वर्गों की सहायता से अधिक अच्छी प्रकार से किया जा सकता है।

**Shri Maurya:** Nothing has been done for the most backward and oppressed section of the society, the Scheduled Castes. The Minister has not said even a word about them?

**श्री नन्दा :** यह विभाग अब मेरे अधीन नहीं रहा। मेरे माननीय मित्र को यह नहीं मालूम कि मैंने अहमदाबाद के हरिजनों की सेवा में अपने जीवन का अधिकांश भाग बिताया है। अन्त में मैं देश की स्थिति के विचार में छोटे छोटे झगड़ों को छोड़ कर एकता, संगठन तथा कन्धे से कन्धा मिलाकर संकट का सामना करने के लिये तथा इसके लिये कोई कसर नहीं उठा रखने के लिये अनुरोध करूंगा।

**श्री हरि विष्णु कामत :** कल मैंने अध्यक्ष महोदय से उनके कक्ष में भेंट की थी और उन्होंने माननीय मंत्री के भाषण के पश्चात् मुझे यह प्रश्न उठाने की अनुमति दे दी थी। दो महीने से भी अधिक हुए जब कि मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव पर अपने भाषण में 22 फरवरी को इसका उल्लेख किया था लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया गया। फिर मैंने एक प्रश्न की सूचना भी दी। लेकिन प्रश्न अभी भी नहीं निपटाया गया है।

1960 की प्रादेश याचिका संख्या 796 पर मद्रास के एक मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में वर्तमान खाद्य तथा कृषि मंत्री के आचरण की कटु तथा कठोर भाषा में टिप्पणी की थी। मैं ने अपने भाषण में प्रधान मंत्री से इस टिप्पणी तथा इसको ध्यान में रखते हुए श्री सुब्रह्मण्यम् के मंत्रिमंडल में रहने के बारे में विचार करने के लिये कहा था। इसका उत्तर नहीं दिया गया।

**गृह-कार्य मंत्रालय से राज्य-मंत्री(श्री हाथी):** यदि उन्होंने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया होता तो मैं इसका उत्तर दे देता। मैं इसका उत्तर देने को तैयार हूँ। यह 1960 की पांच साल पुरानी घटना है। मद्रास विधान सभा में इसके बारे में एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखा था। श्री भक्तवत्सलम् ने मुख्य मंत्री श्री कामराज का वक्तव्य पढ़ कर सुनाया था। जहां तक न्यायालय के निर्णय का सम्बन्ध है उसमें यह कहा गया था कि किसी नियम, विनियम अथवा कानून का उल्लंघन नहीं किया गया। माननीय मित्र ने जिस टिप्पणी का उल्लेख किया वह तो पार्श्व-निर्देश (आर्बिटर डिक्टा) थे। उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जानी थी।

**श्री हरि विष्णु कामत :** वे केवल भ्रम में डाल रहे हैं। मेरे पास निर्णय की एक प्रति है।

**श्री हाथी :** यदि उनके पास निर्णय की प्रति है तो वे उसका अन्तिम पैराग्राफ पढ़ें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह पढ़ना आवश्यक नहीं है ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस समय किस विषय पर चर्चा हो रही है ? क्या यह वर्तमान चर्चा से सम्बन्धित है ?

श्री हाथी : इस मामले पर 1960 में मद्रास के मुख्य मंत्री ने मद्रास विधान सभा में एक वक्तव्य दिया और उसके पश्चात् वहां कोई चर्चा नहीं हुई । अब पांच साल बाद श्री कामत उस मामले को फिर से उठा रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 84 को मतदान के लिये रखूंगा । प्रश्न यह है :—

“कि गृह-मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये ।”

[बिना मुकदमा चलाये राजनैतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उनका निरोध]

(84)

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ ।

**The Lok Sabha divided**

पक्ष में 32 ; विपक्ष में 108

**Ayes 32; Noes 108**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

**The motion was negatived**

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 9 से 14 तथा 32 से 34 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

**Cut Motion Nos. 9 to 14 and 32 to 34 were put and negatived**

उपाध्यक्ष महोदय : कटौती प्रस्ताव संख्या 94, प्रश्न यह है :—

“कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये ।”

[देश में तेजी से बढ़ती हुई भ्रष्टाचार की बीमारी को गम्भीरतापूर्वक दूर न करना ।]

(94)

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ ।

**The Lok Sabha divided**

पक्ष में 31 ; विपक्ष में 105

**Ayes 31; Noes 105**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

**The motion was negatived.**

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 114 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

**The cut motion No. 114 was put and negatived.**

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

**All the other cut motions were put and negatived**

अध्यक्ष महोदय द्वारा गृह-कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगों मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

The following Demands in respect of Ministry of Home Affairs were put and adopted:

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
51	गृह-कार्य मंत्रालय . . . . .	4,04,34,000
52	मन्त्रिमण्डल . . . . .	44,00,000
53	क्षेत्रीय परिषदें . . . . .	1,10,000
54	न्याय प्रशासन . . . . .	2,69,000
55	पुलिस . . . . .	15,00,14,000
56	जनगणना . . . . .	1,15,03,000
57	अंक-संकलन . . . . .	2,20,35,000
58	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते . . . . .	86,000
59	दिल्ली . . . . .	19,78,44,000
60	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह . . . . .	3,12,42,000
61	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र . . . . .	21,19,000
62	लक्षदीवी, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह . . . . .	48,22,000
63	गृह-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . . . .	2,92,69,000
132	गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . . . .	72,73,000

#### खाद्य तथा कृषि मंत्रालय

वर्ष 1965-66 के लिये खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
42	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . . .	80,38,000
43	कृषि . . . . .	3,48,10,000
44	कृषि सम्बन्धी गवेषणा . . . . .	5,43,33,000
45	पशु-पालन . . . . .	1,07,44,000
46	वन . . . . .	1,21,74,000
47	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . . . .	29,37,12,000
128	वनों पर पूंजी परिव्यय . . . . .	1,57,000
129	अन्न की खरीद . . . . .	3,33,13,75,000
130	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . . . . .	70,29,77,000

उपाध्यक्ष महोदय : ये मांगें सभा के सामने हैं ।

श्री नरसिम्हा रेड्डी (राजमपेट) : श्री सुब्रह्मण्यम् दुष्कर कार्य से दक्षिण में हिन्दी-विरोधी आन्दोलन के समय छुटकारा पाना चाहते थे लेकिन श्री कामराज और शास्त्री के निष्ठुर हाथों ने उन्हें बलि के बकरे के समान बामपंथियों की कटु आलोचना का लक्ष्य बनने के लिये अच्छी तरह बांध कर बैठा दिया । गेहूं के लिए एक करार करने के लिये श्री सुब्रह्मण्यम् अधिकारियों के अच्छे खासे दल-बल के साथ आस्ट्रेलिया की लम्बी यात्रा पर ऐसे समय गये जब कि वहां सूखा पड़ गया है । वहां की सरकार ने गेहूं देने में असमर्थता प्रकट की लेकिन अपने मन हंसते हुए संसद सदस्यों के लिये संसद भवन में स्थापित करने के लिये एक दुग्धशाला (मिल्क बार) भेंट की । अधिकांश सदस्यों के विचार में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहां पहले ही एक दुग्धशाला है । हां, यदि कोई और "बार" स्थापित किये जायें तो वे उसका स्वागत करेंगे । इस यात्रा पर विदेशी मुद्रा आदि पर कुल 2½ लाख रुपये व्यय हुए जब कि केवल एक रुपये डाक-टिकट पर व्यय करके यह स्थिति पत्र द्वारा पता की जा सकती थी ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : यह अच्छा होता यदि माननीय सदस्य को प्रतिनिधिमंडल में व्यक्तियों की संख्या, विदेशी मुद्रा तथा अन्य बातों के बारे में ठीक जानकारी होती ।

श्री नरसिम्हा रेड्डी : अपने उत्तर में वे ठीक जानकारी दे सकते हैं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह उत्तर देने योग्य बात नहीं है ।

श्री नरसिम्हा रेड्डी : खाद्य और कृषि की समस्या, चीन के आक्रमण, पाकिस्तान की घुसपैठ अथवा चीन समर्थक साम्यवादियों की लुकी-छिपी गतिविधियों, जितनी अथवा उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है । यह सर्वविदित है कि हवा, बाढ़, वर्षा, कीड़ों आदि का उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है और इस के अनुसार भावों में उतार-चढ़ाव होता है । फसल की दृष्टि से पिछला वर्ष खराब था । देश के कुछ भागों में न केवल कृषि-मूल्य अत्यधिक बढ़ गये थे बल्कि कुछ अन्य भागों में किसी भी मूल्य पर अनाज नहीं मिल रहा था । सरकार को इसका पूर्वाभ्यास होना चाहिये था तथा स्थिति का सामना करने के लिये बफ़र स्टॉक बना लेना चाहिये था । इसी कारण सरकार साम्यवादियों द्वारा कड़ी आलोचना की शिकार हुई, जो हमेशा ऐसे अवसर की ताक में रहते हैं । खाद्य तथा कृषि मंत्री ने शान्त चित्त से काम नहीं लिया और मूल्य नियंत्रण, अनाज खरीदना व राज्य व्यापार चालू करके खुली मण्डी में हस्तक्षेप करने की नीति आरम्भ कर दी ।

आन्ध्र प्रदेश के सम्बन्धित मंत्री ने विधान-सभा में तथा समाचार-पत्रों में यह वक्तव्य दिया है कि किसी भी परिस्थिति में अनाज उत्पादकों से नहीं लिया जायेगा । लेकिन किसानों को नोटिस दिये गये हैं कि प्रत्येक पखवाड़े में एक बार वे अपने अनाज के भण्डार बताते रहें । इससे किसानों को अनावश्यक कठिनाइयां होंगी तथा यह अनपढ़ किसान को अपना सारा ध्यान खेती की ओर लगाने में बाधक होगा । जनता के प्रतिनिधियों को यह शोभा नहीं देता कि वचन देने के कुछ दिन बाद ही उनसे पीछे हट जायें ।

निर्धारित किये गये कृषि मूल्य बाजार भाव से कम हैं । मूल्य निर्धारित करते समय सरकार ने घी, चीनी, दूध, फल, सब्जी कृषि उपकरणों की बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में नहीं रखा

[श्री नरसिम्हा रेड्डी]

है। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा संसद-भवन में बेचे जाने वाले घी का मूल्य 8 रु० प्रति किलो से 9 रु० 25 पैसे कर दिया है। औद्योगिक उत्पादनों के मूल्यों का नियंत्रण क्यों नहीं करते? इसका कारण है कि सरकार उद्योगपतियों को अप्रसन्न नहीं करना चाहती क्योंकि वे कांग्रेस को बहुत सा धन देते हैं। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिये कि कांग्रेस दल आज किसानों के बल पर सत्तारूढ़ है। किसान चट्टान के समान अडिग रहे हैं और प्रत्येक चुनाव में साम्यवादियों की विचारधारा व प्रचार टकरा कर रह गई। मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूँ कि वे उनके आन्दोलन से डर न जायें क्योंकि चीन और रूस की तरह यहाँ भी किसानों को निर्बल करना चाहते हैं।

योजना आयोग को तो अकाल आयोग कहना चाहिये। योजना आयोग में कम से कम एक तो ऐसा व्यक्ति होता जो कुछ वर्ष गांवों में रहा होता तथा जिसे गांवों के जीवन का पूर्ण ज्ञान होता है। योजना आयोग में शहर के ऊंचे भवनों में बैठ कर शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भरने से ग्रामीण भारत में समाजवादी व्यवस्था नहीं हो सकती। ग्रामीण लोग खेती का काम छोड़ कर बड़ी संख्या में शहरों में आ रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं उन्हें वहाँ अधिक मजूरी मिल सकेगी। मंत्री महोदय को कृषि में कमी के मूल कारण को समझना चाहिये, किसान हताश और निराश क्यों हैं? ट्रैक्टर, बुल-डोजर, कृषि-उपरकण देने के अतिरिक्त खाद्य जोन समाप्त कर देने चाहियें, मूल्य नियंत्रण समाप्त कर देने चाहियें और निर्वाध व्यापार की अनुमति देनी चाहिये तथा बफ़र स्टॉक बनाने चाहियें। किसानों को समय पर तथा उचित मूल्य पर उर्वरक नहीं मिलते। उर्वरकों की चोरबाजारी हो रही है। आज मैंने तेलगू समाचार-पत्रों में आन्ध्र प्रदेश कांग्रेस के प्रधान तथा आन्ध्र के सम्बन्धित मंत्री का एक वक्तव्य पढ़ा जिसमें इस चोरबाजारी के बारे में कहा गया है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अधनंगे किसानों को विपणन समितियों के कार्यालयों पर खड़े और अन्त में खाली हाथ जाते देखा है। ये समितियाँ धांधली कर रही हैं। केन्द्रीय जांच विभाग (सी० आई० डी०) द्वारा समितियों के कायंकरण की जांच करानी चाहिये तथा अपराधियों को साम्यवादियों की तरह कठोर दंड देना चाहिये।

ऋणों के संबंध में मेरा सुझाव है कि 2 वर्ष के अल्पकालीन ऋण पर कोई ब्याज नहीं लेना चाहिये तथा दीर्घकालीन ऋणों पर 2 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं होना चाहिये। भारत सेवक समाज, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जैसी संस्थाओं पर करोड़ों रूपया व्यर्थ व्यय किया जा रहा है। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को दिया गया 50 लाख रूपये के ऋण का भुगतान माफ किया जा रहा है। फिर किसानों के साथ ऐसा क्यों नहीं किया जात। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर विचार करें तथा राज्य सरकारों को ऐसे मामलों में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दें। राजस्थान, गुजरात, रायलसीमा जैसे प्रदेशों में कुओं में नलकूप लगाकर सिंचाई व्यवस्था की जा सकती है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों को भारी कर देने पड़ते हैं। योजना आयोग की प्रेरणा से राज्य सरकारों ने करों में 300 से 400 प्रतिशत वृद्धि कर दी है। सभी अप्रत्यक्ष करों का भार किसानों को उठाना पड़ता है। मेरे दल के विचार से भूमि-कर को समाप्त कर देना चाहिये। किसानों को यह भय है कि उनसे उनकी भूमि छीन ली जायेगी। भूमि की सीमा (सीलींग) सारे देश में एक समान नहीं है। सरकार को भूमि संबंधी सभी विधानों पर तथा संविधान (सातवां) संशोधन प्रादि पर पुनर्विचार करना चाहिये तथा किसानों को आश्वस्त करना चाहिये।



श्री सुब्रह्मण्यम् को अपने देश व जनता की सेवा करने का अभूतपूर्व अवसर मिला है। उन्हें अब दृढ़ता से काम लेना चाहिये तथा निर्मम, निर्दयी व नास्तिक विचारधारा को हमारे देश की शान्तिपूर्ण तथा हरे-भरे जीवन को नष्ट नहीं करने देना चाहिये। मूल्य नियंत्रण, सहकारी खेती, समाहार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और राज्यव्यापार साम्यवाद के ऐसे विभिन्न पहलू हैं जो हमारी कृषि अर्थ-व्यवस्था का गला घोट देंगे तथा हमारी संस्कृति के बचे हुए स्रोतों को सुखा देंगे। मैं उनसे कहूंगा कि अपने पूर्वजों की परम्परा के अनुरूप कार्य करें। वे मार्क्सवादी सिद्धान्तों के आगे झुकें तथा किसानों का गला काटें ऐसा करने से पहले मैं उन्हें सलाह दूंगा कि बंगाल की खाड़ी में छलांग लगा लें।

**Shri Bibhuti Mishra (Motihari):** Mr. Deputy-speaker, I support the demands for grants of the Minister of Food and Agriculture. I am speaking on this subject for the last 13 years yet this department is giving what was expected of it. For the failures the centre blames the states and vice versa and they escape from the responsibility.

First necessity in this field is to increase production. The irrigation facilities were not utilised to the full extent. Why did this happen? Even after 17 years of independence the administration has done very little. In contrast to it Sher Shah ruled only for 5 years yet in that small period he brought about improvement in every field from department to the construction of roads. Nowadays cement, iron etc. are not available and so the peasants cannot dig well to irrigate their fields. The rates of water are exorbitant in U.P. and Bihar. In India agriculture has not improved although we have I.C.S. officers and Ph.Ds. Have they got any experience of agriculture? They were trained for the purpose of drafting notes etc. They do not have practical experience of agriculture. Farmers who have adequate experience of agriculture, are never consulted in agricultural problems. The majority of the population depends on agriculture and we are not self-sufficient in food. It is a matter of regret that the country has not made any remarkable progress even after 17 years of our independence. It is only because of the fact that adequate attention has not been paid to agriculture and its development. It is, therefore, absolutely necessary that agriculture should be given top priority with a view to achieving our plan targets. Adequate irrigational facilities should be provided to farmers and proper steps taken to check soil-erosion. The field officers of this Department are not taking keen interest in matters relating to agricultural development. So there is a pressing need to improve the working of this Department.

Now I come to the Gandak Project. The project should be taken over by the Centre. This is a project which will irrigate many a many acre of land in U.P. and Bihar. A Coordination Board has been constituted but we were not consulted in the matter. There is no Coordination between the officers of Department of agriculture and these working under B.D.O.S. and at the same time they are not in good terms with one another and this tension puts obstacles in the way of agricultural development. With a view to increasing the production of agricultural commodities, it is suggested that this project may be transferred to the Department of Agriculture.

[Shri Bibhuti Mishra]

There was a bumper crop of sugarcane in our State this year. The output was really much more than what the growers actually expected. There are two sugar factories, but they have not the crushing capacity to consume all the sugarcane produced there. So there is a pressing need to modernise, expand and increase the crushing capacity of these factories with a view to solve this problem hence, Government should take necessary steps to do the needful. One Sen Commission visited this area to make an assessment of the situation. The visit of this Commission has given a feeling to the farmers that all the sugar factories are being shifted to South India. The hon. Minister should, thereof, ensure that the sugar mills are not dislocated.

The Agricultural Prices Commission has been set up and Government have not accepted a suggestion made by the All India Congress Committee regarding integrated remunerative price to be paid to farmers. The representatives of the producers have no place in this commission. It has always been the policy of Government to neglect the farmers. I would suggest that Government should take active steps to see that all the facilities and assistance required for the development of agriculture are provided to the farmers and they are paid more for their production.

**Shri Sarjoo Pandey (Rasra):** Mr. Deputy-Speaker, Sir, it is really a matter of shame that the grave food problem of the country has not so far been solved even after 17 years of our independence in spite of repeated and continued assurances given by our Ministers regarding self-sufficiency in food.

Today the country is faced with food problem and the prices of all the commodities are persistently increasing. Government have to import lakhs of tonnes of foodgrains. But the Food and Agriculture Minister expects a bumper crop every year. I charge the Government that they did not deliberately take any interest in improving the method of cultivation and they did also not take any active step to increase the output of foodgrains. Many Committees were formed to go into the question of land-reform. They recommended that the land should be given to the tiller with a view to increasing the production. No doubt, the Government took a bold step to abolish the Jaminadari system but it did not serve the real purpose as the land was not transferred in the names of tillers. The U.P. Government started consolidation of holdings. But I can say with full confidence that this system has created a new arena of corruption and which is responsible for exploitation and sufferings of the poor farmers. Government servants made a lot of money through this source in the name of consolidation of holdings. Going through various reports on the Land Reforms in the country, we come to the conclusion that the tillers were not benefited at all by these reforms and on the other hand, they involved in litigations and many of them also suffered eviction. These are the outcomes of our land reforms.

Government have established community Development Blocks and Extension Service Blocks for the benefit and development of the people. Hundreds of employees, such as BDOs, ADOs, VLWs,

etc. have been working there. But they do not pay any attention to the problems of farmers. They always furnish wrong data and Government would not succeed in their plan targets if they prepared plans on the basis of the data furnished by these officers. Planning does not mean the setting-up of new departments only. So far as agriculture is concerned, the most pressing need of the day is to provide all the facilities and assistance to the farmers required for the production of agriculture commodities. These Development and Extension Blocks are spending a lot of money on useless purposes. They often organise various exhibitions, cultural shows, cattle shows, social functions, etc. where tea, sweets and other eatables are served and speeches are delivered by some leaders who are invited on such occasions.

Government should take active steps to provide irrigational facilities to the farmer. Minor irrigation projects which are not economical also have not proved useful for the purpose. Many schemes and projects are not being completed as per schedule due to acute shortage of cement, iron and other materials.

Licences are also issued by this Department for starting Co-operative Sugar Factories. Licences in respect of nine Co-operative Sugar Factories of Uttar Pradesh are lying pending with this Department. I myself addressed letters to the hon. Food and Agriculture Minister in this behalf. There is a proposal to start a Co-operative Sugar Mill at Rasra in the district of Balia. All the formalities in this respect have been completed. We have been in correspondence with the Centre for the last three years, but to our utter surprise, the Department have neither issued a licence in favour of this proposed mill and not have they been able to take any decision on the matter. I request the hon. Minister to look into this case and do the needful.

Corruption is also creeping in these Blocks. Farmers are being supplied impure manures. There is need to improve the working of these Blocks.

All cheap foodgrain shops have been allotted to Congress leaders who indulge in blackmarketing. It is desirable that Government should not allot cheap foodgrain shops to any political worker.

श्री ए० ए० पटेल (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, हर्ष की बात है कि इस समय देश में उत्पादन अधिक हुआ है। खाद्य तथा कृषि मंत्री के लिए कृषकों की कीर्ति नाइयों से अवगत रहना तथा उनसे सम्पर्क बनाना वांछनीय है।

देश कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना तथा उन्हें चलाने के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करना नितान्त आवश्यक है। रूस ने भी अब कृषि को तथा कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्यों को प्रोत्साहन देने की नीति अपना ली है। रूस इस परिणाम पर पहुंचा है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए अधिक मूल्य देना आवश्यक है। अतः उन्होंने हाल में 100 प्रतिशत मूल्य बढ़ा दिये हैं। मूल्य नीति के कारण संयुक्त रूप से खेती करने वाले किसानों पर ऋण का बहुत भार हो गया था किन्तु रूस सरकार ने उन सब ऋणों को रद्द कर दिया है। किन्तु हमारे देश में मूल्य नीति के परिणामस्वरूप कृषक ऋण से दबे हुए हैं।

[श्री पु० र० पटेल]

जापान में कीमतें मूल्य समिति जिसमें संसद् सदस्यों, उपभोक्ताओं, उत्पादकों तथा व्यवसाय में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, मूल्य निर्धारित करती है। किन्तु हमारे देश में कृषि मूल्य आयोग में संसद्-सदस्यों, उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। जापान में सरकारी अभिकरणों के जरिये सरकार चावल एकत्रित करती है, किन्तु चोरबाजारी वहां भी चलती है। अतः हमें केवल अपने लोगों को ही दोषी नहीं ठहराना चाहिए। जापान में सरकार खाद्यान्न को ऊंची कीमत पर खरीद कर उन्हें उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। इस प्रकार जापान की सरकार लगभग 900 करोड़ येन (yen) की हानि सहन करती है। किन्तु हमारे देश में इसके प्रतिकूल मामला है। वहां बाहर से आयात किये गये अनाज को सरकारी अभिकरणों के मार्फत लाभ उठाकर बेचा जाता है और अपने देश के अनाज को सरकार ऊंचे मूल्य पर खरीदकर उसे कम मूल्य पर बेच कर उससे होने वाले घाटे को स्वयं वहन करती है। इस प्रकार जापान सरकार कृषि-उत्पादन को प्रोत्साहन देती है।

हमारे देश में सरकार विदेशों से आयात किये गये खाद्यान्नों पर हानि उठा कर उन्हें उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। दूसरे शब्दों में वह विदेशी कृषकों को प्रोत्साहन देती है। मुझे आशा है कि सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी।

ब्रिटेन में तीन कृषक संघों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाता है। किन्तु हमारे देश में इस सम्बन्ध में विचार करने के लिए सरकार केवल विशेषज्ञों की नियुक्ति कर देती है। ब्रिटेन में खादों के लिए तक सरकारी सहायता दी जाती है और वहां खाद लागत-मूल्य से कम कीमत पर दी जाती है क्योंकि मन्त्रालय अनुदान के रूप में धन देकर विक्रय मूल्य कम करने में सहायक होता है। किन्तु हमारे देश में खाद की कीमत बढ़ायी जा रही है—इसलिए कि कहीं सिन्धी कारखाने को घाटा सहन न करना पड़े—अतः कृषक को मूल्य-भार सहन करना पड़ता है।

सरकार को किसानों की किसी न किसी तरीके से अवश्य सहायता करनी चाहिये। अमरीका जैसे देश में भी किसान संघों के प्रतिनिधियों से परामर्श लिया जाता है तथा कीमतें निर्धारित की जाती हैं हालांकि वहां पर किसानों की संख्या केवल 11-12 प्रतिशत है। परन्तु हमारे यहां पर तो किसानों की संख्या लगभग 70 प्रतिशत है। इसलिये क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम उनके संघों के प्रतिनिधियों से सलाह आदि करें और उन द्वारा पैदा की गई चीजों की कीमतें निर्धारित करें। इसके अतिरिक्त हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम उत्पादन बढ़ाने के लिये उनको सुविधायें प्रदान करें।

परन्तु यहां पर क्या हो रहा है ? कुओं से होने वाली सिंचाई के लिये तेल द्वारा चलने वाले इंजनों में प्रयोग किये जाने वाले अशोधित तेल के दाम पिछले पांच वर्षों में दुगुने हो गये हैं। इसके लिये अर्थ सहायता दी जानी चाहिये। ऐसे ही बिजली के दामों में कमी होनी चाहिये ताकि किसान उस का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें। परन्तु गुजरात में कृषि के प्रयोग में लाई जानी वाली बिजली हमें 3 आने प्रति यूनिट के हिसाब से मिल रही है। इसलिये सरकार को किसानों की सहायता के लिये कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिये।

हम ट्रैक्टरों का आयात करते हैं। हमारे पास पहले ही 40,000 ट्रैक्टर हैं जिनमें से 20,000 पुर्जों के न मिलने के कारण बेकार पड़े हैं। फिर ट्रैक्टर आयात करने की क्या आवश्यकता है, हमें उनके पुर्जों का आयात करना चाहिये।

हम कृषि गवेषणा सम्बन्धी भारतीय परिषद् पर बहुत धन व्यय कर रहे हैं । परन्तु गवेषणा करने और उपगवेषणा का खेतों में प्रयोग करने में बहुत अन्तर है । हमें इस बात को देखना चाहिये कि जो भी गवेषणा हो उसको खेती में प्रयोग में लाया जा सके और यह तब हो सकता है जब कि गवेषणा के परिणाम किसानों को उपलब्ध हों ।

किसान ऐसे होने चाहियें जिन को कृषि विज्ञान आता हो । परन्तु यह कैसे सम्भव है जब तक किसान पढ़े न हों । यहां पर जो लोग पढ़े हुए भी हैं और कृषि विज्ञान में अर्हता प्राप्त भी हैं वे खेती में जाकर कामन हीं करना चाहते । इसलिये हमारी खेती का यह दुर्भाग्य ही समझा जाना चाहिये ।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
42	6	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	कृषि विभाग के कार्य को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	7	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	अधिक उर्वरकों, अच्छे बीजों, पानी सम्बन्धी सुविधाओं, कीटनाशक पदार्थों आदि की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	8	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	भावों और स्टाक इकट्ठा करने के सम्बन्ध में सुसंबद्ध और स्पष्ट नीतियों की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	9	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	भूमि विषयक नीती की असफलता ।	100 रुपये
42	10	श्री वारियर	पैदावार इकट्ठा करते समय काली मिर्च और अन्य मसालों की फसलों के उचित भाव सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	11	श्री वारियर	केरल राज्य में तुरन्त संविहित राशनिंग लागू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	12	श्री वारियर	केरल राज्य में राशन की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	13	श्री वारियर	केरल राज्य में राशन के चावल का भाव कम से कम उस स्तर तक कम करने की आवश्यकता जो छँ महीने पहले था ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
42	14	श्री वारियर	वर्षा आरंभ होने से पहले केरल राज्य में पर्याप्त फालतू भंडार (बफर स्टॉक) रखने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	15	श्री वारियर	सभी महत्वपूर्ण नगरों और औद्योगिक केन्द्रों में मानक भोजन (स्टैंडर्ड भोल्स) चाल करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	16	श्री वारियर	केरल राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों में राशन के चावल का कोटा बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	17	श्री वारियर	केरल राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	18	श्री वारियर	खाद्य निगम द्वारा अनाज के सभी वर्तमान सरकारी डीपूअों को कायम रखने और उन्हें चलाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	19	श्री वारियर	खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनाज डीपूअों में माल लादने और उतारने वाले कर्मचारियों की नौकरियां कायम रखने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	20	श्री वारियर	कृषिजन्य वस्तुओं के आर्थिक मूल्य की दरें निर्धारित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	21	श्री वारियर	और अधिक पैकेज कार्यक्रम चालू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	22	श्री वारियर	अनाज के लिये फसल बीमा योजना चालू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	23	श्री वारियर	केरल राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों में मछली पकड़ने से सम्बन्धित बड़े-बड़े गांवों में बर्फ के फारखाने खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटीती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटीती का आधार	कटीती की राशि
42	24	श्री वारियर	केरल राज्य में मछली पकड़ने की नावों में मशीने लगाने के संबंध में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	25	श्री वारियर	केरल राज्य में मछुओं को नौकाएं उधार देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	26	श्री वारियर	केरल राज्य में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों का विकास करने और नए बन्दरगाह बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	27	श्री वारियर	केरल राज्य में रियायती दरों पर मछुओं को नमक देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	28	श्री वारियर	केरल राज्य में मछलियों का संग्रह करने के लिए शीत संग्रहागार की सुविधायें कायम करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	29	श्री वारियर	केरल राज्य में कृषिजन्य पदार्थ, मछली गोशत और दूधसे बने हुए पदार्थ लाने-ले जाने के लिए रेलों और सड़क परिवहन में शीत-संग्रहागार की व्यवस्था चालू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	30	श्री वारियर	केरल राज्य में राशन की दुकानों में चावल की बिक्री पर अधिकार की वसूली बन्द करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	31	श्री वारियर	केन्द्रीय नारियल समिति और केन्द्रीय सुपारी समिति को कायम रखने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	32	श्री वारियर	कीड़ों आदि के कारण केरल राज्य में बड़े पैमाने पर नारियल के पेड़ों को नष्ट होने से बचाने के कार्य को दृढ़तर करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	33	श्री कोया	केरल राज्य में मत्स्य-उद्योग चालू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
42	34	श्री कोया . . .	कटिहार (बिहार) के निकट चीनी के कारखाने खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	35	श्री कोया . . .	केरल के समुद्री मीन क्षेत्र में मत्स्यपालन प्रौद्योगिकी के बारे में उच्चतर शिक्षा देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
43	36	श्री यशपाल सिंह . . .	बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
43	37	श्री यशपाल सिंह . . .	खांडसारी लाने ले जाने पर लगाये गये प्रतिबन्ध हटाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
43	38	श्री यशपाल सिंह . . .	किसानों को उचित मूल्य पर छोटे ट्रैक्टर सप्लाय करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
43	39	श्री यशपाल सिंह . . .	सिंचाई में सुधार करने के लिए और अधिक नलकूप लगाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
43	40	श्री यशपाल सिंह . . .	उर्वरक के रूप में हरी खाद और गोबर प्रयोग को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
43	41	श्री यशपाल सिंह . . .	गन्ने का न्यूनतम मूल्य 3 रुपये प्रति मन निश्चित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
43	42	श्री यशपाल सिंह . . .	वनस्पति घी के लिए उपयुक्त रंग ढूंढने में असफलता ।	100 रुपये
43	43	श्री यशपाल सिंह . . .	अनाज की कीमतों में वृद्धि रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
43	44	श्री यशपाल सिंह . . .	विदेशों से मंगाये गये अनाज के वितरण में अनियमितताएं विशेषकर वायदे के अनुसार उत्तर प्रदेश को गेहूं का न दिया जाना ।	100 रुपये



मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
43	45	श्री यशपाल सिंह	पशुओं के नस्ल में सुधार करने और गो-संवर्धन समिति के काम की समीक्षा करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
43	46	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	किसानों के लाभ के लिये फसल और पशु बीमा योजना चालू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
46	56	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	वन सम्पत्ति को नष्ट होने से बचाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
130	57	डा० मा० श्री० अणे	सड़े हुए थैलों में अमोनियम सल्फेट जैसे उर्वरक भेजने की लापरवाही और समय पर रेलवे रसीदें न भेजना और सम्बन्धित समितियों और ग्राहकों की शिकायतों के प्रति उदासीनता ।	100 रुपये
42	63	श्री सरजू पाण्डेय	देश को अन्न के लिए आत्मनिर्भर बनाने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय ।
42	64	श्री सरजू पाण्डेय	अनाज की वसूली सम्बन्धी नीति और अनाज के भाव ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय ।
42	65	श्री सरजू पाण्डेय	तृटिपूर्ण भूमि सुधार, जिनके कारण जमीन जोतने वालों को नहीं मिलती ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय ।
42	66	श्री सरजू पाण्डेय	खेतीहर मजदूरों को बेकार जमीन न बांटना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय ।
42	67	श्री सरजू पाण्डेय	कृषि विभाग के कार्य को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता	100 रुपये
42	68	श्री सरजू पाण्डेय	अधिक उर्वरक, अच्छे बीज और पानी सम्बन्धी सुविधाओं की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
43	69	श्री सरजू पाण्डेय	. बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
43	70	श्री सरजू पाण्डेय	. किसानों को उचित मूल्य पर ट्रैक्टर देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
43	71	श्री सरजू पाण्डेय	. पूर्वी-उत्तर प्रदेश में और अधिक नलकूप लगाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
43	72	श्री सरजू पाण्डेय	. अनाज की कीमतों में वृद्धि रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
43	73	श्री सरजू पाण्डेय	. विदेशों से मंगाये गये अनाज के वितरण में अनियमिततायें, विशेषकर वायदे के अनुसार उत्तर प्रदेश को गेहूं का न दिया जाना ।	100 रुपये
43	74	श्री सरजू पाण्डेय	. टिड्डियों के आक्रमण को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
43	75	श्री सरजू पाण्डेय	. वनस्पति घी को रंगने में असफलता ।	100 रुपये
43	76	श्री सरजू पाण्डेय	. सस्ते उर्वरक उपलब्ध करने में असफलता ।	100 रुपये
43	77	श्री सरजू पाण्डेय	. जोरदार खेती की आवश्यकता ।	100 रुपये
43	78	श्री सरजू पाण्डेय	. विभिन्न प्रकार की तम्बाकू, हल्दी, मिर्च और कृषि-जन्य वस्तुओं के न्यूनतम भाव निश्चित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
43	79	श्री सरजू पाण्डेय	. अफसरों को कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका भेजने की निरर्थकता ।	100 रुपये
44	80	श्री सरजू पाण्डेय	. कृषि सम्बन्धी गवेषणा का मन्द कार्यक्रम ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
44	81	श्री सरजू पाण्डेय	. पौधों को कीड़ों से बचाने में असफलता ।	100 रुपये
44	82	श्री सरजू पाण्डेय	. धान को रोगमुक्त करने में असफलता ।	100 रुपये
44	83	श्री सरजू पाण्डेय	. मक्के की फसल के सुधार में प्रगति का अभाव ।	100 रुपये
44	84	श्री सरजू पाण्डेय	. आलू की फसल को नष्ट करने वाले कीड़ों की रोकथाम में असफलता ।	100 रुपये
44	85	श्री सरजू पाण्डेय	. भारतीय कृषि अनुसंधानशाला में अस्थायी स्त्री कार्यकर्ताओं को मर्दों के बराबर वेतन न दिया जाना ।	100 रुपये
44	86	श्री सरजू पाण्डेय	. स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति में विलम्ब ।	100 रुपये
45	87	श्री सरजू पाण्डेय	. पशुपालन योजना में असफलता ।	100 रुपये
45	88	श्री सरजू पाण्डेय	. पशुओं को पशु महामारी से बचाने में असफलता ।	100 रुपये
45	89	श्री सरजू पाण्डेय	. गोसंवर्धन परिषद् के नाम पर फिजूल खर्च ।	100 रुपये
46	90	श्री सरजू पाण्डेय	. वन-सम्पत्ति को नष्ट होने से बचाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
47	91	श्री सरजू पाण्डेय	. पर्याप्त मात्रा में दुग्ध उत्पादन में असफलता ।	100 रुपये
47	92	श्री सरजू पाण्डेय	. दिल्ली दुग्ध योजना में अनियमिततायें	100 रुपये
47	93	श्री सरजू पाण्डेय	. खांडसारी के उत्पादन को प्रोत्साहन देने में असफलता ।	100 रुपये
129	94	श्री सरजू पाण्डेय	. अनाज के थोक व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
42	95	श्री कोया	फलों पर अतिरिक्त भाड़ा हटाने के सम्बन्ध में रेलवे को प्रभावित करने में असफलता ।	100 रुपये
42	96	श्री शिवमूर्ति स्वामी .	मैसूर राज्य की तुंगभद्रा परियोजना के क्षेत्र में कमलापुर की रैय्यत को एक सहकारी चीनी कारखाना खोलने के लिए अनुमति देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	97	श्री शिवमूर्ति स्वामी .	तुंगभद्रा परियोजना क्षेत्र में कम से कम पांच और सहकारी चीनी कारखानों की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	98	श्री शिवमूर्ति स्वामी .	सीमित क्षेत्रों में तथा राज्यों के क्षेत्र के आधार पर अनाज लाने-ले जाने की नीति ।	100 रुपये
42	99	श्री शिवमूर्ति स्वामी .	जिस जमीन पर अनाज बोया जाता है उस पर लगान कम करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	100	श्री शिवमूर्ति स्वामी .	चीनी उद्योग निदेशालय द्वारा सहकारी चीनी कारखानों को लाइसेंस दिये जाने से संबंधित नीति ।	100 रुपये
42	101	श्री शिवमूर्ति स्वामी .	मैसूर के तुंगभद्रा परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत सहकारी चीनी कारखानों को लाइसेंस न देना ।	100 रुपये
42	102	श्री शिवमूर्ति स्वामी .	कमलापुर सहकारी चीनी कारखाने को लाइसेंस न देना ।	100 रुपये
2	103	श्री शिवमूर्ति स्वामी .	तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद अनाज का आयात बन्द न करना ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
42	104	श्री शिवमूर्ति स्वामी	. स्थानीय तथा विदेशी मांग पूरी करने के लिए चीनी का उत्पादन न बढ़ाना ।	100 रुपये
42	105	श्री मनोहरन	. स्थानीय और विदेशी मांग पूरी करने के लिये चीनी का उत्पादन बढ़ाने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
42	106	श्री मनोहरन	. अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
42	107	श्री मनोहरन	. अनाजों की कीमतों में वृद्धि रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	108	श्री मनोहरन	. बनस्पति घी में रंग डालने में असफलता ।	100 रुपये
42	109	श्री मनोहरन	. पशुओं को पशु-महामारी से बचाने में असफलता ।	100 रुपये
42	110	श्री मनोहरन	. किसानों को उचित दाम पर ट्रैक्टर देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	111	श्री मनोहरन	. वन-सम्पत्ति को नष्ट होने से बचाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	112	श्री मनोहरन	. पशुपालन योजनाओं की असफलता ।	100 रुपये
42	113	श्री मनोहरन	. मद्रास राज्य में धर्मपुरी जिले के खेतिहरों को अपने क्षेत्र में एक सहकारी चीनी कारखाना स्थापित करने की अनुमति देने की आवश्यकता ।	100 रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : ये कटौती प्रस्ताव सभा के सामने हैं ।

**Shri Chandak (Chhindwara):** India is predominantly an agricultural country. Its seventy per cent population lives in the villages. Agriculture is the basic industry of the country. It is also true that much has been done in the field of agriculture, more irrigation facilities have been provided and some improvement has also been

[Shri Chandak]

made. But there has not been sufficient improvement though the three Five Year Plans have been completed.

When we had started the community development programme it was expected that it will change the shape of the villages. But the work has not been done according to our expectations. The work done has been superfluous as Sarvashri Mishra and Patel have said. Fifty two per cent of the allotted money is spent on establishment and 48 per cent on miscellaneous items. Thus agricultural development is totally ignored.

When we have already got the Ministry of Food and Agriculture and the Ministry of Irrigation and Power and the Ministry of Education are also there then what is the need of the Ministry of Community Development. The need of the hour is to entrust the whole work of agricultural development to the agricultural department.

The agriculturists should be given remunerative price. They should also be given incentive price. But to my mind this idea appears to be very vague. How can he get the remunerative price? We can find out the remunerative price if we know the cost price of a thing and the cost price we can know only in the industry. So, we cannot fix cost price of agriculture unless we consider it an industry. We must give remunerative price if we want to develop agriculture. Hence we should consider agriculture as an industry.

The setting up of National Food Corporation will be a welcome measure. But the corporation should come in the market as a trader. Only then the agriculturists can get reasonable prices of their produce and the Government can also have the necessary funds with them unless and until there is a competition in the market the consumers cannot get the desired benefits. The Government should also take this point into consideration.

[ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।  
MR. SPEAKER *in the Chair* ]

For the development of agriculture there is a great need of small irrigation facilities. Most of the hon. Members have also drawn the attention of the hon. Minister that cheap electricity should be provided to the agriculturists. Apart from that they should also be given fertilisers at reasonable prices. Though huge dams have been set up but the farmers are not getting water to irrigate their fields. In my constituency there are no irrigation facilities. The canals are not there. The land there can be irrigated with wells. But the wells there are not sufficient and the water in them too is very less. The fertilisers too are not available. Their prices also have gone up. So, unless irrigation facilities and fertilisers at cheap rates are made available to the agriculturists there cannot be any increase in agricultural production. The Government should pay much attention to it.

The Government should also see that the agriculturists get proper training in the use of chemical fertilisers.

There is also disparity in the distribution of foodgrains. The villagers are getting less foodgrains than the urban people though they have to put in more labour. The ratio is 2:13.

Then there is also a Government monopoly in the purchase of foodgrains. In my State, Government is purchasing maize at the rate of Rs. 45 per quintal but sells it at Rs. 53 per quintal. Thus there is a net gain of Rs. 8 per quintal. Had the farmers sold it directly they would have been benefited by Rs. 8 per quintal.

The position of the supply of sugar can also be improved. It is expected that we will be producing 32 lakh tons of sugar this year while our consumption is not more than 22 lakh tons. Thus after exporting sugar we can have this much with us. Hence the ban on sugar can easily be removed.

Lakhs of acres of land are lying waste in the ravines of Chambal. That land should be fully utilised. Farming can be undertaken on that land through co-operatives. So, the Chambal Project needs immediate attention.

Government should give its approval to the setting up of a sugar mill in Betul district because sugarcane is grown there in abundance. Land revenue should be realised in kind instead of in cash. Consumer and producer prices should be fixed. The farmers should get remunerative prices for their produce so that they may feel encouraged to raise their production. These prices should be fixed before the sowing season.

**Shri Sivamurthi Swamy (Koppal):** The amount earmarked for agriculture is too meagre. 80 per cent of our population depends on agriculture. If a permanent solution of the food problem is to be found, then at least 50 per cent of the total earnings of the country should be set apart for promotion of agriculture.

The agriculture department has many good for nothing organisations, as for example, the National Tractor Organisation. It has no contact with the farmers. It is very difficult to secure a tractor even for a plot of 500 acres of land. Government should see to it that tractors are made available to the needy farmers in time.

Even a suitable colouring material for vanaspati ghee has not been found as yet. In Mysore State sandal wood trees are being destroyed indiscriminately. This precious forest wealth should be preserved and Government should see that these trees are not allowed to be destroyed.

In the Tungabhadra area, a scheme called the localisation scheme has been introduced. If a farmer has started raising rice crop he will have to raise rice crop every year. He cannot raise any other crop. If he does so he will be fined heavily. Similarly if any area has been reserved for sugarcane cultivation, only sugarcane can be sown there. If any farmer starts raising rice crop there he will only be given as much water as would have been sufficient for the sugarcane crop. He is not given more water, no

[Shri Sivamurthi Swamy]

matter if the water flows into the sea unused. Thus, the water of the reservoir is not made use of. Therefore, my submission is that this localisation scheme should be deferred for a period of at least four or five years.

Under this localisation scheme sugarcane is being sown in an area of seventy thousand acres. But there are not enough factories there to crush the sugarcane. After prolonged efforts a sugar mill was licensed in the Co-operative sector. But, strangely enough, the very next year the Co-operative Society itself was ordered to be dissolved and the licence was cancelled. After that a wealthy man Shri Kila Chand formed a joint stock company and he was given licence for that. But nothing came out of that. The people of Tungabhadra have been trying to get the old licence revived for the last 12 years but their efforts to set up a sugar mill in the co-operative sector have not borne fruit as yet. On the other hand, Shri Morarka, an hon. Member of this House, has been allowed to set up another sugar factory there. We welcome the setting up of this factory. But our grievance is this. When we fulfil all the conditions laid down for the setting up a co-operative sugar mill, why a license is not being granted. This year an area of 9 or 10 thousand acres was reserved for the sugar mill owned by Shri Morarka. The result was that the mill could not crush all the sugarcane and the sugarcane standing in an area of 3400 acres totally dried up. The people there have incurred a loss of Rs. 15,000 in this season. Because of the reservation the sugarcane could not be diverted to other mills. The people of that area have been demanding the setting up of a Committee for this. They cannot go on waiting, and have lost patience.

I, therefore, plead to all sections of the House to press the Government to grant a license for setting up a co-operative mill to those people, as this is not a party issue. The Government will not have to bear any financial burden because some co-operatives have also made arrangement for that. Several banks are ready to give loans on nominal interest.

Ten sugar factories can be started in the Tungabhadra area, but at least five are most essential. After being registered as a cooperative society, we come to the Central Government but all in vain. We are not given any licence. If Government has made any agreement with Shri Morarka regarding reservation of certain area for his factories, we are ready to set apart that much area for those factories. The Kamalapur Cooperative Society is ready to make offers in this connection. There is a rivulet there. If a bridge is constructed over it, the whole area can be connected, and there will be so many areas to supply sugarcane to the mills. It is indeed very sad that the sugar Directorate is influenced by wealthy people, and it has adopted a callous attitude towards the cooperative movement. There is a great shortage of sugar in the villages. I do not understand as to why this artificial scarcity is being created in the country. There is no shortage of sugarcane in the south and there have been no instances of under-feeding of mills there. There is, therefore, no justification for not granting any licence to the cooperative societies there.



We have no objection if licences for setting up one or two mills are granted to Shri Morarka. But we cannot tolerate the mortgaging of the whole district to him. We should also be given some licences. If licence is not granted this season, our work would not proceed further. It is regrettable that the report of the committee appointed by the Government has not yet been submitted. Shri Morarka in the annual report pleads for the cancellation of the Kamalapur Cooperative Society and expansion of the joint stock company. The society has incurred a loss of Rs. 15 lakhs this year, and this department is answerable for that. It is very strange that even in spite of the Chief Ministers' recommendation, the society has not been granted licence by the Centre. I submit that the Government should accept this humble appeal and thereby encourage the cooperative movement.

श्री कृ० चं० शर्मा (सरधना) : प्रचीन काल में भारत में अनाज की कमी नहीं थी और शिक्षा के क्षेत्र में भी वह पिछड़ा हुआ नहीं था। यहां तक कि भारत से अन्य देशों को माल जाता था। परन्तु दुःख की बात है कि जबकि यूरोप में कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति हुई और वे देश आगे बढ़ गये परन्तु भारत के लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे और विश्व में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने को नहीं बदल सके।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के औद्योगीकरण की दिशा में भरसक प्रयत्न किया। परन्तु एक व्यक्ति चाहे व कितना ही महान् क्यों न हो इतने बड़े देश को थोड़े से समय में औद्योगीकरण के पथ पर अग्रसर नहीं कर सकता। इसका कारण यह था कि परिश्रम को महत्व देने की बजाय सचाई तथा अध्यात्मवाद पर ही जोर दिया गया। उत्पाद की ओर ख्याल ही नहीं गया।

यह बड़े दुःख की बात है कि अपने देश के लोग अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने की बजाय अपने बाप दादा की मर्यादा का ही अधिक ख्याल रखते हैं। वे अब भी अन्धविश्वासी हैं। वे सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं। उनके इस दृष्टिकोण को बदलना बहुत जरूरी है और यह तभी हो सकता है जब शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाये।

कृषि शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये जिससे किसान को पता लग सके कि किस भूमि पर क्या पैदा करना है, क्या उपकरण इस्तेमाल करने हैं और कितना खाद, कितना बीज तथा कितना पानी आदि चाहिये और खेत कितना बड़ा होना चाहिये। जब किसानों को इन बातों की जानकारी हो जावेगी तथा कृषि एक लाभदायक उद्योग का रूप ले सकती है। भारत में कृषि शिक्षा देने वाली संस्थाओं की बहुत कमी है। इसलिए देश में अधिक संख्या में कृषि कालेज खोले जाने चाहिये। उद्योगों के विकास से पहले कृषि का विकास करना जरूरी है। अन्य उद्योग तभी पनप सकते हैं जब कृषि खबर तरक्की पर हो।

किसान को अन्य रोजगारों में लगे हुए व्यक्तियों से कम आय होती है। इसका कारण यह है कि वह इनसे कम शिक्षित होता है और उसका अपना कोई संगठन नहीं

[श्री कृ० चं० शर्मा]

है। इसलिये प्रतिव्यक्ति उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयाप्त शिक्षा का उपबन्ध किया जाना चाहिये। किसानों को खाद, अच्छा बीज, सिंचाई का पानी आदि उपलब्ध किया जाना चाहिये। इस संबंध में खण्ड विकास अधिकारी उनकी सहायता कर सकते हैं। वे उन्हें बतला सकते हैं कि कितना खाद, बीज आदि इस्तेमाल किया जाना चाहिये और सीमेंट तथा अन्य चीजें कैसे प्राप्त की जा सकती हैं। वे इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं। हां, कभी कभी विभागीय कठिनाइयां उनके काम में बाधक सिद्ध होतीं हैं। कृषि वस्तुओं की मांग भी बढ़ानी पड़ेगी। कृषि वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की जानी चाहिये। किसान को उसकी मेहनत के मुताबिक मंजूरी नहीं मिलती है। किसान को इससे नुकसान होता है कि फसल आने पर मूल्य कम हो जाते हैं। इन सब की ओर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

सभी देशों में बिचौलिया किसान के लिए एक अभिशाप साबित हुआ है और भारतीय किसान के बारे में भी यह सही है। जहां तक किसान को अर्थ सहायता देने का प्रश्न है वह संभव नहीं है। परन्तु किसान की आय को बढ़ाने के लिए उसको सीधा अनुदान दिया जाना चाहिये।

कृषि का एक समन्वित कार्यक्रम होना चाहिये। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि मशीनों से सहकारी खेती शुरू की जानी चाहिये। जो फालतू लोग कृषि के काम में लगे हुए हैं उन्हें वहां से निकाला जाना चाहिये। किसानों का एक संगठ होना चाहिये जो किसानों का पक्ष पेश कर सके।

मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना जरूरी है।

**श्रीमती अकम्मा देवी (नीलगिरी) :** खाद्य तथा कृषि केवल इस मंत्रालय का ही उत्तरदायित्व नहीं है अपितु सामुदायिक विकास तथा सहकार तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्रालयों का भी इस विषय से संबंध है। अतः इन मांगों पर चर्चा के समय तीनों मंत्रालयों के मंत्रियों को सभा में उपस्थित रहना चाहिये।

[ उपाध्यक्ष महोदय पीठारसन हुए ।  
MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair ]

भारतीय खाद्य निगम को कृषिकों को छोटी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम भी सौंपा जाना चाहिये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विशेषकर मैदुम्लायम, अविनाशी तथा सुलूर में सिंचाई सुविधाओं का बहुत अभाव है। 1962 से भी पहले कुण्डा परियोजना के फालतू पानी से इन क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करने का फैसला किया गया था। परन्तु खेद की बात है कि अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया जाना चाहिये।

फालतू भूमि को भूमिहीन व्यक्तियों को दिया जाना चाहिये। इससे उन्हें रोजगार भी मिल जायेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा।

हमारे यहां खाद्य में ही मिलावट नहीं की जाती अपितु खाद्य तथा कीट नाशक दवाइयों में भी मिलावट की जाती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा हुआ है। मिलावट करने वालों को दण्ड दिया जाना चाहिये।

मैं जिस क्षेत्र से निर्वाचित होकर आई हूं वह एक पहाड़ी क्षेत्र है। परिवहन तथा संचार की कठिनाइयों के कारण पहाड़ी क्षेत्रों का विकास करना आसान नहीं है। इन्हीं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर ही पहाड़ी क्षेत्र विकास मंत्रणा समिति बनाई गई थी। इसकी पहली बैठक पिछले वर्ष 1 मई को हुई थी और उसके बाद इसकी कोई भी बैठक नहीं हुई है। उस बैठक में इस समिति ने पहाड़ी क्षेत्रों के, जो हमारे सीमान्त क्षेत्र भी हैं, विकास के लिये बहुत-सी सिफारिशें पास की थीं। परंतु खेद है कि अभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। अतः मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

भूमि के कटाव को रोकने के लिये भूमि संरक्षण योजना बनी हुई है। विकास अधिकारी ग्रामीणों की सहायता करने की बजाय उनके मन में भ्रम पैदा करते हैं और उनके लिये अनावश्यक समस्याएँ पैदा कर देते हैं। प्रतिवेदन में बहुत बड़ा-चढ़ा कर बातें दी जाती हैं। अतः सामुदायिक विकास मंत्री को स्वयं गांवों में जा कर इन अधिकारियों द्वारा किये गये कार्य की जांच करनी चाहिये। फायलों को इधर-उधर भेजने में देरी नहीं होनी चाहिये ताकि काम को शुरू करने में देरी न हो सके और किसानों को वित्तीय सहायता आदि समय पर प्राप्त हो सके।

सहकारी खेती समितियों को मंजूरी देने में बहुत अधिक देर की जाती है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि इससे न केवल लोगों को रोजगार ही मिलेगा अपितु उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

**श्री कन्डप्पन (तिरुचेनगोड):** इस मंत्रालय का इतिहास स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक बहुत शोकजनक रहा है। यह बहुत ही खेद की बात है कि जब कृषि उत्पादन की बात बढ़ाने के लिये देश में पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं तब भी अनाज बाहर से मंगाया जा रहा है।

भिन्न-भिन्न जल वायु तथा भिन्न-भिन्न प्रकार की मिट्टी वाले इस देश में इस बारे में सर्वेक्षण करना बहुत जरूरी है कि कहां कहां पर क्या क्या फसल उगाई जानी चाहिये। चीनी उद्योग के बारे में विशेषकर मैं कुछ कहना चाहता हूं। गन्ना गरम जल-वायु वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। परन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन तीन गुणा से भी अधिक है। इसलिये इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये कि दक्षिण भारत में अधिक मात्रा में गन्ने की काश्त हो और वहां पर चीनी मिल खोलने के लिये लोगों को लाइसेंस दिये जायें। इससे चीनी की कमी काफी हद तक दूर हो जायेगी।

## [श्री कन्दप्पन]

बाजार में अनाज की कमी के लिए व्यापारी वर्ग अथवा किसानों पर सारा दोष थोपना उचित नहीं है। यह हो सकता है कि व्यापारी लोगों ने अनाज जमा करके रखा हो। परन्तु यदि उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हुआ हो, तो वे ऐसा करने के लिये प्रेरित नहीं होंगे। जहां तक उत्पादन में वृद्धि करने का प्रश्न है, किसानों के सम्मान को ध्यान में रखा जाना चाहिये। यह आरोप सही नहीं है कि हमारे किसान कृषि के आधुनिक तरीकों के खिलाफ हैं। इसके विपरीत, वास्तविक स्थिति यह है कि आधुनिक उपकरणों की उनकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है?

तामिलनाड में किसानों को बिजली उपलब्ध कराने की ओर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। पानी की कमी के कारण भी वहां पर कृषि उत्पादन नहीं बढ़ पाया है। मैं इस बारे में ज्यादा विस्तार में न जा कर मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सरकार थोरुमनीमुत्तर-पोन्नायार योजना को हाथ में ले और उस पर बिना विलम्ब कार्रवाई की जाये।

जिन क्षेत्रों में प्रति एकड़ उत्पादन अधिक होता है और किसानों का कृषि की ओर अधिक सम्मान है, वहां पर किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहियें ताकि थोड़े समय में अधिक उत्पादन हो सके।

सिंचाई को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये। खाद के वितरण के बारे में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जहां उसका ठीक प्रकार से उपयोग होता है।

**Shri Radhelal Vyas (Ujjain):** Government has been trying during all these years to make the country self-sufficient, so far as production of foodgrains is concerned. But the stark reality is this that now we are importing foodgrains in far larger quantities than in previous years. This is not something we can be proud of. This year the food situation became very acute. It has eased some what now. But we have to think over it very seriously that we cannot depend on imports for all time to come. We should strive to achieve self-sufficiency in the matter of foodgrains production.

The yield per acre in our country is very low as compared to other countries. Serious thought should be given to this matter and all the resources should be mobilised to raise agricultural production. We do not have much expectations from the plans. We have an imminent danger on our borders and the population is also increasing at a fast pace. So the reconsideration of the whole issue is required and some positive steps should be taken to effect a considerable increase in agricultural production in the country.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

-----

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

छतीसवां प्रतिवेदन

श्री राने (बुलडाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का छतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ ।

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार, 28 अप्रैल, 1965 / 8 वैशाख, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April 28, 1965/Vaisakha 8, 1887 (Saka).**

-----